601
5-1-65

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
3rd
LOK SABHA DEBATES

[नवां सत्र
Ninth Session]

Preservation Unit
21-5-42
Fu ...
Pu. 1-12-8
Parliament Library

सत्यमेव जयते

[खंड 34 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. XXXIV contains Nos. 11—20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची

अंक 14—गुरुवार, 24 सितम्बर, 1964 / 2 आश्विन, 1886 (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

*तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
373	तृतीय योजना में बिजली की आवश्यकता	1397—1400
374	दिल्ली विकास प्राधिकार	1400—06
375	बर्ड एण्ड कम्पनी	1406—10
376	सरकारी क्षेत्र की परियोजनायें	1410—19

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या		
377	बैल्जियम से सहायता	1419
378	मध्यम वर्ग की आय का राष्ट्रीय सर्वेक्षण	1419-20
379	एकक प्रन्यास (यूनिट ट्रस्ट) योजना	1420
380	मद्रास राज्य में तापीय बिजली घर (थरमल पावर स्टेशन)	1420-21
381	पटसन निर्यात करने वाली फर्मों की तलाशी	1421
382	विदेशी मुद्रा के लिये रिजर्व	1421-22
383	ग्रामदान आन्दोलन	1422
384	भूदृश्य समिति	1422-23
385	पैकेज कार्यक्रम	1423
386	राष्ट्र मंडल वित्त मंत्री सम्मेलन	1423
387	रिजर्व बैंक की बिल्डिग	1423-24
389	क्षेत्रीय विद्युत ग्रिड	1424
390	राष्ट्रीय आय के वितरण के बारे में महलनवीस समिति	1425
391	एक रुपये के सिक्के पर श्री नेहरू का चित्र	1425-26
392	ईंट बनाने का संयंत्र	1426
393	ग्राम्य विकास	1427
394	भारतीय उद्योगों में अमरीकी विनियोजन	1427-28
395	मकान मालिक सरकारी कर्मचारी	1428
396	अल्प आय वर्ग आवास ऋण	1429
397	बीहड़ों के कृष्यकरण के लिये अन्तर्राज्यिक नियंत्रण बोर्ड	1429

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

CONTENTS

No. 14—*Thursday, September* 24, 1964/*Asvina* 2, 1886 (*Saka*)

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*Starred Questions Nos.	Subject	PAGES
373	Power Requirement during Third Plan	1397–14000
374	Delhi Development Authority	1400–06
375	Bird & Co.	1406–10
376	Public Sector Projects	1410–19

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Starred Questions Nos.		
377	Aid from Belgium	1419
378	National Survey of Middle Class Income	1419–20
379	Unit Trust Scheme	1420
380	Thermal Power Station in Madras State	1420–21
381	Searches in Jute Export Houses	1421
382	Foreign Exchange Reserves	1421–22
383	Gramdan Movement	1422
384	Landscape Committee	1422–23
385	Package Programme	1423
386	Commonwealth Finance Ministers' Meeting	1423
387	Reserve Bank Building	1423–24
389	Regional Electricity Grids	1424
390	Mahalanobis Committee on Distribution of National Income	1425
391	One-rupee Coins with the Effigy of Shri Nehru	1425–26
392	Brick-making Plant	1426
393	Rural Development	1427
394	U.S. Investment in Indian Industries	-427–28
395	Government Employees owning Houses	1428
396	Low Income Group Housing Loan	1429
397	Inter-State Control Board to reclaim Ravines	1429

*The sign+ marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
1169	राजस्थान के लिये अनुसन्धान योजनायें	1430
1170	ब्रिटेन से निःशुल्क चिकित्सा सामग्री की सप्लाई	1430
1171	गैस तथा कार्बाइड पर बिक्री कर	1430—31
1172	रिहंद तथा माताटीला बांध	1431—32
1173	क्षय रोग से पीड़ित सरकारी कर्मचारी	1432
1174	पलाई सैन्ट्रल बैंक	1432
1175	होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति	1432—33
1176	होम्योपैथिक चिकित्सा बोर्ड	1433
1177	होम्योपैथिक विज्ञान में डिप्लोमा	1433—34
1178	पंजाब के गावों का विद्युतीकरण	1434
1179	केरल में चिकित्सालय	1434—35
1180	पंचवर्षीय योजनाओं में सामाजिक सेवाओं के लिये नियत राशियां	1435—36
1181	धमनियों की शल्य चिकित्सा	1436—37
1182	तृतीय श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों के लिये क्वार्टर	1437
1183	आदिमजाति सम्बन्धी अर्थव्यवस्था	1437
1184	दिल्ली में कुटीर अस्पताल	1438
1185	दिल्ली विकास प्राधिकार	1438
1186	कावेरी नदी पर बांध	1439
1187	कम्पनियों के निदेशक	1439—40
1188	पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का उपयोग	1440
1189	बच्चों की शिक्षा के लिये भत्ता	1440
1190	भाखड़ा बांध की सिंचाई क्षमता	1440—41
1191	दिल्ली में डाक्टरों की कमी	1441
1192	डालमिया जैन के समवाय	1441—42
1193	उद्योगपतियों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय बैंकों से लिया गया ऋण	1442
1194	अमृतसर में कपड़ा छपाई के एकक	1442
1195	सिस्सू और शंशा नालों पर बिजली घर	1443
1196	पश्चिमी कोसी नहर	1443

Unstarred Questions Nos.	Subject	PAGES
1169	Research Schemes for Rajasthan	1430
1170	Duty-free Medical Supplies from U.K.	1430
1171	Sales Tax on Gas and Carbide	1430-31
1172	Rihand and Matatila Dams	1431-32
1173	Government Servants suffering from T.B.	1432
1174	Palai Central Bank	1432
1175	Homoeopathic System of Medicine	1432-33
1176	Board of Homoeopathic System of Medicine	1433
1177	Diploma in Homoeopathic Science	1433-34
1178	Rural Electrification in Punjab	1434
1179	Hospital in Kerala	1434-35
1180	Allocation to Social Services in the Five Year Plans	1435-36
1181	Surgery of Veins	1436-37
1182	Quarters for Class III Government Employees	1437
1183	Tribal Economy	1437
1184	Cottage Hospitals in Delhi	1438
1185	Delhi Development Authority	1438
1186	Dam on the Cauvery River	1439
1187	Directors of Companies	1439-40
1188	Utilisation of West Flowing Rivers	1440
1189	Educational Allowance for Children	1440
1190	Bhakra Dam Irrigation Potential	1440-41
1191	Shortage of Doctors in Delhi	1441
1192	Dalmia-Jain Cos.	1441-42
1193	Loan taken by Industrialists from International Banks	1442
1194	Cloth Printing Units in Amritsar	1442
1195	Power House at Sissu and Shansha Nalas	1443
1196	Western Kosi Canal	1443

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
1197	दिल का दौरा	1444
1198	पूंजी जारी करना	1444
1199	आयुर्वेदिक तथा अन्य देशी दवाइयां	1444–45
1200	बम्बई की फर्म पर छापा	1445
1201	राज्य पूंजी का विकास	1446
1202	चित्रकूट फॉल से विद्युत उत्पादन	1446
1203	राडार द्वारा बाढ़ की पूर्व सूचना	1446–47
1204	जय इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड, कलकत्ता	1447
1205	राजस्थान को सहायता	1447
1206	कलकत्ता में सोने तथा जवाहरात का पकड़ा जाना	1447–48
1207	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों का कल्याण	1448
1208	राजेन्द्र आयुर्वेदिक तथा यूनानी विश्वविद्यालय	1448
1209	पंजाब में बाढ़ निरोधक उपाय	1448
1210	अमरीकी विशषज्ञों द्वारा करापवंचन का अध्ययन	1449
1211	अवैध सोने का पकड़ा जाना	1449
1212	लोहे की नालीदार चादरें	1450
1213	बिजली का पारेषण तथा वितरण	1450
1214	खाद्यान्न उत्पादन के लिये बिजली	1450
1215	मंत्रियों के निवास स्थानों पर फर्नीचर	1451
1216	केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग, उड़ीसा	1451
1217	फोर्ड फाउंडेशन ग्रान्ट्स	1451–52
1218	राजस्थान नहर क्षेत्र में पुनर्वास	1452
1219	उड़ीसा सरकार के लेखों का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	1452–53
1220	प्रीमियम प्राइज बौंड, योजना	1453
1221	विद्युत जनन की लागत	1453
1222	तापीय स्टेशनों के डिजाइन	1453–54
1223	विद्युत जनन के लिये कोयला	1454
1224	तीस्ता बांध परियोजना	1454–55

	Subject	PAGES
Unstarred Questions Nos.		
1197	Heart Attacks	1444
1198	Capital Issues Underwritten	1444
1199	Ayurvedic and other Indigenous Drugs	1444-45
1200	Raid on a Bombay Firm	1445
1201	Development of State Capitals	1446
1202	Electricity Generation from Chitrakut Fall	1446
1203	Flood Warning by Radar	1446-47
1204	Jay Engineering Works Ltd., Calcutta	1447
1205	Assistance to Rajasthan	1447
1206	Seizure of Gold and Jewellery in Calcutta	1447-48
1207	Welfare of S.C. & S.T.	1448
1208	Rajendra Ayurvedic and Unani University	1448
1209	Anti-flood measures in Punjab	1448
1210	Study of Tax Evasion by U.S. Experts	1449
1211	Seizure of Contraband gold	1449
1212	Corrugated Iron Sheets	1450
1213	Transmission and Distribution of Power	1450
1214	Electricity for Food Production	1450
1215	Furniture at Ministers' Residences	1451
1216	Central Excise Deptt., Orissa	1451
1217	Ford Foundation Grants	1451-52
1218	Rehabilitation on Rajasthan Canal Area	1452
1219	Report on Audit of Orissa Government's Accounts	1452-53
1220	Premium Prize Bonds Scheme	1453
1221	Cost of Power Generation	1453
1222	Designs of Thermal Stations	1453-54
1223	Coal for Power Generation	1454
1224	Teesta Barrage Project	1454-55

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
1225	विश्व बैंक तथा चौथी योजना	1455
1227	जवाहरातों तथा घड़ियों का पकड़ा जाना . . .	1455
1228	मुरादाबद जिले में टकसालों का पकड़ा जाना . .	1456
1229	योजना आयोग में सुधार	1456
1230	ठेकेदारों को अधिक भुगतान	1456—57
1231	सरकारी पेन्शन पाने वालों के लिये केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा	1457
1232	ब्रह्मपुत्र नदी पर नियंत्रण	1457—58
1233	परिवार नियोजन	1458
1234	मद्रास में गन्दी बस्तियां	1458
1235	केरल में भूमि सुधार . . .	1458—59
1236	जीवन बीमा निगम के क्षेत्रीय कर्मचारियों द्वारा आन्दोलन .	1459
1237	कर संग्रह	1460

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

रानीगंज कोयला क्षेत्र में उत्पन्न कथित गम्भीर स्थिति . . 1460—62

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती 1460

श्री संजीवय्या . . . . 1460—62

कुरनूल में स्कूल के बच्चों की मृत्यु के बारे में वक्तव्य . . 1462—64

श्री मु० क० चागला . . . . . 1462—64

ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं के बारे में . . . . 1464—65

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . . 1464—67

सदस्य की रिहाई के बारे में सूचना 1467

भ्रष्टाचार विरोधी विधियां (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित . 1467

विनियोग (संख्या 5) विधेयक, 1964—पारित . . . 1468

केरल राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक . . 1468—75

विचार करने का प्रस्ताव 1468

श्री वारियर 1468

Subjects		PAGES
Unstarred Questions Nos.		
1225	World Bank and Fourth Plan	1455
1227	Seizure of Diamonds and Watches	1455
1228	Seizure of Mint in Moradabad District	1456
1229	Streamlining of work in Planning Commission	1456
1230	Over payment to contractors	1456–57
1231	C.G.H.S. for Government Pensioners	
1232	Control over Brahmaputra	1457–58
1233	Family Planning	1458
1234	Slums in Madras	1458
1235	Land Reforms in Kerala	1458–59
1236	Agitation by Field Workers of LIC	1459
1237	"Tax Collections"	1460

Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance
Alleged serious situation in the colliery area of Raniganj. 1460-62
Statement *re* : death of school children in Kurnool 1462-64
Shri M.C. Chagla 1462-64
Re : Calling Attention Notices 1464-65
Papers laid on the Table 1464-67
Intimation *re*: release of Member 1467
Anti-Corruption Laws (Amendment) Bill—*Introduced* 1467
Re : Business of the House
Appropriation (No. 5) Bill—*Passed* 1468
Kerala State Legislature (Delegation of Powers) Bill 1468–75
Motion to consider 1468
Shri Warior 1468

श्री नाथा पाई . 1469–70

श्री मणियंगाडन 1470–71

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी 1471–72

श्री कोया 1472

श्री हाथी 1472–73

खण्ड 2, 3 और 1 . . . 1473

पारित करने का प्रस्ताव . 1473—75

उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक . 1476—84

विचार करने का प्रस्ताव 1476

श्री हाथी . 1476

श्री ही० ना० मुकर्जी 1476–77

श्री विद्याचरण शुक्ल 1477

श्री यु० सिं० चौधरी 1478

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी 1478

श्री नि० चं० चटर्जी 1479

श्री रंगा 1479–80

श्रीमती यशोदा रेड्डी . 1480–81

श्री गौरी शंकर कक्कड़ . . 1481

श्री यशपाल सिंह . 1482

श्री हाथी 1482–83

खण्ड 2, 3 और 1 . 1483

पारित करने का प्रस्ताव . 1483

श्री ही० ना० मुकर्जी 1483–84

डा० मा० श्री अणे 1484

श्री हाथी . . . 1484

प्रत्यक्ष कर (संशोधन) विधेयक . 1484–86

विचार करने का प्रस्ताव . 1484

श्री ति० त० कृष्णमाचारी 1484–86

श्री ब० मो० बनर्जी 1486

Shri Nath Pai 1469–70
Shri Maniyangadan 1470–71
Dr. L. M. Singhvi 1471–72
Shri Koya 1472
Shri Hathi 1472–73

Clauses 2, 3 and 1 1473
Motion to pass 1473–75

High Court Judges (Conditions of Service) Amendment Bill 1476–84
Motion to consider
Shri Hathi 1476
Shri H. N. Mukerjee 1476
Shri Vidya Charan Shukla 1476–77
Shri Y. S. Chaudhary 1477
Dr. L. M. Singhvi . . . 1478
Shri N. C. Chatterjee 1478
Shri Ranga 1479
Shrimati Yashoda Reddy 1479–80
Shri Gauri Shankar Kakkar . 1480–81
Shri Yashpal Singh . . . 1481
Shri Hathi 1482–83

Clauses 2, 3 and 1 1483
Motion to pass 1483
Shri H.N. Mukerjee . . 1483–84
Dr. M.S. Aney 1484
Shri Hathi 1484

Direct Taxes (Amendment) Bill 1484–86
Motion to consider 1484
Shri T. T. Krishnamachari 1484–86
Shri S. M. Banerjee 1486

विषय	पृष्ठ
दिल्ली के निवासियों को लगातार गन्दे तथा दूषित जल सप्लाई किये जाने के बारे में चर्चा	1487–98
महाराजकुमार विजय आनन्द	1487–88
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	1488–89
श्री जी० भ० कृपालानी	1489
श्री हरि विष्णु कामत	1689–90
श्री पु० र० पटेल	1490
श्री भागवत झा आजाद	1490
श्री फ्रैन्क एन्थनी	1490–91
डा० कु० ल० राव	1491–92
श्री स० मो० बनर्जी	1492–93
श्री नवल प्रभाकर	1493
श्री बागड़ी	1493–94
श्री पें० वेंकटासुब्बया	1194
श्री हुकम चन्द कछवाय	1494
श्रीमती सावित्री निगम	1494–95
श्रीमती यशोदा रेड्डी	1495
डा० सुशीला नायर	1495–98

Discussion *re*: supply of contaminated and polluted water to residents of Delhi	1487-98
Maharajkumar Vijaya Ananda	1487-88
Shrimati Renu Chakravartty	1488-89
Shri J.B. Kriplani	1489
Shri Hari Vishnu Kamath	1489-90
Shri P.R. Patel	1490
Shri Bhagwat Jha Azad	1490
Shri Frank Anthony	1490 91
Dr. K.L. Rao	1491 92
Shri S.M. Banerjee	1492-93
Shri Naval Prabhakar	1493
Shri Bagri	1493-94
Shri P. Venkatasubbiah	1494
Shri Kachhavaiya	1494
Shrimati Savitri Nigam	1494-95
Shrimati Yashoda Reddy	1495
Dr. Sushila Nayar	1495-98

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

1365 (Ai) LS—1.

लोक सभा
LOK SABHA

गुरुवार, 24 सितम्बर, 1964/2 आश्विन, 1886 (शक)

Thursday, September 24, 1964/Asvina 2, 1886 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the clock

(**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए)

MR. SPEAKER *in the chair*

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

तृतीय योजना में बिजली की आवश्यकता

\+

*373. { **श्री पें० वेंकटासुब्बया :**
श्री श० ना० चतुर्वेदी : }

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तृतीय योजना की शेष अवधि के लिये देश की जल विद्युत् एवं तापीय विद्युत् आवश्यकताओं के बारे में कोई निर्धारण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो निर्धारण के अनुसार विद्युत् जनन में कितनी कमी है; और

(ग) इस कमी को पूरा करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). तृतीय योजना में दस लाख किलोवाट बिजली की कमी की सम्भावना है। इस में से अधिकतर मार्च, 1966 के बाद छः मास में ही पूरी हो जाने की सम्भावना है। इस बीच परियोजना की यथा सम्भव शीघ्र क्रियान्विति के लिए भरसक प्रयास किया जा रहा है।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : योजना के मध्यवर्ती मूल्यांकन के समय यह परिकल्पना की गई थी कि निर्धारित लक्ष्य से केवल 60 हजार किलोवाट का उत्पादन कम होगा और अब माननीय मंत्री ने बताया है कि 10 लाख किलावाट उत्पादन कम होगा। तृतीय योजना के दौरान बिजली के जितने उत्पादन का पूर्वानुमान किया गया था उस में इतनी कमी होने का ठीक ठीक कारण क्या है ?

डा० कु० ल० राव : इस बात की बहुत सावधानी पूर्वक जांच की गई है और कमी का अनुमान इस समय दस लाख किलोवाट का लगाया गया है। इस कमी के चार कारण हैं।

पहला कारण यह है कि कुछ परियोजनाओं के मामले में अन्तर्राज्यिक विवादों को हल करने में विलम्ब हुआ है। फिर, विशेष रूप से अमरीकी और रूसी ऋणों के बारे में, विदेशी मुद्रा के सम्बन्ध में बातचीत करने और उसके तय करने में विलम्ब हुआ है। फिर, परियोजनाओं के स्थलों का चयन करने और सिविल इंजीनियरिंग ठेकेदारों का चयन करने में बिलम्ब हुआ है। अन्तिम कारण यह है कि आणविक बिजलीघर की स्थापना में बिलम्ब हुआ है। उसके 1964 में चालू हो जाने की आशा थी परन्तु दुर्भाग्यवश वह केवल 1968 में ही चालू हो पायेगा।

श्री पं० वेंकटासुब्बया : क्योंकि कुछ राज्य परियोजनाओं की क्रियान्विति के दौरान भी डिजाइनों में परिवर्तन करते रहते हैं अतः कुछ निश्चित परियोजनाओं के निष्पादन में होने वाले दोषों को सुधार करने के हेतु राज्य सरकारों को सुझाव देने के लिये केन्द्रीय सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय ने कुछ समय पूर्व एक प्रति प्रविधिक दल नियुक्त किया था। क्या उस प्रविधिक दल की सिफारिशों अथवा सुझावों को राज्य सरकारों ने पूरी तरह क्रियान्वित किया है ?

डा० कु० ल० राव : इस समिति द्वारा किये गये मूल्यांकन के परिणाम स्वरूप ही हम यह जान सके हैं कि. 10 लाख किलोवाट बिजली का कम उत्पादन होगा। जैसा कि मैं निवेदन कर चुका हूं, इस कमी को भी यथा सम्भव दूर करने के लिये प्रत्येक सम्भव प्रयत्न किया जा रहा है।

श्री श० ना० चतुर्वेदी : देश की शक्ति सम्बन्धी कुल आवश्यकतायें विद्युत् शक्ति से तथा अन्य साधनों से किस अनुपात में पूरी की जायेंगी ?

डा० कु० ल० राव : मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकूंगा। विद्युत् के अतिरिक्त अन्य प्रकार की शक्ति की जितनी आवश्यकता है उसके सम्बन्ध में जानकारी मेरे पास नहीं है।

श्री श० ना० चतुर्वेदी : श्रीमन्, हमारे लिये कठिनाई यह है कि हमारे प्रश्नों को एक साथ इकट्ठा कर दिया जाता है और जो अधिक व्यापक प्रश्न होता है उसे दूसरा स्थान दिया जाता है।

अध्यक्ष महोदय : यदि मैं लगभग समान प्रश्नों को एक साथ न रखूं तो दूसरी कठिनाई खड़ी हो जायेगी अर्थात् यह कि मुझे बाद में प्राप्त होने वाले प्रश्नों को अस्वीकार करना पड़ेगा।

श्री श० ना० चतुर्वेदी : अधिक व्यापक प्रश्न को पहिले स्थान दिया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : हम इसके लिये प्रयत्न करेंगे।

Shri M. L. Dwivedi : Does the assessment of power just now referred to by the hon. Minister includes nuclear power also and if not, could he tell the number of nuclear power stations to be set up during the Fourth Plan period and the energy to be generated by them ?

डा० कु० ल० राव : जी, हां, कमी के अनुमान में वह सम्मिलित है। हम समझते थे कि तृतीय योजना काल में 150 मैगावाट बिजली बनने लगेगी। वह कमी तारापुर के बिजलीघर के तैयार न होने के कारण है। चतुर्थ योजना में हम राणा प्रताप सागर पर बिजली घर स्थापित करेंगे।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : बिजली की इस कमी का विशेषतः किन क्षेत्रों में और किन विशेष परियोजनाओं पर प्रभाव पड़ेगा और इस बीच कमी को शीघ्र दूर करने के लिये सरकार का क्या ठोस कार्यवाही करने का विचार है ?

डा० कु० ल० राव : आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, देहली, राजस्थान, और पंजाब राज्यों में तथा दामोदर घाटी निगम में भी बिजली की कमी रहेगी । इस कमी का एक अच्छा पहलू यह ही है कि मार्च, 1966 के बाद के छः महीनों में यह कमी पूरी हो जायेगी, अर्थात् अप्रैल, मई, जून और इसके आगे मशीनें आती रहेंगी, । इसलिये हमें यह आशा है कि बिजली की इस कमी का प्रभाव बहुत अधिक नहीं होगा ।

श्री हनुमन्तैया : इस कमी को दूर करने के लिये, क्या मंत्री महोदय दक्षिण की बारापोल तथा कालीनाद परियोजनाओं की उपयुक्तता की जांच करेंगे ?

डा० कु० ल० राव : ये परियोजनायें चतुर्थ योजना के लिये । मैसूर राज्य की ये बहुत ही अच्छी परियोजनायें हैं और ऐसी सम्भावना है कि उन में से एक चतुर्थ योजना में सम्मिलित कर ली जायेगी ।

श्री अल्वारेस : गोआ क्षेत्र में विद्युत् की भारी कमी को देखते हुए, क्या दूधसागर जल प्रपात से विद्युत् प्रजनन की व्यवहार्यता की खोज की गई है ?

डा० कु० ल० राव : वर्तमान प्रश्न ततीय योजना से सम्बन्धित है । तीसरी योजना में गोआ प्रदेश में विद्युत् की कोई भारी कमी नहीं है ।

श्री कपूर सिंह : उपभोक्ता की शुल्क का भुगतान, करने की शक्ति और विद्युत् के शुल्कों के बीच जो काफी अन्तर है और जो बढ़ता ही जा रहा है उसे कम करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

डा० कु० ल० राव : जहां तक विद्युत् शुल्क का सम्बन्ध है, उपभोक्ता प्रशुल्कों और विद्युत् से प्राप्त होने वाले राजस्व के विभिन्न पहलुओं की जांच करने के लिये एक समिति नियुक्त की गई है और हमें आशा है कि इस वर्ष के अन्त तक प्रतिवेदन प्राप्त हो जायेगा ।

श्री कपूर सिंह : क्या विद्युत् शुल्क सस्ता किया जायेगा ?

डा० कु० ल० राव : प्रतिवेदन के प्राप्त होने के पश्चात् यह मालूम हो सकेगा ।

श्री वारियर : क्या यह सच नहीं है कि केरल राज्य में गत गर्मियों के मौसम में 40 प्रतिशत बिजली कम कर दी गई अथवा काट दी गई थी । क्योंकि अन्य विद्युत् परियोजनायें काम नहीं कर रहीं थीं और हमें मद्रास से बिजली लेनी पड़ी थी ?

डा० कु० ल० राव : यह सच है कि इस वर्ष मानसून के न आने और उसके परिणाम-स्वरूप जलाशयों के न भरे जाने के कारण विशेषतः केरल राज्य में बिजली की कमी हो गई थी । और वह कमी लगभग 40 प्रतिशत थी। परन्तु मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि तृतीय योजना के अन्त में यह कमी पूरी हो जायेगी और यदि रहेगी भी तो वह थोड़ी सी होगी ।

1355 (ai) LS—2.

श्री काशीराम गुप्त : क्या यह सच है कि राजस्थान में कमी का मुख्य कारण वितरण लाइनों के लिये रुपये का उपलब्ध न होना है, और यदि हां, तो क्या तृतीय योजना में वितरण लाइनों के लिये भारत सरकार कोई विशेष अंशदान दे रही है ?

डा० कु० ल० राव : राजस्थान में विद्युत् की कमी दो परियोजनाओं के कारण है, अर्थात् भाखड़ा दक्षिण तक बिजली घर और सतपुरा बिजलीघर, के कारण से । राजस्थान इन दोनों ही परियोजनाओं में भागीदार है और क्योंकि इन दोनों ही परियोजनाओं में इस समय बिजली की कमी है अतः इसके परिणाम स्वरूप राजस्थान में भी कमी है ।

श्री काशीराम गुप्त : वितरण लाइनों के बारे में सरकार का क्या उत्तर है ?

कुछ माननीय सदस्य : उठे ।

अध्यक्ष महोदय : सभी ओर के माननीय सदस्य शक्ति के इतने भूखे हैं कि मैं उन सभी को संतुष्ट नहीं कर सकता हूं । अब अगला प्रश्न ।

दिल्ली विकास प्राधिकार

+

*374. **श्री यशपाल सिंह** :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री कपूर सिंह :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकार ने बिना टैंडर मंगाये भारत सेवक समाज को कुछ ठेके दिये थे ;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण थे ; और

(ग) इस प्रकार की गलतियां फिर न दोहराई जायें इसके लिये क्या कार्यवाहियां की जा रही हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

दिल्ली विकास प्राधिकार के सभी इंजीनियरी कार्य केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निक्षेप कर्मान्त के रूप में किये जाते हैं अतः प्राधिकार द्वारा भारत सेवक समाज को कोई इंजीनियरी कार्य नहीं सौंपा गया था तथापि दिल्ली विकास प्राधिकार के तीन कार्य केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग ने बात चीत के आधार पर, टेण्डर पर, आमंत्रित किये बगैर ही, भारत सेवक समाज को दे दिये गये थे जिनका कारण सहित ब्यौरा नीचे दिया जाता है :—

1. रिंग रोड के पूर्व तथा नरैना गांव के उत्तर में आवासिक बस्ती के लिए 161 एकड़ भूमि का विकास । एस० एच० सड़कें एवं रास्ते (संविदा मूल्य 2,18,225 रुपये)

2. पटेल रोड़ को पूसा इंस्टीट्यूट के पश्चिम वाली रिंग रोड से मिलाने वाली सड़क का निर्माण (संविदा मूल्य 1,49,203 रुपये) ।

3. औद्योगिक कार्य के लिए नरैना गांव के उत्तर पश्चिम और रेवाड़ी जाने वाली रेलवे लाइन के दक्षिण पूर्व में 129.45 एकड़ भूमि का विकास फेज- 1 (संविदा मूल्य 1,74,276 रुपये)।

यह तीन कार्य भारत सेवक समाज को एक ही समय और एक ही दर पर दिये गये अतः इन कामों को एक साथ ही गिना जाना चाहिये। नरैना गांव के नजदीक विकास कार्य चालू होने के कारण यह वांछनीय समझा गया कि इस क्षेत्र का यह टीला एकसार कर दिया जाये ताकि इसको एक पार्क में बदला जा सके। भारत सेवक समाज से पूछा गया कि क्या वे इस क्षेत्र को उत्खनन द्वारा एकसार कर सकते हैं और इसके साथ ही पड़ौसी विकास क्षेत्रों में सड़क कार्यों के लिए पत्थर और रोड़ी दे सकते हैं तो भारत सेवक समाज ने हां कर दी और उन्हें ये उपर्युक्त तीन काम अनुमानित दर से 38 प्रतिशत अधिक दर पर बातचीत के आधार पर ही दे दिये गये। इस में संग्रहण और समेकन सम्मिलत हैं। भारत सेवक समाज जो नया उत्खनन शुरू करेगा तथा निर्धारित स्तरों तक जमीन को एक सार करेगा उस पर होने वाला अतिरिक्त व्यय को ध्यान में रखते हुये यह दर स्वीकार की गई थी।

इन उपर्युक्त कार्यों के अतिरिक्त भारत सेवक समाज को बातचीत के आधार पर 11 काम और दिये गये क्योंकि इन कार्यों के लिए काफी टैण्डर नहीं आये थे?

(ग) इस में कोई गलती नहीं हुई है। केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग जब आवश्यक समझता है ठेकेदारों को बातचीत के द्वारा ही काम दे दिया जाता है। यह एक सामान्य तरीका है।

Shri Yashpal Singh : Is it not a fact that the President of Bharat Sevak Samaj is our Union Home Minister, Shri Nanda, and if so, does it not come under the office of profit according to the prevalent laws of our land that the contracts are awarded to an institution having such a big Minister as its President.

Dr. Sushila Nayar : Mr. Nanda's being President of the Samaj has not got much concern with this since Bharat Sevak Samaj is a registered organisation and its profits do not go to any particular individual ; if there is little profit to the Samaj that is spent over public service.

Shri Yashpal Singh : Is it a fact that it has been stated in the report of Public Accounts Committee that these contracts have given loss to the Government ?

Dr. Sushila Nayar : At present I am not aware of that which has been: stated in the report of the Public Accounts Committee.

कुछ माननीय सदस्य उठे।

श्री स० मो० बनर्जी : वह तो इसी सदन की समिति का प्रतिवेदन है।

Shri Y.S. Chaudhary : That is a Committee of this House.

अध्यक्ष महोदय : मैं इस बात से सहमत हूं कि माननीय मंत्री को यह मालूम होना चाहिये कि प्रतिवदन में क्या कहा गया है। परन्तु इसके अतिरिक्त एक बात और है और वह यह है कि जो बात प्रतिवेदन में दी हुई है वह यहां पर नहीं पूछी जानी चाहिये।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : उन्हें यह बात मालूम तो होनी चाहिये परन्तु वह प्रतिवेदन को अपनी जेब में तो नहीं लिये फिरेंगी ।

Shri Sheo Narain : The hon, Member is not asking about the report but about that which has been stated in the report.

Dr. Sushila Nayar : I can say only this much that I have seen papers regarding all the contracts given to Bharat Sevak Samaj. The contractors were either not interested in these contracts or if any contract was awarded to them they did not complete the work and left the contract. The contracts were normally awarded to Bharat Sewak Samaj at a little lower rates then those at which contractors were ready to work.

श्री इन्द्रजीत गुप्त : सभा-पटल पर रखे गये विवरण में यह कहा गया है कि टेन्डर आमंत्रित न करने का कारण यह था कि टैण्डर आमंत्रित करने पर बहुत कम टैण्डर आये थे, परन्तु दिल्ली विकास प्राधिकार के तीन कार्यों के बारे में वास्तव में ऐसा नहीं है, परन्तु यह तो अन्य ग्यारह कार्यों के बारे में है । माननीय मंत्री का यह उत्तर कि ठेकेदारों से बहुत कम टैण्डर प्राप्त हुए थे तभी ठीक हो सकता था जब कि टैण्डर आमंत्रित किये गये होते । इसका क्या कारण है कि दिल्ली विकास प्राधिकार के तीन कार्यों के मामले में टैण्डर आमंत्रित ही नहीं किये गये थे, यद्यपि विवरण में यह कहा गया है कि ये कार्य अनुमानित दर से 38 प्रतिशत अधिक पर भारत सेवक समाज को दिये गये थे ?

डा० सुशीला नायर : टैण्डर आमंत्रित किये गये थे । ठेकेदारों ने जो दरें बताई थीं वह अनुमानित दर से 38 प्रतिशत से अधिक से भी ज्यादा थीं और कथित भाव से कम पर कार्य भारत सेवक समाज को दे दिया गया था । प्रत्येक मामले में कागजात मेरे सामने हैं और यदि माननीय सदस्य की इच्छा हो तो मैं उन्हें ब्यौरे बता सकती हूं । यदि आप चाहें तो मैं प्रत्येक मामले के ब्यौरे पढ़ने के लिये तैयार हूं । वह सत्तरह पृष्ठों में हैं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : विवरण में यह जानकारी नहीं दी गई है कि ठेकेदारों से काम करने के लिये कहा गया था परन्तु वे निर्धारित दरों पर काम करने के लिये तैयार नहीं हुए । इसका विवरण में कुछ भी उल्लेख नहीं है ।

Shri Vishram Prasad : May I know as to why these contracts were given to Bharat Sewak Samaj without getting any tenders from them and why favour was shown to Bharat Sewak Samaj ?

Mr. Speaker : The hon. Minister has already replied to this. If the hon. Member is not satisfied with the reply and wants further information, there are other ways open for him to get the same.

Shri Vishram Prasad : According to the rules no contract should be awarded without inviting tenders.

Mr. Speaker : As far as I have understood, the hon. Minister has stated that it can be given under certain specific conditions and that the rules have not been violated.

श्री कपूर सिंह : क्या भारत सेवक समाज स्वयंसेवी राष्ट्रीय सेवा की एक संस्था है अथवा एक वाणिज्यिक उपक्रम है; यदि वह वाणिज्यिक उपक्रम है, तो फिर उसे बड़े बड़े सरकारी अनुदान क्यों दिये जाते हैं ?

डा० सुशीला नायर : भारत सेवक समाज को कुछ कार्य इसलिये सौंपे गये हैं जिस से कि ठेकेदारों के भारी लाभ कमाने के कारण जो उनके अधीन कार्य करने वाले निर्धन लोग लाभ से बंचित रह जाते हैं उसके बजाय वास्तविक कार्य करने वाले उन गरीब लोगों को अपने कार्य का पूरा मूल्य मिल सके। जहां तक मुझे मालूम है, भारत सेवक समाज को जो अनुदान दिये जाते हैं वह किन्हीं विशेष प्रयोजनों के लिये ही दिये जाते हैं। स्वयं सेवी संस्थाओं के लेखे की कोई भी व्यक्ति जांच कर सकता है और मुझे विश्वास है कि भारत सेवक समाज अपने लेखा की जांच के इच्छुक व्यक्ति का स्वागत करेगा ।

श्री कपूर सिंह : मेरा प्रश्न तो सिद्धान्त के बारे में था । या तो वह उसे समझी नहीं हैं अथवा उन्होंने उसे टाल दिया है, दोनों में से एक बात है ।

अध्यक्ष महोदय : दोनों ही हो सकती हैं।

Shri M.L. Dwivedi : The hon. Members on the other side are more interested in this that the profits may go to the contractors and not to the voluntary institutions like Bharat Sevak Samaj. May I know whether the work done by Bharat Sewak Samaj is better or worse than that done by the contractors ?

Shri Vishram Prasad : It is worse as well as costs more than that.

Dr. Sushila Nayar : The work done, to the best of my knowledge, is good and has not costed more than that it would have costed if given to contractors. In some cases it has been given to the Samaj for less than the quotation. In one or two cases it might be even a little more but taking the overall position the cost is not more.

श्री हेम बरुआ : टैण्डर आमंत्रित नहीं किये गये थे और यह ठेका भारत सेवक समाज को दे दिया गया था । वह यह किस प्रकार कह सकती हैं कि भारत सेवक समाज को यह ठेका ठेकेदारों के बराबर के अथवा उससे कम मूल्य पर दिया गया था ? टैण्डर आमंत्रित किये बगैर ही और इन मामलों का विस्तृत अध्ययन किये बग़ैर ही वह किस प्रकार यह सब बातें कह रही हैं?

डा० सुशीला नायर : श्रीमन्, क्या मैं आपकी अनुमति से एक दो मामलों के ब्यौरे पढ़ कर सुना सकती हूं जिस से कि, माननीय सदस्यों की संतुष्टि के लिये, यह पता चल जायेगा कि कार्य किस प्रकार किया गया है ?

श्री स० मो० बनर्जी : यह सब बातें विवरण में ही दी जानी चाहिये थीं ।

श्री रंगा : उन्हें यह जानकारी देने की अनुमति दी जाये।

श्री स० मो० बनर्जी : वह उचित स्थान पर दी जानी चाहिये थी।

डा० सुशीला नायर : हम विवरण को यथासम्भव संक्षिप्त रूप में देने का प्रयत्न करते हैं । यह विवरण कदाचित हमें सत्तरह पृष्ठों में ही देना चाहिये था । परन्तु मैं ने इसे आवश्यक नहीं समझा था । पहले मैं इन तीन कार्यों के ब्यौरे बताती हूं : 1. रिंग रोड के पूर्व तथा नरैना गांव के उत्तर में आवासिक बस्ती के लिये 161 एकड़ भूमि का विकास । 2. पटेल रोड़ को पूसा इंस्टीट्यूट के पश्चिम वाली रिंग रोड से मिलाने वाली सड़क का निर्माण । 3. नरैना गांव के उत्तर पश्चिम में 129.45 एकड़ भूमि का विकास । यह तीन कार्य

भारत सेवक समाज को एक ही समय और एकही दर पर दिये गये थे अतः इन कामों को एक साथ गिना जाना चाहिये। बात यह हुई थी कि पहले पहल जब यह ठेके ठेकेदारों को दिये गये थे तो या तो उन्होंने काम बीच में ही छोड़ दिया था अथवा फिर उनकी ठेके की दरें बहुत अधिक थीं। इन में से कुछ ठेके भारत सेवक समाज से भी वापस ले लिये गये थे और बाद में उन्हें और दूसरे ही लोगों से कराना पड़ा था।

उन ग्यारह कार्यों में से एक कार्य यह है : नफ़ज़ गढ़ रीड़ पर 65 एकड़ भूमि का विकास।

Shri Y. S. Chaudhary : What is the use of all this information ?

Mr. Speaker : Somehon. Members want that this information may be given while s?me others say that it need not; what is the use of all this ?

श्री दाजी : वह जानकारी हमारी समझ में तो आनी चाहिये। श्रीमन् क्या वह आपकी समझ में आ रही है ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने स्वयं इस बात की मांग की थी कि यह जानकारी दी जाये।

Shri Dhaji : But it must be a little intelligible to us.

श्री बासप्पा : क्या इस संस्था के हिसाब किताब की लेखा-परीक्षा की जाती है और क्या इसको कुछ लाभ भी हुआ है और यदि हुआ है तो वह किस प्रकार बांटा गया है ?

डा० सुशीला नायर : प्रत्येक पंजीकृत स्वयंसेवी संस्था को अपने लेखे का एक विवरण देना होता है जिसकी की लेखा–परीक्षा की हुई होती है। भारत सेवक समाज के साथ मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है परन्तु मैं यह नहीं समझती कि भारत सेवक समाज इस से किसी पृथक नीति पर चल रहा है ?

श्री स० मो० बनर्जी : विवरण से यह मालूम होता है कि दिल्ली विकास प्राधिकार ने ये ठेके बिना टैण्डर आमन्त्रित किये ही दे दिये थे। क्या ऐसा भी कोई उदाहरण है जिस में कि दिल्ली विकास प्राधिकार ने बिना टैण्डर मंगाये ही किसी ठेकेदार को कोई ठेका दे दिया हो और यदि हां, तो उन के इस प्रथा से विलग होने का क्या कारण है और क्या यह ठेका इसलिये दिया गया था कि किसी सर्वोच्च-पदस्थ व्यक्ति ने इसके लिये दबाव डाला था ?

डा० सुशीला नायर : यह बात सच नहीं है। कुछ मामले ऐसे हैं जिन में ग़ैर सरकारी ठेकेदारों से तथा साथ ही भारत सेवक समाज से भी बातचीत की गई थी। एक मामला ऐसा है जिसमें एक ठेकेदार श्री भसीन ने अनुमानित दर से 76.54 प्रतिशत अधिक पर ठेका लेना चाहा था और अन्त में वह ठेका भारत सेवक समाज को अनुमानित दर से 28.50 प्रतिशत अधिकपर दिया गया था। मैं नहीं समझती कि इस आधार पर किसी ठेके को देने में कोई अनुचित बात है।

श्री स० मो० बनर्जी : श्रीमन्, मैं व्यवस्था का एक प्रश्न उठाना चाहता हूं। मैं ने एक सीधा सवाल पूछा था कि क्या दिल्ली विकास प्राधिकार की आम प्रथा यह थी कि बिना टैण्डर आमंत्रित किये कोई ठेका न दिया जाये और यह कि इस मामले में इस आम प्रथा को तोड़ दिया गया था ?

डा० सुशीला नायर : दिल्ली विकास प्राधिकार सामान्यतया अपना कार्य केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग के द्वारा कराता है। ऐसे बहुत से मामले हुए हैं जिन में केन्दीय लोक निर्माण विभाग ने टेंडर आमंत्रित किये थे और उन ठेकों में या तो ठेकेदारों की रूचि नहीं पाई गई थी अथवा उन्होंने जो दरें बताई थीं वह बहुत अधिक थीं। इसके बाद एक अविलम्बनीय कार्य कराना था और उसके लिये मुख्य आयुक्त ने एच० एस० एस० के साथ बात चीत करन उचित समझा। ये छोटे छोटे काय थे उसने उन्हें एच० एस० एस० को उन दरों के हिसाब से ठेका दे दिया जो कि ठेकेदारों की दरों से पहिले ही कहीं अधिक अच्छी पाई जा चुकी थीं।

Shri Achal Singh : Will it not be advisable that in future works are awarded to Bharat Sewak Samaj only after inviting tenders ?

Mr. Speaker: This is an advice.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : The hon. Minister has just stated that three-four works were awarded May I know the exact number of contracts given to Bharat Sewak Samaj. Their contract values and whether Bharat Sewak Samaj further gave these contracts to other contractors and then completed the work ?

Dr. Sushila Nayar : I can give you the number of total contracts... (*Interruptions*)

Mr. Speaker : In one question the total number of contracts given has been enquired and the other question which is being much pressed is as to whether the Bharat Sewak Samaj for the works done by further giving them to, other contractors.

Dr. Sushila Nayar : I have not got any such information that the works were got done by some other contractors. One contract was for Rs. 4·52 lakhs and others for Rs. 1·13 lakhs, Rs. 1.89 lakhs, Rs. 16 or 17 thousand, Rs. 4·94 lakhs and Rs. 21 thousand.'and likewise. Thus the different contracts were for different values. They were not very big contracts.

I may also submit in this connection that Bharat Sewak Samaj is carrying on quarrying operations near Chandrawal. The Chief Commissioner considered if desirable to take that stone and ballast directly ftom Bharat Sewak, Samaj after negotiating with them rather than Delhi Development Authority would take it through some contractor who purchases it from Bharat Sewak Samaj.

श्रीमती यशोदा रेड्डी : मैं सरकार से ईमानदारी से यह जानना चाहती हूं ...

कुछ माननीय सदस्य : कि जब सरकार भारत सेवक समाज को निर्माण अथवा इमारत के कार्य के लिये प्रोत्साहन देती है तो क्या केवल इसी बात का ख्याल रखा जाता है कि उनकी दरें कम होती हैं अथवा क्या इस बात का भी ख्याल रखा जाता है कि क्या उसे कुछ अनुभव आदि भी हैं।

डा० सुशीला नायर : यह आश्चर्य की बात है। एक ओर तो मेरे माननीय मित्र इस बात के इच्छुक हैं कि बिचोलियों के मुनाफे को कम से कम कर दिया जाये ... **(अन्तर्बाधाएं)**। मुझे उत्तर समाप्त कर लेने दीजिये। यदि सरकार स्वयंसेवी संस्थाओं का फायदा उठा कर बिचौलियों के मुनाफे को कम करने का प्रयत्न करती है तो वे ऐसा कहते हैं ...

श्री हनुमन्तैया : मेरा एक औचित्य प्रश्न है ।

डा० सुशीला नायर : मुझे कृपया समाप्त कर लेने दीजिये । जहां भी इस संस्था को काम दिया गया है इजीनियरों ने यह सुनिश्चित कर लिया है कि जो काम किया गया है वह अपेक्षित स्तर का है ।

श्री हनुमन्तैया : औचित्य प्रश्न यह है । वह भारत सेवक समाज की अच्छाइयों की व्याख्या कर रही थीं और विषय पर कोई जानकारी नहीं दे रही थीं ।

श्री अ० प्र० जैन : हम इसे सुनना चाहते थे ।

श्री हनुमन्तैया : दूसरे, उन्होंने कहा है कि भारत सेवक समाज के लेखों के बारे में उन्हें कोई ज्ञान नहीं है, फिर वह यह कैसे कह सकती हैं कि बिचौलिये का मुनाफा नहीं रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : आपके पड़ौसी श्री जैन ने कहा कि वह इसे सुनना चाहते थे ।

श्री अ० प्र० जैन : जी, हां ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

डा० सुशीला नायर : मेरे बिचार में, मैं ने जो कछ कहा है माननीय सदस्य ने उसको सरासर गलत समझा है ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

बर्ड एन्ड कम्पनी

\+

*375. **श्री स० मो० बनर्जी** :
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :

क्या वित्त मंत्री 5 मार्च, 1964 को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या 455 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी मुद्राविनियमन अधिनियम के कथित उल्लंघन के संबंध में बर्ड एंड कम्पनी के मामले की जांच इस बीच पूरी हो गई है ; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी, नही ।

(ख) जो मामले कलकत्ता सीमा–शुल्क कार्यालय द्वारा शुरू किये गये थे, उनको यह फर्म कलकत्ता उच्च न्यायालय में ले गयी है और ये मामले न्यायालय के विचाराधीन हैं । लेकिन जो मामले प्रवर्तन निर्देशालय के पास हैं, उन के बारे में निर्णय करने का काम शुरू हो चुका है और आशा है कि इन मामलों को जल्दी ही निपटा लिया जायेगा ।

श्री स० मो० बनर्जी : मार्च, 1964 में माननीय मंत्री ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया था कि समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम और विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना जारी की गई थी और यह कि अग्रेत्तर जांच भी जारी थी। अब भी

उन्होंने केवल थोड़े से अन्तर के साथ उसी उत्तर को दोहराया है और वह यह कि सीमा शुल्क के मामले के बारे में फर्म ने उच्च न्यायालय में मुकद्दमा दायर किया है । मैं जानना चाहता हूं कि उन पर पहले से मुकद्दमा क्यों नहीं चलाया गया और उन्हें उच्च न्यायालय को क्यों परिचालित करने दिया, और उन्हें 6 या आठ महीने का समय क्यों दिया गया था ।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न कि उन्हें न्यायालय को परिचालित करने की आज्ञा क्यों नहीं दी गई बड़ा अजीब सा है । प्रश्न इस रूप में नहीं होना चाहिये । उन के प्रश्न का अर्थ यह है कि इतनी देर क्यों की गई कि उन्हें इतना अधिक समय मिल गया ।

श्री स० मो० बनर्जी : आपको याद होगा कि यह प्रश्न पहली बार 12 दिसम्बर, 1963 को उठाया गया था ।

श्री ब० रा० भगत : जैसा कि आ ने बताया किसी भी व्यक्ति को न्यायालय में जाने का अधिकार है और यह इसलिए नहीं कि . . .

अध्यक्ष महोदय : आपत्ति यह है कि सरकार ने सुस्ती से काम लिया और उन्हें इस पर विचार करने के लिए काफी समय मिल गया ।

श्री ब० रा० भगत : मैं यही बताने वाला हूं कि इसका समय से कोई सम्बन्ध नहीं है । कारण बताओ—सूचना सुनी गई थी और मामला उलझा हुआ और बड़ा था, और उन्हें कुछ समय चाहिये था । समय दे दिया गया था । जब व्यक्तिगत सुनवाई के लिये मामले की तारीख निश्चित की गई तो सुनवाई के समय उन्होंने क्षेत्राधिकार का प्रश्न उठाया; उन्हें शक पड़ा कि न्यायाधिकरण के लिये यह वैध क्षेत्राधिकार है, और वे न्यायालय में मामला ले जाना चाहते थे । तत्पश्चात् वे न्यायालय में गये और उच्च न्यायालय ने कार्यवाही रोक दी है । दूसरा समय से कोई सम्बन्ध नहीं है ; यह कानून का प्रश्न है ।

श्री स० मो० बनर्जी : यह प्रश्न पहली बार 12 दिसम्बर, 1963 को इस सभा में पूछा गया था, और अनेक प्रश्न पूछने के पश्चात हमें बताया गया था—क्या मंत्री का लड़का इस मामले में था अथवा नहीं और बहुत से प्रश्न और हमें उत्तर नहीं दिया गया—कि मामलों को अन्तिम रूप देने के शीघ्र पश्चात् कार्यवाही की जायेगी । दिसम्बर 1963 से आज तक विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम अथवा अन्य किसी अधिनियम के अन्तर्गत उन पर मुकद्दमा चलाने के लिये क्या ठोस कार्यवाही की गई है और यह देरी क्यों हुई ?

श्री ब० रा० भगत : मुझे खेद है कि माननीय सदस्य यह नहीं समझ पाये कि एक मामले में कार्यवाही उच्च न्यायालय द्वारा रोक दी गई है । दूसरे मामले में हम पहले ही बता चुके हैं कि इसका शीघ्र ही निर्णय किया जा रहा है । इसलिये कोई देरी नहीं हुई है ।

श्री स० मो० बनर्जी : मुकदमा चलाने में देरी क्यों हुई ? मुकदमा क्यों नहीं चलाया गया ?

अध्यक्ष महोदय : वह कहते हैं कि जहां तक एक मामले का संबंध है . . .

श्री स० मो० बनर्जी : मैं यह बात समझ गया हूं ।

अध्यक्ष महोदय : फिर उन्हें यह प्रश्न नहीं उठाना चाहिये ।

श्री स० मो० बनर्जी : दूसरे मामले में देरी क्यों हुई— विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम संबंधी मामला ?

अध्यक्ष महोदय : उसके बारे में उन्होंने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय पहले से ही उस पर कार्यवाही कर रहा है ।

श्री स० मो० बनर्जी : इतनी देरी क्यों हुई ?

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : इन मामलों में शीघ्र मुकदमा चलाने के संबंध में सरकार के मार्ग में क्या कठिनाई है ? मैं विलम्ब का कारण जानना चाहती हूं ।

श्री ब० रा० भगत : पहले मामलों में न्यायालय ने कार्यवाही रोक दी है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : किस अवस्था पर; जब मुकदमा दायर किया गया क्या उस समय रोका गया ?

अध्यक्ष महोदय : पहले मामले जो इस समय उच्च न्यायालय के समक्ष हैं उन के बारे में अभी तक किसी ने प्रश्न नहीं उठाया है । माननीय सदस्य दूसरे ग्रुप के मामलों के बारे में जानने के लिये इच्छुक हैं ।

श्री ब० रा० भगत : मैं यही बताने जा रहा था । दूसरे ग्रुप के मामलों के संबंध में, कानून के अनुसार—हमें कानून के अनुसार चलना है उसके दायरे से बाहर नहीं—विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत न्यायनिर्णयन प्रवर्तन के निदेशक द्वारा किया जाता है । ज्यों ही वह न्यायनिर्णयन पूरा हो जायेगा—यह शीघ्र ही पूरा होने वाला है—प्रवर्तन निदेशालय का निदेशक इस बात का फैसला करेगा कि अर्थदण्ड दिया जाये अथवा मुकदमा चलाया जाय । वह सरकार से कह सकता है कि मुकदमा चलाया जाये या वह न्यामालय में मुकदमा दायर कर सकता है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : श्रीमन, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है । मुकदमे के लिये शीघ्र कदम उठाने के लिये सरकार के मार्ग में क्या कठिनाइयां हैं ? यदि न्यायनिर्णयन में एक वर्ष लगता है तो मुकदमे में कितना समय लगेगा ?

अध्यक्ष महोदय : इस में वह कुछ नहीं कर सकते ? उनका उत्तर यह है कि कानून के अनुसार न्यायनिर्णयन प्रवर्तन के निदेशक द्वारा किया जाना है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : न्यायनिर्णयन में पूरा एक वर्ष क्यों लग गया है ?

श्री ब० रा० भगत : कौन सा न्यायनिर्णयन, दूसरे ग्रुप का ?

श्री रंगा : पहला दूसरा अथवा तीसरा ग्रुप ।

श्री स० मो० बनर्जी : आप इसे अच्छी तरह समझ गये हैं । आप जानते हैं कि यह क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति । इस तरीके से प्रश्न नहीं रखना चाहिये ।

श्री रंगा : श्रीमन, एक विशिष्ट प्रश्न पूछा गया है । मंत्री के लिये उत्तर देना क्यों कठिन बन गया है ? प्रश्न दूसरे ग्रुप के मामलों के बारे में है जहां उच्च न्यायालय की सहायता नहीं मांगी गई है । न्याय-निर्णयन करने और फैसला करने में उन्हें इतना समय क्यों लग गया है ? कहा जाता है कि इस में एक वर्ष से अधिक समय लग गया है ।

अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि प्रवर्तन के निदेशक ने इतना समय क्यों लगाया ?

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : जी, हां ।

श्री ब० रा० भगत : श्रीमन, जैसा कि मैं ने बताया यह एक बड़ा जटिल मामला था।

श्री दाजी : क्या जटिलता है ? क्या इसलिये कि इस में कुछ बड़े व्यक्ति, कुछ प्रभावशाली व्यक्ति फंसे हुए हैं ?

श्री स० मो० बनर्जी : मंत्रियों के लड़के फंसे हुए हैं।

श्री ब० रा० भगत : माननीय सदस्य जो कुछ कह रहे हैं उस में सचाई नहीं है । न्याय-निर्णयन के पूरा होने पर तथ्य सामने आ जायेंगे । परन्तु कोई अनुचित देरी नहीं हुई है । उसने अपना भरसक प्रयत्न किया है । दस्तावेज कुछ इस प्रकार के थे कि इतना समय लग गया है। दस्तावेज़ बड़ी संख्या में हैं। उसे उन सब की जांच करनी है । बहुत शीघ्र, एक या दो सप्ताह में यह काम पूरा हो जायेगा ।

श्री हरि विष्णु कामत : उस समय तक पक्षी उड़ जायेगा ।

श्री हेम बरुआ : क्या यह सच है कि उच्च स्थानों के कुछ भारतीय व्यक्ति या तो स्वयं या उच्च स्थानों के व्यक्तियों से संबंधित व्यक्ति विदेशी मुद्राविनिमयन के उल्लंघन के इस विशेष मामले में फंसे हुए हैं, यदि हां, तो उन व्यक्तियों के क्या नाम हैं ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : मैं नहीं जानता "उच्च स्थानों" से माननीय सदस्य का क्या तात्पर्य है; क्या इस से उनका आशय फर्मों में उच्च स्थानों से है अथवा वाणिज्यिक संसार में उच्च स्थानों से । मैं नहीं जानता कि उच्च स्थान के किसी व्यक्ति ने इस मामले के संबंध में सरकार पर प्रभाव डाला हो । मैं माननीय सदस्यों को बता दूं कि जहां तक मेरा और मेरे साथी का सम्बन्ध है, हम इस मामले को निपटा देना चाहते हैं; इस सभा में विलम्ब के संबंध में प्रायः प्रश्नों के उत्तर देकर हम खुश नहीं हैं। परन्तु यह एक ऐसा मामला है जिस में बड़ी संख्या में दस्तावेज़ पकड़े गये हैं। परसों मैं जांच अधिकारी से मिला था । उस ने मुझे बताया कि इन दस्तावेजों को छांटने के लिये उसे और कर्मचारी और स्थान चाहिये। जांच अधिकारी के पास असंख्य दस्तावेज आये हैं। निश्चय ही उन्हें छांटने में समय लगा। इस बीच कुछ मामलों को प्रसुप्तावस्था में छोड़ दिया गया है क्योंकि वे न्यायालय के सामने आ गए हैं । फिर दूसरा प्रश्न यह है कि मुकदमा क्यों नहीं चलया गया । मुख्यतः इस बात का फैसला प्रवर्तन के निदेशक को करना होता है । वास्तव में मुझे माननीय सदस्यों को यह बताने से गरेज़ नहीं है कि मैं ने एक बार यह प्रश्न उठाया था कि मुकदमा क्यों नहीं चलाय गया। और यद्यपि राजस्व का प्रश्न बहुत महत्त्वपूर्ण नहीं है, मुकदमा अवश्य चलाया जाना चाहिये। मेरे अपने विचार ये थे। परन्तु मुख्यतः प्रवर्तक के निदेशक को ही, जो इस मामले का प्रभारी है, यह फैसला करना है कि क्या उस के विचार में मुकदमा चलाया जाये अथवा उसे जो अधिकार प्राप्त हैं क्या उनके अनुसार विशिष्ट व्यक्ति को अर्थदण्ड दिया जाये। मामले को शीघ्र निपटाने के संबंध में कोई आश्वासन नहीं दे सकता । यह मेरे हाथ में नहीं है । यह वहां पर जो व्यक्ति हैं उनके हाथों में है । इस मामले की बातों का पता लगाने और उन्हें निपटाने में सरकार भी

समान रूप से रूचि रखती है । हमें सभा में बार बार यह कहने में कोई आनन्द नहीं आता कि मामला विचाराधीन है । परन्तु जैसा कि माननीय सदस्यों को पता है कार्यवाहियों में विलम्ब के लिये पक्ष अपना पूरा प्रयत्न करते हैं जिस के ऊपर वास्तव में हमारा कोई जोर नहीं है . . . (अन्तर्बाधा) ।

श्री स० मो० बनर्जी : हम नाम जानना चाहते हैं ?

श्री हेम बरुआ : मैं ने इस मामले में अन्तर्गस्त व्यक्तियों के नाम पूछे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : यदि निदेशालय द्वारा इसकी जांच की जा रही है, तो इसका पता लग जायेगा .... **(अन्तर्बाधा)** ।

श्री स० मो० बनर्जी : श्री डांगे का नाम घोषित किया गया था । प्रत्येक व्यक्ति का नाम इस सभा में घोषित किया गया था । बर्ड ऐंड कम्पनी , श्री डांगे से बड़ी नहीं है । फिर नाम घोषित क्यों नहीं किये जाते हैं ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त उठे —

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति । परन्तु उस लम्बे विवरण के पश्चात . . . **(अन्तर्बाधा)** ।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मुझे किसी नाम का पता नहीं है । इसलिये मेरे से पूछने का कोई फायदा नहीं है । यदि मेरा ज्ञान अपूर्ण है तो यह माननीय सदस्यों के इस बहुत ही वांछनीय प्रश्न का उत्तर देने के लिये भी अपूर्ण है . . **(अन्तर्बाधा)** ।

श्री दाजी : आप उन पर पर्दा डालने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं नाम नहीं पढ़ सकता . . . **(अन्तर्बाधा)** ।

श्री दाजी : आप उनके नाम जानते हैं . . . **(अन्तर्बाधा)** ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न । श्री दी० चं० शर्मा ।

श्री स० मो० बनर्जी : वे बर्ड एंड कम्पनी की रक्षा कर रहे हैं । आपको हमारी रक्षा करनी चाहिये । **(अन्तर्बाधा)**

सरकारी क्षेत्र की परियोजनायें

\+

*376. **श्री यशपाल सिंह** :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री धवन :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों से कहा गया है कि वह सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक कार्यक्रमों को शीघ्र कार्यान्वित करें ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में उन्होंने क्या कार्यवाही की है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख) औद्योगिक परियोजनाओं सहित राज्य परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा सम्बद्ध मंत्रालयों और योजना आयोग द्वारा समय समय पर की जाती है और कार्यक्रमों पर तेजी से अमल करने के लिए परामर्श अथवा सहायता दी जाती है ।

Shri Yashpal Singh : In this very House the hon. Finance Minister had once remarked that if we are not able to earn profits to the tune of Rs. 450 crores in the Public Sector, we are not likely to succeed in our third five year plan. May I know the amount so far saved by the Government ?

Shri B.R. Bhagat : This question does not arise from the main question which pertains to the projects under State Governments. As regards saving, if the projects are commissioned at proper time and if they are run efficiently and economically, lot of saving can be effected.

Shri Yashpal Singh : According to the statistics of the Government what amount has so far been saved in steel alone ?

Mr. Speaker : To which public sector the hon. Member is referring public sector of state Governments or that of the Central Government ?

Shri Yashpal Singh : He may tell about the public sector of Central Government.

Mr. Speaker : If you ask about the Central Government he would say that the question pertains to the State Governments.

Shri Yashpal Singh : I only mean to say that according to the information available Government might tell the amount so far saved so that we may just have a rough idea whether or not we shall be able to save Rs. 450 crores.

Mr. Speaker : But the question relates to the State Governments .

श्री दाजी : इस समय राज्य सरकारों की जो सरकारी क्षेत्र की परियोजनाएं हैं, क्या उन में से कुछ की शीघ्र क्रियान्विति के लिये केन्द्रीय सरकार उनको अपने हाथ में लेने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

श्री ब० रा० भगत : कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : सरकार का यह अनुभव कहां तक है कि भूमि अर्जन अथवा निर्माण कार्य आदि जैसे सहायक कार्यों में राज्य सरकारों द्वारा ढील दिये जाने के कारण केन्द्रीय सरकार की कुछ परियोजनाओं की क्रियान्विति में देर हो गई है ?

श्री ब० रा० भगत : गत वर्षों में भूमि अर्जन अथवा अन्य सहायक सुविधाओं में विलम्ब के कारण कुछ देरी हुई है परन्तु ज्यों ज्यों अनुभव बढ़ता गया और हमें कठिनाइयों का पता लगता रहा, इन अड़चनों को दूर कर दिया गया है । अब राज्य सरकारें अपने राज्य की परियोजनाओं के कुछ मामलों में पूर्ण सहयोग दे रही है।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी: राज्य क्षेत्र के औद्योगिक उपक्रमों में निर्माण लागत और उत्पादन की दर के संबंध में क्या कोई मूल्यांकन किया गया है, यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला और क्या सरकार ने औद्योगिक परियोजनाओं के राज्य क्षेत्र में पहले से ही विनियोजन के लक्ष्य निर्धारित किये हैं ?

श्री ब० रा० भगत : सारे आंकड़े प्रस्तुत कर सकना तो सम्भव नहीं, क्योंकि हमें राज्य क्षेत्र की प्रत्येक परियोजना को देखना होता है । क्योंकि इसमें विस्तार से जानकारी मांगी गयी है इसलिए इसके लिए अलग से प्रश्न का नोटिस आना चाहिए ।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या वरिष्ठ मंत्री ने गत मास जो दिल्ली के एक सम्मेलन में निगमित प्रबन्ध व्यवस्था के अनुसंधान के बारे में जो कुछ कहा था उसकी अखबारों में ठीक ही खबर छपी है कि सरकारी क्षेत्रों के उपक्रम में नकली सन्तुलन पत्र तैयार किये जाते हैं, यदि हां, तो उनका इशारा किस सार्थ की ओर था ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी: माननीय सदस्य गलत कह रहे हैं, मैं किसी भी सरकारी उपक्रम के बारे में बात नहीं कर रहा था ।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या अखबारों की खबर गलत है ? अथवा अन्य कौन व्यक्ति गलत है ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं ने किसी सरकारी क्षेत्र के उपक्रम की बात नहीं की थी ।

श्री हरि विष्णु कामत : तो उन्होंने किस उपक्रम की बात की थी ? यहां बात स्पष्ट हो जानी चाहिए । प्रश्नों के उत्तर देने का यह ढंग तो ठीक नहीं कहा जा सकता ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि जो कुछ अखबारों में छपा है वह ठीक नहीं है और वह बात उन्होंने नहीं कही ।

श्री श्यामलाल सर्राफ : जैसा कि सरकार को पता है कि सरकारी क्षेत्र की कुछ परियोजनाओं में काम नहीं हो रहा है, क्योंकि उन्हें समय पर अपेक्षित आयात लाइसेंस नहीं प्राप्त हो सके । अपेक्षित विदेशी विनिमय की भी व्यवस्था न हो सकी जिसके साथ की मशीनरी को सीधा आयात किया जा सकता और दूसरा इसके साथ का आवश्यक सामान विदेशों से लिया जा सकता ; यदि हां, तो सरकार ने इस दिशा में क्या पग उठाये हैं ताकि ये सब कठिनाइयां दूर हो जायें और काम को ठीक प्रकार से समय पर आरम्भ किया जा सके ?

श्री ब० रा० भगत : यही बात मैं ने कही थी । इस काम का मंत्रालय और योजाना आयोग ने अच्छी प्रकार अध्ययन किया है । इसके अतिरिक्त वित्त मंत्रालय का एक समन्वय करने वाला विशेष विभाग भी है, वह विभाग इस प्रकार के मामलों को निपटाता है । यदि कहीं विदेशी विनिमय की तुरन्त आवश्यकता होती है तो उसकी व्यवस्था कर दी जाती है और इस दिशा की अन्य कठिनाइयों को भी हल करने का प्रयत्न किया जाता है । कोई तकनीकी कठिनाई हो तो उसका भी उपचार किया जाता है ।

श्री रंगा : और उसके परिणाम इतने बुरे होते हैं ।

श्री शशि रंजन : क्या सरकार के पास इस प्रकार की सारी जानकारी है कि विभिन्न राज्यों में सरकारी परियोजनाओं की प्रगति की दशा क्या है, और जो राज्य पीछे रह गये हैं, उन्हें अपनी कमी को पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार उनकी क्या सहायता कर रही है ?

अध्यक्ष महोदय : क्या प्रश्नों के काल में इस प्रगति का विवरण देना सम्भव होगा ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं तो केवल ढंग बता सकता हूं कि किस प्रकार किया जाता है । मुख्यतः यह काम वित्त मंत्रालय के समन्वय विभाग का है । राज्यों और केन्द्र द्वारा चलायी जा रही सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं की देखभाल करने का काम इस विभाग का है और यह योजना का अंग है । समय समय पर इसका प्रतिवेदन उपलब्ध होता रहता है और तत्सम्बन्धी सभी प्रकार की कठिनाइयों को दूर करना इस विभाग का कर्त्तव्य है ।

श्री हरि विष्णु कामत : औचित्य प्रश्न पर मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री महोदय ने जो कुछ पहले कहा था अब उसका प्रतिवाद . . .

श्री भागवत झा आजाद : औचित्य प्रश्न प्रस्तुत करने का यह समय नहीं है, हमने अनुपूरक प्रश्न पूछने हैं ।

श्री हरि विष्णु कामत : मैं प्रक्रिया जानता हूं, माननीय सदस्य को मुझे सिखाने की आवश्यकता नहीं ।

माननीय मंत्री ने प्रश्न का उत्तर देते हुए 10 सितम्बर को यहां कहा था कि :

> "वित्त मंत्री ने यह बात कही थी कि समवायों के सन्तलन पत्र प्रायः गलत होते हैं . . ."

परन्तु अभी अभी उन्होंने कहा है कि उन्होंने इस प्रकार की कोई बात नहीं कहीं ।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : नहीं, वास्तव में माननीय सदस्य ने यह पूछा था कि मैंने सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं के बारे में ऐसा कहा था । मैंने इसका उत्तर नहीं में दिया था । यह भी मैंने कहा था कि समवायों के सन्तुलन पत्रों में सारी अपेक्षित जानकारी नहीं होती । क्योंकि लेखा परीक्षक भी यही प्रमाणपत्र देता है कि जो कागजात उसके आगे रखे गये उनके अनुसार सन्तुलन पत्र ठीक हैं । ये बात सामान्यतः सन्तुलन पत्रों की चर्चा के उल्लेख पर कही गयी थी, इसका सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं के सन्तुलन पत्रों से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : क्या ऐसी भी राज्य सरकारें हैं जिन्होंने इन परियोजनाओं को कार्यान्वित करने से इन्कार कर दिया हो, और यदि हां, तो ये राज्य कौन कौन से हैं और उन्हें केन्द्रीय सरकार इस उद्देश्य के लिए क्या सहायता देना चाहती है ।

श्री ब० रा० भगत : माननीय सदस्य के ही राज्य म एक परियोजना आंध्र पेपर मिल्ज की है । पहले यह सरकारी क्षेत्र में ली गयी थी अब इसे गैर-सरकारी क्षेत्र में दे देने के लिए कहा गया है । राज्य के अंश अल्पसंख्या में होंगे ।

श्री भागवत झा आजाद : समय समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जो पुनरीक्षण किया जाता है क्या उससे यह सिद्ध होता है कि यहां पर कई राज्य योजनाओं को कार्यान्वित करने में पीछे रह गये, उसका कारण प्रशासनिक असफलतायें थीं ?

श्री ब० रा० भगत : उसका कोई एक तरह का कारण नहीं है। कई प्रकार के कारण हैं उनमें से एक यह भी कि प्रशासन अयोग्य और नाकामी था।

श्री रंगा : अभी वित्त मंत्री ने कहा है कि उन्होंने सामान्यतः सन्तुलन पत्रों पर टिप्पणी की थी। क्या सरकारी क्षेत्रे के उपक्रमों के सन्तुलन पत्रों की भी यही दशा है अथवा उनके बारे में कुछ अपवाद है ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : सरकारी क्षेत्र में यह बात नहीं है। क्योंकि सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं के जो वाउचर प्रस्तुत किये जाते हैं वे प्रायः जाली नहीं होते। सामान्यत लेखापरीक्षक तो उन्हीं कागजों का परीक्षण करते हैं जोकि उनके समक्ष रखे जाते हैं। इस तरह की प्रक्रिया में जाली चीज का हो जाना सम्भव है। परन्तु इसका कोई सम्बन्ध नहीं।

श्री हरि विष्णु कामत : पुन : औचित्य प्रश्न पर, उन्होंने अपने उत्तर में यह कहा जरूर था।

अध्यक्ष महोदय : यदि कोई भल है तो माननीय सदस्य मुझे लिख सकते हैं परन्तु उन्हें एक के बाद दूसरा औचित्य प्रश्न प्रस्तुत नहीं करना चाहिए।

श्री हरि विष्णु कामत : उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया था, इसी सदन में . . .

अध्यक्ष महोदय : वह मुझे लिख सकते हैं, मैं रिकार्ड देख कर इसके बारे में फैसला करूंगा।

श्री हरि विष्णु कामत : मंत्री महोदय ने पहिले एक वक्तव्य दिया था। अब यह उन पर है कि वह कुछ दिनों बाद उसका प्रतिवाद कर दें, अतः आप को हमारी सहायता करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : यदि वह मुझे लिखेंगे तो मैं मामले की छानबीन करूंगा, और यदि उचित होगा तो मामले को सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति दे दूंगा।

श्री हरि विष्णु कामत : उन्होंने दोनों सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों के बारे में कहा था। मेरे पास रिकार्ड है।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। ये प्रश्न सामान्य प्रशासन के साथ कोई सम्बन्ध नहीं रखते। ये तो प्रासंगिक विचार है और यह तो व्यक्तिगत मत की अभिव्यक्ति है। मेरे विचार में इसमें कोई अन्तर की बात नहीं है, परन्तु पता नहीं मेरे माननीय मित्र मुझे क्यों दोषी बना रहे हैं।

श्री हरि विष्णु कामत : इन शब्दों से प्रश्न का उत्तर नहीं आता।

अध्यक्ष महोदय : मेरा निवेदन यह है कि अब मुझे आगे चलने देना चाहिये।

श्री हरि विष्णु कामत : मुझे इस पर आपत्ति नहीं, परन्तु उत्तर देने का तो यह ढंग नहीं है ।

श्री रंगा : वह यह भाव हम पर प्रकट करना चाहते हैं कि वह शब्दों के चयन में प्रवीण हैं। परन्तु अब जो कुछ इस सदन में कहा है वह आपके सामने है। आपने कहा है कि इसे लिख कर दिया जाये क्योंकि माननीय मंत्री अपने कहे हुए का प्रतिवाद करते हैं। मेरे विचार में बाद में मामले का वजन कम हो जायेगा। जब एक माननीय सदस्य रिकार्ड को आपके समक्ष रख रहे हैं तो आपको अभी इस मामले को लेना चाहिए। आखिर को शिकायत होगी तो आप ही तो उसे दूर करेंगे। यह अच्छा होगा, यदि मामलों को अभी सुलझा दिया जाय।

अध्यक्ष महोदय : मेरी कठिनाई यह है कि मुझे प्रत्येक सदस्य के लिये, चाहे वह मंत्री हो अथवा साधारण सदस्य एक ही प्रक्रिया पर चलना है । मैंने श्री कामत को दो अवसर प्रदान किये हैं। और उन्होंने रिकार्ड से कुछ पढ़ा और बताया कि मंत्री महोदय ने अपनी बात का प्रतिवाद किया है । अब वह कहते हैं कि एक और प्रतिवाद है । इस तरह से मैं कैसे चलता रहूंगा ?

श्री रंगा : हमें इस सरकार की जैसे भी हो खबर लेनी ही चाहिए । इस शिकायत को दूर करने का और कोई रास्ता नहीं।

अध्यक्ष महोदय : सरकार की खबर लेने का एक ही तरीका है कि सारा वक्तव्य मुझे भेजा जाय और जो कुछ उन्होंने अब कहा है वह भी मुझे लिख कर भेजा जाय। उन्होंने पहले एक आपत्ति की और बैठ गये और कुछ देर बाद फिर कहने लगे कि अन्य एक प्रतिवाद है ।

श्री हरि विष्णु कामत : क्योंकि उन्होंने एक अन्य वक्तव्य दे दिया था ।

एक औचित्य प्रश्न है । मंत्री महोदय यह कह सकते हैं कि अखबार में प्रकाशित खबर गलत है, परन्तु यह तो नहीं कह सकते कि यह रिकार्ड गलत है, यदि कहना चाहे तो कहें। यह तो संसद् की कार्यवाही का रिकार्ड है ।

श्री भागवत झा आजाद : मेरा औचित्य प्रश्न यह है कि जिन नियमों के अन्तर्गत लोक सभा के प्रश्नों के घंटे का संचालन होता है, उसके अन्तर्गत अन्तिम प्राधिकार कौन है जिसके अनुसार यह निर्णय होगा कि प्रश्न का उत्तर ठीक प्रकार से दे दिया गया है । हमारी ओर यह अनुभव किया गया है कि सारे प्रश्न्नों के घंटे पर केवल दो चार सदस्यों का एकाधिकार रहता है । (**अन्तर्बाधाएं**) । मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि स्पष्टीकरण के नाम पर क्या कोई माननीय सदस्य लगातार आधी दर्जन प्रश्न पूछ सकता है.... (**अन्तर्बाधायें**)

श्री हरि विष्णु कामत : यह आप पर भारी आक्षेप है।

श्री भागवत झा आजाद : क्या नियमों के अन्तर्गत कोई माननीय सदस्य आधी दर्जन प्रश्न करने का अधिकारी है और वह लगातार जितने चाहे अनुपूरक प्रश्न पूछ सकता है ? क्या श्री मावलंकर के समय से कोई ऐसा नियम है कि स्पष्टीकरण के नाम पर निरन्तर आधी दर्जन प्रश्न ही पूछते जाये। यदि कोई ऐसा नियम है तो हमें बताया जाय। (**अन्तर्बाधाएं**) . . . .

1355 (Ai) LS—3.

अध्यक्ष महोदय : मैं ने अनुसूची बन्द कर दी है और औचित्य प्रश्न सुन रहा हूं।

श्री श्यामलाल सर्राफ : एक बात पर मैं आपका पथ प्रदर्शन चाहता हूं। श्री कामत ने जो बात यहां रखी है उन्हें ऐसा करने का पूरा अधिकार है। परन्तु प्रश्नों के काल वह ऐसा नहीं कर सकते। इस तरह बहुत से प्रश्न रह जाते हैं। मेरा निवेदन है कि श्री कामत को लिखना चाहिए और आपको इस मामले में निर्णय करने का निवेदन कर सकते है। **(अंतर्बाधाएं)**।

श्री हरि विष्णु कामत : इस मामले में केवल अध्यक्ष महोदय ही निर्णय कर सकते हैं और कोई नहीं।

अध्यक्ष महोदय : मुझे यह व्यवहार समय में नहीं आया। किसी भी माननीय सदस्य को यह अधिकार नहीं कि वह अपना दृष्टिकोण प्रकट करे जबकि दूसरा बोल रहा हो। उन्हें सुनना चाहिए उसके बाद दूसरे सदस्य भी बोल सकते हैं और मुझे उनकी बात सुननी होगी। मैं अपना निर्णय दूंगा परन्तु श्री हेम बरुआ की बात सुन लें।

श्री हेम बरुआ : जब कोई माननीय सदस्य यह कहता है कि सदन का समय दो तीन सदस्यों द्वारा नष्ट किया जाता है तो मेरे विचार में यह कुछ सदस्यों पर छींटाकसी है... **(अन्तर्बाधायें)**।

श्री भागवत झा आजाद : क्या छींटाकसी है ?

श्रीहेम बरुआ : ठहरो एक मिनट **(अन्तर्बाधायें)**।

कुछ माननीय सदस्य : उठे।

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति। **(अन्तर्बाधायें)**

श्री हरि विष्णु कामत : चुप रहिए।

श्रीहेम बरुआ : मैं बड़े ढंडे दिल से अपना मामला आपके समक्ष प्रस्त कर रतुहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्रीहेम बरुआ को यह समझ लेना चाहिये कि मैं बहुत शांति से उनकी बात सुन रहा हूं।

श्री हेम बरुआ : परन्तु यह माननीय सदस्य नहीं सुन रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति।

माननीय सदस्य : आपको सदन में शांति रखनी होगी।

श्री हेम बरुआ : जब कोई माननीय सदस्य इस सदन में कहता है कि प्रश्नों के घंटे में सदन का समय नष्ट किया जाता है क्योंकि बीच में अन्तर्बाधायें आ प्रस्तुत होती हैं। और विशेष रूप से जबकि विरोधी पक्ष के लोग प्रश्न पूछते हैं। इसका मतलब यह है कि सदस्यों को अपना काम करने से रोका जाता है। यदि ऐसा है तो यह आपका कर्त्तव्य है कि आप इसकी जांच करें और सम्बद्ध सदस्य को इस

बारे में बता दें, अन्य लोगों का काम यह नहीं है कि व खामखां आक्षेप करते रहें और अध्यक्ष पर भी छींटाकसी करें।

श्री ही० ना० मुकर्जी : इसमें कोई सन्देह नहीं कि हम प्रश्नों के घंटे के लिये लालायित रहते हैं, परन्तु यदि किसी माननीय सदस्य अथवा सदस्या को प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों का ज्ञान नहीं तो उनका इस प्रकार उल्लेख नहीं किया जाना चाहिये। इसके अतिरिक्त मेरा निवेदन है कि मंत्री महोदय को गलत प्रकार से पकड़ा गया है। संसदीय प्रणाली के अन्तर्गत प्रश्नों के अनुपूरक पूछे ही जाते हैं। अनुपूरक प्रश्नों तथा तत्सम्बन्धी औचित्य प्रश्नों का निबटारा तुरन्त ही कर दिया जाना चाहिये। यदि ऐसा न किया जाय तो प्रश्नों के घंटे का महत्व ही नष्ट हो जाता है। श्री कामत के मामले का निर्णय तुरन्त होना चाहिए, क्योंकि मंत्री महोदय यहां हैं हीं। इसमें देर नहीं की जानी चाहिये।

श्रीमती सावित्री निगम : यह तो रोज का रुटीन मामला हो गया है। औचित्य प्रश्नों के नाम पर प्रश्नों के घंटे को नष्ट कर दिया जाता है। केवल दो एक माननीय सदस्य ही बोलते दिखाई देते हैं (**अन्तर्बाधाएं**)।

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति, हमें इन्हें भी सुनना चाहिये।

श्रीमती सावित्री निगम : इस सत्र में हम एक दिन में चार और पांच प्रश्न ही निपटाते रहे हैं। मैं आपके द्वारा माननीय सदस्यों से अपील करूंगी कि उन्हें अपने वे औचित्य प्रश्न प्रस्तुत करने के स्थान पर जिनमें कि कुछ सार नहीं होता...

श्री हेम बरुआ : वह कौन होती हैं, ऐसा कहने वाली ? (**अन्तर्बाधाएं**)।

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति, जब वह बोल रहे थे तो अन्तर्बाधाओं से आप नाराज हो गये थे, अब जब दूसरा कोई बोल रहा है तो आप हस्तक्षेप करते हैं। आप उन्हें बोलने दीजिये।

श्रीमती सावित्री निगम : आपने स्वयं कहा है कि जो भी औचित्य प्रश्न प्रस्तुत किये जाते हैं वास्तव में उनमें एक भी औचित्य प्रश्न नहीं होता। और उनमें से एक भी ऐसा नहीं होता जिसे प्रस्तुत किया जाना चाहिये। इसके बावजूद रोज रोज वही बातें कही और दोहराई जाती हैं। हम प्रतिदिन चार प्रश्न भी पूरे नहीं कर सके।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : मुझे कोई औचित्य प्रश्न प्रस्तुत नहीं करना, परन्तु मैं निवेदन करना चाहता हूं जो औचित्य प्रश्न प्रस्तुत किया गया है उसकी ओर मैं आपका और श्री कामत का ध्यान आकृष्ट करवाना चाहता हूं। कुछ दिन हुए श्री कामत ने ही आपके आदेशानुसार नियम 115 के अन्तर्गत नोटिस दिया था।

श्री हरि विष्णु कामत : वह तो अखबारी रिपोर्ट की बात थी।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : वह अखबारी रिपोर्ट थी अथवा कोई और बात थी। यदि सदन में किसी बात का प्रतिवाद करना हो तो उसकी नियमों के अन्तर्गत व्यवस्था है। अतः यह बात स्पष्ट हो गई है कि प्रतिवाद करने के लिये हमें नियम 115 के अन्तर्गत कार्यवाही करनी चाहिये और इस तरह की बात को औचित्य प्रश्न का विषय कभी भी नहीं बनाया जाना चाहिये।

इस समस्या का एक अन्य पहलू भी है और इसको हम अनुपूरक प्रश्न पूछते समय उपेक्षा की दृष्टि से नहीं देख सकते, वह यह कि अनुपूरक पूछने का ठीक ढंग से आप द्वारा नियन्त्रण किया जाना चाहिये। जो भी प्रश्न यहां प्रस्तुत हों उनकी पूरी छानबीन तुरन्त की जानी चाहिये। अनुपूरक प्रश्न तो पूछे ही जाने चाहियें। इसमें हमें इतनी कड़ाई भी नहीं करनी चाहिये कि एक सदस्य एक से अधिक अनुपूरक नहीं पूछे सकता। यही कारण है कि विभिन्न तरीके निकाले जा रहे हैं। यदि हम कोई व्यवस्था करलें तो औचित्य प्रश्न उठाने का कोई अवसर नहीं मिलेगा। इसलिये हम आपसे निर्णय चाहते हैं जिससे सभा के दोनों पक्ष संतुष्ट रहें।

अध्यक्ष महोदय : इस सत्र के आरंभ से प्रतिदिन चार से पांच अथवा छ: प्रश्न लिये जाते रहे हैं। मैं स्वयं इन प्रश्नों को कम समझता हूं क्योंकि ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न रह जाते हैं जिनका उत्तर सभा में आना चाहिये। इसलिये मैं माननीय सदस्यों से अपील करता हूं कि वह औचित्य प्रश्न उठाते समय विचार कर लिया करें। जब माननीय सदस्य यह कहते हैं कि उनका औचित्य प्रश्न उठाने का अधिकार है तो मैं बैठ कर उनकी बात सुनता हूं। परन्तु यह कहने पर कि वह औचित्य प्रश्न नहीं है, एक असंतोष जाहिर किया जाता है। ऐसा बढ़ता जा रहा है और केवल बाधा डाली जाती है जबकि औचित्य प्रश्न में कोई सार नहीं होता है। माथुर साहब के कथनानुसार हमें ऐसा कठोर नियम तो बनाना नहीं चाहिये कि प्रश्न काल में कोई औचित्य प्रश्न न पूछा जाये। ऐसा अवसर आ सकता है जब माननीय सदस्य मंत्री महोदय के वक्तव्य के विपरीत कोई बात कहें। परन्तु इसकी भी एक सीमा होनी चाहिये। जब मैं दूसरे सदस्य को पुकारूं तो पहले सदस्य को बैठ जाना चाहिये।

श्री हरि विष्णु कामत : वह मंत्री महोदय के उत्तर से उत्पन्न हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : श्री कामत को यह समझना चाहिये कि उन्होंने औचित्य प्रश्न पूछा, मैंने अनुमति दे दी, मंत्री महोदय ने स्पष्टीकरण दे दिया और मैंने दूसरे सदस्य को पुकार दिया। यदि उनको फिर भी कोई शिकायत है तो वह मुझे निदेश संख्या 115 के अधीन लिख सकते हैं।

मैं बता चुका हूं कि कोई कठोर नियम नहीं बना रहा हूं कि मैं औचित्य प्रश्न की अनुमति नहीं दूंगा। परन्तु मैं सदस्यों से अपील करता हूं कि अनावश्यक औचित्य प्रश्न न उठाया करें।

श्री ही० ना० मुकर्जी : एक बार जब व्यंग्य विनोद हो रहे थे तब मंत्री महोदय ने कहा था कि माननीय सदस्य को यह बताना चाहिये था कि वह माननीय मंत्री को निष्क्रमण के विचार से ऐसा नहीं कर रहे हैं अपितु वह मंत्री महोदय द्वारा दिये गये वक्तव्यों के आधार पर ऐसा कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने थोड़ा सा हास्य लाने का प्रयत्न किया था परन्तु मालूम होता है कि उसको अच्छी भावना से नहीं लिया गया।

श्री हरि विष्णु कामत : उसकी भावना को अच्छा समझा गया था।

अध्यक्ष महोदय : मैं सभा से जानना चाहता हूं कि क्या पांच अथवा छ: प्रश्न ही प्रश्नकाल में पूछे जाना ठीक समझते हैं अथवा 15 से 20 प्रश्न लिये जाने चाहियें।

कुछ माननीय सदस्य : जी हां।

अध्यक्ष महोदय : मैं अपील करूंगा कि 15 से 20 प्रश्न पूछे जाने चाहियें। एक प्रश्न पर 3 अथवा 4 मिनट से अधिक नहीं लगने चाहियें। यदि कोई प्रश्न असाधारण होगा तो मैं 5 अथवा 6 मिनट दे दूंगा।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : ऐसा तो सभा को निर्णय लेना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती रेणु चक्रवर्ती मानेंगी कि मैं सदस्यों के सहयोग से ही ऐसा कर सकता हूं।

श्री रंगा : यदि प्रश्नों की संख्या 10 अथवा 15 निश्चित करदी गई तो बड़ी कठिनाई होगी। हमारी स्वतंत्रता रहनी चाहिये।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : I request that the time of question hour may be extended by half an hour.

Shri Onkar Lal Berwa : Previously 5 minutes were given. Why that practice is not going to be continued.

Mr. Speaker : All right.

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

बेल्जियम से सहायता

***377. डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बेल्जियम इस वर्ष भारत को और सहायता देने का वचन देने में हिचकिचा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी, हां।

(ख) हमें यह सूचना मिली है कि बेल्जियम ने जितनी रकमें देने का वचन दिया है उन के खर्च हो जाने के बाद वह और रकम देने का वचन देने के लिए राजी हो जायेगा।

मध्यम वर्ग की आय का राष्ट्रीय सर्वेक्षण

*378. { महाराजकुमार विजय आनन्द :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री यशपाल सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन के हाल के प्रतिवेदन के बारे में जानकारी है जिस में मध्यम वर्ग के परिवारों की आय तथा व्यय के संबंध में किए गए राष्ट्रीय सर्वेक्षण का ब्यौरा दिया गया है;

(ख) क्या सरकार ने उस प्रतिवेदन में दी हुई बातों का अध्ययन कर लिया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने उस से क्या निष्कर्ष निकाले ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख) जी हां ।

(ग) अभी तक रिपोर्ट का पहला खण्ड ही प्रकाशित हुआ है और इस में मूलत: तथ्य दिये गये हैं। इस का सम्बन्ध एक विशेष समय अर्थात् 1958-59 से है और इस में इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गयी है कि उस के बाद स्थिति में कोई परिवर्तन हुआ है या नहीं और यदि हुआ है तो उस के क्या कारण हैं ।

मध्यम वर्ग परिवारों का रहन-सहन सम्बन्धी सर्वेक्षण, 1958-59 इस लिए हाथ में लिया गया था कि (क) मध्यम वर्ग के रहन-सहन के खर्च के सूचक अंकों को तैयार करने में सुविधा हो जाय और (ख) मध्यम वर्ग के परिवारों की स्थिति और उन के रहन सहन के स्तर का पता लग जाय ।

मध्यम वर्ग के रहन-सहन के खर्च के सूचक अंक तैयार करने का काम अभी केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया जा रहा है ।

एकक प्रन्यास (यूनिट ट्रस्ट) योजना

*379. **श्री श्रीनारायण दास** :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री यशपाल सिंह :
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में स्थापित किये गये एकक प्रन्यास (यूनिट ट्रस्ट) ने अपना कारोबार चालू कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो अब तक कुल कितना कारोबार हुआ है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी, हां।

(ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और उस का विवरण सभा की मेज पर रख दिया जायेगा ।

मद्रास राज्य में तापीय बिजली घर (थर्मल पावर स्टेशन)

*380. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मद्रास सरकार को एन्नोर में सरकारी क्षेत्र में 300 मैगावाट क्षमता का तापीय बिजली घर स्थापित करने की अनुमति दे दी है ;

(ख) क्या केन्द्र ने तूतीकोरिन में सरकारी क्षेत्र में एक और 100 मैगावाट क्षमता का तापीय बिजली घर स्थापित करने की मंजूरी दे दी है; और

(ग) उस राज्य में बिजली की कमी की स्थिति में कहां तक सुधार हुआ है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) अभी नहीं। किन्तु, योजना कमीशन की तकनीकी सलाहकार समिति ने इस स्कीम को स्वीकार्य मान लिया है। योजना कमीशन की औपचारिक स्वीकृति अभी प्रतीक्षित है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) मद्रास राज्य में 1963-64 तक बिजली की मांग उपलब्ध वास्तविक उत्पादन क्षमता से बढ़ गई । फिर भी बिजली के अन्तिम वार्षिक सर्वेक्षण के अनुसार 1964-65 से ले कर 1968-69 तक वास्तविक क्षमता के, न्यूनाधिक शीर्ष भार के बराबर हो जाने की सम्भावना है। 1969-70 और 1970-71 में कुछ कमी की प्रत्याशा है ।

पटसन निर्यात करने वाली फर्मों की तलाशी

*381. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत जुलाई में पटसन तथा टाट के सब से अधिक निर्यात करने वाली कलकत्ते की फर्म पर छापा मारा गया तथा तलाशी ली गई;

(ख) उस फर्म का नाम क्या है ?

(ग) तलाशी लेने के क्या कारण थे; और

(घ) उस के क्या परिणाम निकले ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी, हां ।

(ख) मैसर्स लुई ड्रेफस एण्ड कम्पनी लिमिटेड, 18 ए, ब्रैबोर्न रोड, कलकत्ता ।

(ग) विदेशों को भेजे गये माल की कीमत बीजकों में कम दिखाने के आरोप के आधार पर।

(घ) फर्म के कार्यालय और अन्य स्थानों से कुछ कागजात बरामद किये गये हैं । कलकत्ता स्थित सीमा शुल्क कार्यालय (कस्टम हाउस) और प्रवर्तन निदेशालय (एन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट) इन की छान बीन कर रहा है ।

Foreign Exchange Reserves

*382. **Shri Bagri :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the present position of our foreign exchange reserves ; and

(b) the measures being taken to conserve foreign exchange ?

The Minister of Planning (Shri B. R. Bhagat) : (a) India's foreign exchange reserves (excluding gold held by the Reserve Bank of India) amounted to Rs. 131·67 crores on the 11th September, 1964—the last date for which information is available.

(b) The main lines on which Government seeks to conserve foreign exchange are as follows :—

(i) export promotion ;

(ii) import substitution (inclusive of maximising local production by availing of under-utilised or unutilised indigenous industrial capacity);

(iii) priority for projects capable for quick yield on investment ;

(iv) elimination of low priority or unnecessary foreign exchange expenditure whether on imports or on travel ;

(v) stricter anti-smuggling measures, including enforcement of gold control ;

(vi) encouragement to foreign private investment within the scope laid down in the Industrial Policy Resolution ;

(vii) maximum and expeditious utilisation of aid secured from abroad ;

(viii) minimising of the strain (on our foreign exchange position) of debt servicing obligations by trying to obtain as much aid as possible on a long term low interest basis ; and

(ix) encouragement of incoming tourist traffic.

ग्रामदान ग्रान्दोलन

*383. { श्री राम हरख यादव :
श्री मुरली मनोहर :

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को सुझाव दिया है कि ग्राचार्य विनोबा भावे द्वारा चालू किये गये ग्रामदान ग्रान्दोलन को प्रोत्साहित करने के लिये विधेयक पुर:स्थापित करें ;

(ख) क्या सरकार ने एक ग्रादर्श विधेयक तैयार किया है जिसे राज्य सरकारें ग्रपने यहां पुर:स्थापित करें; ग्रौर

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने ग्रामदान गांवों के विकास के लिये राज्यों को कोई विशेष धनराशि तथा वित्तीय सहायता मंजूर की है; यदि हां, तो वह धनराशि क्या है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) ग्रौर (ख) ग्रखिल भारतीय सर्व सेवा संघ की सलाह से ग्रामदान विधेयक का मसौदा तैयार किया गया था ग्रौर उसे राज्य सरकारों के पास उन के विचारार्थ तथा उपयुक्त कानून बनाने के लिये भेजा गया ।

(ग) ग्रामदान गांवों के विकास के लिये तीसरी पंचवर्षीय योजना में एक करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी । ग्रब तक राज्य सरकारों को 21.16 लाख रुपये मंजूर किये जा चुके हैं ।

भूदृश्य समिति

*384. { श्री हिम्मतसिंहका :
श्री ग्रोंकार लाल बेरवा :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री धवन :
श्री भी० प्र० यादव :

क्या निर्माण ग्रौर ग्रावास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की भूदृश्य समिति ने सिफारिश की है कि दिल्ली में भूदृश्य तथा दर्शनीय स्थानों की सुरक्षा बनाये रखने के लिये विधान बनाया जाना चाहिये; ग्रौर

(ख) यदि हां, तो क्या इस सिफारिश पर कोई कार्यवाही करने का विचार है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) जी हां । यह सिफारिश सामान्य प्रकार की है, जिस में और शहर भी शामिल हैं ।

(ख) मामले की जांच हो रही है ।

पैकेज कार्यक्रम

***385. श्री रामनाथन चेट्टियार** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक अमरीकी विशेषज्ञ ने सघन कृषि कार्यक्रम के अन्तर्गत कुछ जिलों का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने योजना आयोग को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है; और

(ग) यदि हां, तो उस की मुख्य बातें क्या हैं ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत): (क) से (ग) फोर्ड प्रतिष्ठान के **मिस्टर वुल्फ लैंडेजिसकी** ने पांच जिलों, अर्थात् जिला **तंजेवर** (मद्रास), **पश्चिमी गोदावरी** (आंध्र प्रदेश), **शाहबाद** (बिहार), **लुधियाना** (पंजाब), और **अलीगढ़** (उत्तर प्रदेश) में मिल्कियत के हक की शर्तों और सघन कृषि जिला कार्यक्रम पर उन के प्रभाव का अध्ययन किया । उन्होंने एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है जिसे राज्य सरकारों की टिप्पणी सहित शीघ्र ही प्रकाशित किया जायेगा ।

राष्ट्रमंडल वित्त मंत्री सम्मेलन

***386.** { **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री डी० चं० शर्मा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 2 सितम्बर, 1964 को कुआलालम्पुर में हुए राष्ट्रमंडल वित्त मंत्री सम्मेलन में क्या निर्णय किये गये हैं ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत): इस सम्मेलन के बाद जारी की गयी विज्ञप्ति सभा की मेज पर रख दी गयी है । इस सम्मेलन में जो बातचीत हुई और जो निष्कर्ष निकाले गये उन का सारांश इस विज्ञप्ति में दिया गया है । [पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल टी-3231/64]

रिजर्व बैंक की बिल्डिंग

***387.** { **श्री हरि विष्णु कामत :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री नवल प्रभाकर :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली में भारत के रिजर्व बैंक के सामने के भाग अथवा प्रवेश द्वार को शिल्पकारी के द्वारा सजाने का सरकार का विचार है;

(ख) यदि हां, तो उस की मुख्य बातें क्या हैं तथा इस पर अनुमानतः कितना धन व्यय होगा; और

(ग) एसा व्यय करने के क्या कारण हैं ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी हां। लेकिन चूंकि यह इमारत रिजर्व बैंक की है इसलिये यह फैसला बैंक द्वारा किया गया है, सरकार द्वारा नहीं।

(ख) यक्ष और यक्षी की पत्थर की बनी दो प्रतिमायें बैंक के मुख्य प्रवेश द्वार के दोनों ओर स्थापित की जायेंगी। इन पर अनुमानतः 3 लाख रुपया खर्च होगा।

(ग) यह फैसला 1955 में सरकार की इस नीति के अनुसार किया गया था कि मूर्तिकारों, कलाकारों, चित्रकारों और डिजाइनरों को सरकारी इमारतों की सजावट का कुछ काम देकर प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये।

क्षेत्रीय विद्युत ग्रिड

*389. { **श्री पें० वेंकटासुब्बया** :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री धवन :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री यशपाल सिंह :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री मुहम्मद इलियास :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिजली के क्षेत्रीय ग्रिड बनाने का काम पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इस व्यवस्था से क्या लाभ होंगे ; और

(ग) क्या सभी ग्रिडों में बिजली के एक जैसे ही मूल्य रखे गये हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव): (क) इस समय क्षेत्रीय ग्रिड प्रगति की भिन्न भिन्न अवस्थाओं में है। आशा है कि क्षेत्रीय ग्रिडों के निर्माण के लिये अन्तर्राज्यीय सम्पर्कों का प्रथम चरण कुछ तो तृतीय योजना के अन्त तक और कुछ चतुर्थ योजनावधि में पूर्ण हो जाएगा।

(ख) विविध क्षेत्रों में विद्युत् प्रणालियों के समन्वित चालन से तरह तरह के तकनी लाभों के अतिरिक्त, प्रचुर मात्रा में आर्थिक लाभ भी होगा। विद्युत् सम्भरण निश्चयता, वृहत्त रूद्धावस्थाओं से स्वतन्त्रता, मानसून असफलताओं के कारण जलाशय धारिता में कमी के प्रभाव का कम होना, तथा आपाती संयंत्र कमी, आदि कुछ अन्य लाभ हैं। तृतीय योजना के अन्त में, दस लाख के डब्ल्यू की और अधिक बिजली उचित समन्वित कार्य प्रणाली द्वारा प्रतिष्ठापन (installation) से प्राप्त की जा सकती है।

(ग) जी, नहीं।

राष्ट्रीय आय के वितरण के बारे में महलनवीस समिति

*390. श्री हरि विष्णु कामत :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री दलजीत सिंह :
श्री ओंकारलाल बेरवा :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री धर्मलिंगम :
श्री जसवन्त मेहता :

क्या वित्त मंत्री 30 अप्रैल, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 1270 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय आय के वितरण के बारे में महलनवीस समिति के प्रतिवेदन का द्वितीय भाग मिल गया ; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी, नहीं ।

(ख) रिपोर्ट के पहले भाग में, जो 29 अप्रैल, 1964 को सभा की मेज पर रखा गया था, समिति ने उन परिस्थितियों का संक्षेप में उल्लेख किया है जिन के कारण रिपोर्ट का एक ही भाग प्रस्तुत किया गया । समिति ने यह अनुभव किया कि उसे पहले जिस विषय पर विचार करने के लिये कहा गया था उस पर, अर्थात पहली और दूसरी पंचवर्षीय आयोजनाओं की अवधि में रहन-सहन के स्तरों में हुए परिवर्तनों पर पूरी तरह से विचार करने में कुछ और समय लगेगा क्योंकि इस विषय से सम्बन्ध रखने वाले विस्तृत जटिल तथ्यों की ओर बारीकी से जांच करने की आवश्यकता है । पिछले कुछ महीनों से इस दिशा में काम हो रहा है और आशा है कि समिति शीघ्र ही अपना काम पूरा कर सकेगी ।

एक रुपये के सिक्के पर श्री नेहरू का चित्र

*391. श्री यशपाल सिंह:
श्री ओंकारलाल बेरवा :
श्री बड़े :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री राम हरख यादव :
श्री मुरली मनोहर :
श्री प्र० कें० देव :
श्री शिंकरे :
श्री अल्वासरेस :
श्री नारायण दांडेकर :
श्री हरि विष्णु कामत :

श्री कपूर सिंह :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक रुपये का ऐसा सिक्का बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है जिस के एक ओर श्री जवाहर लाल नेहरू का चित्र होगा तथा दूसरी ओर राष्ट्र चिह्न होगा; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है तथा यह सिक्का कब निकाला जायेगा ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी, हां ।

(ख) एक रुपये के नये सिक्के के सीधी तरफ स्वर्गीय श्री जवाहर लाल नेहरू के चेहरे की एक छवि तस्वीर, अंग्रेजी में उन का नाम और "1889–1964" की तारीखें होंगी और तस्वीर के दोनों ओ नाम और तारीखों के बीच एक एक तारा होगा । सिक्के की उल्टी तरफ अशोक स्तम्भ का चिह्न अंग्रेजी में "इण्डिया" और हिन्दी में "भारत" और सिक्के का मूल्य अंकित रहेगा । श्री नेहरू के अगले जन्म दिन, अर्थात् 14 नवम्बर, 1964 से ये सिक्के जारी करने का विचार है ।

ईंट बनाने का संयंत्र

*392. महाराजकुमार विजय आनन्द :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री चवन :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री वीरप्पा :

क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईंट बनाने के संयंत्र की स्थापना के लिये भारत और रूमानिया की सरकारों के बीच एक करार हुआ है;

(ख) यदि हां, तो यह संयंत्र कहां स्थापित होगा तथा इस के निर्माण पर कितना धन व्यय होगा;

(ग) ईंटों का उत्पादन कब आरम्भ हो जायेगा; और

(घ) अधिकतम अनुमानित उत्पादन क्या होगा ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना): (क) राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम समिति (दि नेशनल बिल्डिंगस कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड), एक सरकारी कम्पनी, मेसरज इन्डस्ट्रियल एक्सपोर्ट स्टेट कम्पनी फार फारन ट्रेड, बुचारेस्ट, रूमानिया के साथ ईंट बनाने के एक प्लान्ट के स्थापित करने का करार किया है ।

(ख) प्लान्ट जो दिल्ली संघ राज्य (यूनियन टैरीटोरीज आफ दिल्ली) के सुलतानपुर गांव में लगाये जाने का प्रस्ताव है और इस के बनाने की कुल अन्दाजन लागत (अनुमानित प्राक्कलन) 20 लाख रुपये है ।

(ग) तकरीबन मार्च 1966 तक ।

(घ) तकरीबन 3 से $3\frac{1}{2}$ करोड़ ईंटें सालाना ।

ग्राम्य विकास

*393. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री स० ब० पाटिल :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री मं० रं० कृष्ण :

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने भारत के ग्राम्य विकास के संबन्ध में अमरीकी राजदूत श्री चैस्टर बोल्स द्वारा पेश की गई योजना स्वीकार कर ली है; और

(ख) इस योजना के द्वारा प्रत्येक राज्य में एक जिले का धनीभूत तथा एकीकृत विकास किस प्रकार करने का विचार है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) यह स्कीम विचाराधीन है।

(ख) इस स्कीम की खास बात यह है कि प्रत्येक राज्य के एक जिले में व्यय-व्यवस्था कर, इस प्रकार का समाकलित और व्यापक विकास का आदर्श रूप विकसित किया जाय जो कि एक योजना आगे हो। स्कीम के ब्यौरे की राज्य सरकारों की सलाह से जांच की जा रही है।

भारतीय उद्योगों में अमरीकी विनियोजन

*394. श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री प्र० के० देव :
श्री सोलंकी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अमरीकी व्यापारियों से कहा है कि वे चुने हुए भारतीय उद्योगों में प्रति वर्ष कम से कम 3000 लाख डालर विनियोजित करें;

(ख) इस समय प्रति वर्ष कितनी अमरीकी पूंजी विनियोजित होती है;

(ग) ऐसे किन उद्योगों का सुझाव दिया गया है जिस में ये पूंजी विनियोजित हो; और

(घ) क्या भारत में आये अमरीकी व्यापारियों के शिष्ट मंडल ने विनियोजन बनाने के तरीकों के बारे में भारत सरकार को सिफारिशें भजी हैं ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत : (क) जी, नहीं ।

(ख) पिछले तीन वर्षों में भारत में जो गैर-सरकारी अमरीकी पूंजी लगायी गयी है वह इस प्रकार है :

(लाख रुपयों में)

1961	. . . .	557.00
1962	. . . .	1148.61
1963		1702.75

ये आंकड़े जारी किये गये स्वीकृति सम्बन्धी आदेश पर आधारित हैं ।

(ग) ये ऐसे उद्योग हैं जिन्हें विदेशों से तकनीकी जानकारी और पैट्रोलियम से बनने वाले पदार्थों (पैट्रोकैमिकल्स) मशीनें बनाने वाली मशीनों, उर्वरकों और इस्पात की ढली व गढ़ी वस्तुओं जैसे पूंजीगत साज-सामान मंगाने की आवश्यकता होती है ।

(घ) अमरीकी व्यापारियों के शिष्ट मंडल और सरकारी प्रतिनिधियों के बीच सरकार की नीतियों के उन विभिन्न सामान्य पहलुओं के बारे में बातचीत हुई जिन का सम्बन्ध गैर-सरकारी विदेशी पूंजी के निवश से है ।

मकान मालिक सरकारी कर्मचारी

*395. **श्री रामनाथन चेट्टियार** :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह निर्णय कर लिया है कि ऐसे किसी भी सराकारी कर्मचारी को सरकारी क्वार्टर नहीं दिया जायेगा जिस का दिल्ली में काम के स्थान से 16 किलोमीटर के अन्दर अपना मकान होगा;

(ख) यदि हां, तो क्वार्टरों के सामान्य "पूल" में ऐंसे गजेटेड कर्मचारी कितने हैं जो विभिन्न श्रेणियों के सरकारी क्वार्टरों में रह रहे हैं, और

(ग) राजधानी में सरकारी क्वार्टरों की अत्याधिक कमी को पूरा करने के लिये ऐसे क्वार्टरों को खाली कराने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना): (क) जी हां । लेकिन दुबारा जांचे गये (पुनरीक्षित) नियमों में इस के लिये कुछ छूट भी हैं, जैसे निजी मकान किसी ट्रस्ट को सौंप दिया जाये या मकान बहुत छोटा हो या खास हालातों में संयुक्त परिवार (ज्वाइंट फैमिली) की जायदाद का मामला हो ।

(ख) तकरीबन, 120 ।

(ग) दुबारा जांचे गये (पुनरीक्षित) नियमों के मातहत ऐसे मुलाजिमों को सरकारी रिहायश खाली करने की कोई जरूरत नहीं है अगर वे बढ़े हुए दर पर किराया अदा करते हैं ।

अल्प आय वर्ग आवास ऋण

*396. { श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री शिवचरण गुप्त :

क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अल्प आय वर्ग आवास ऋण की अधिकतम सीमा 10,000 रुपये हाल में ही कर दी है तथा भूमि की लागत समेत मकान के कुल व्यय का 80 प्रतिशत ऋण देने का नियंत्रण लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष में योजना के लिये और कितना धन नियत किया गया है; और

(ग) जब यह अधिकतम सीमा निश्चित की गई थी तब से मकान निर्माण का व्यय कितने प्रतिशत बढ़ गया है तथा ऋण की अधिकतम सीमा बढ़ा कर इस को कितना पूरा कर दिया जायेगा ?

निर्माण, और आवास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) जी हां। ऋण सीमा 8,000 रुपये से बढ़ा कर 10,000 रुपये कर दी गई है, अर्थात 2,000 रुपये बढ़ा दिये गये हैं।

(ख) चालू वर्ष में योजना के लिए अतिरिक्त (अलग से कोई और) धन नियत नहीं किया गया है ।

(ग) 1954 में जब ऋण-सीमा प्रति मकान 8,000 रुपये निश्चित की गयी थी, तब से निर्माण का व्यय लगभग 40 प्रतिशत बढ़ गया है। 1954 में जिस मकान की लागत (कीमत), 10,000 रुपये थी उस की लागत अब तकरीबन 14,000 रुपये हो गई है।

बीहड़ों के कृष्यकरण के लिए अन्तर्राज्यिक नियंत्रण बोर्ड

*397. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग द्वारा स्थापित प्राकृतिक साधन सम्बन्धी समिति ने सिफारिश की है कि बीहड़ों के कृष्यकरण के लिये अन्तर्राज्यिक बोर्ड स्थापित किया जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) प्राकृतिक साधन समिति ने, भारत में बीहड़ों के सर्वेक्षण और उद्धार पर अध्ययन किया और अपने प्रतिवेदन के मसौदे में सुझाव दिया है कि बीहड़ों के उद्धार के लिए प्राथमिकता निश्चित करने तथा नियोजन कार्यवाही करने के लिये भूमि संरक्षण केन्द्रीय बोर्ड के तत्वाधान में अन्तः राज्य नियंत्रण बोर्ड गठित किया जाय। प्रतिवेदन के मसौदे पर अभी विचार-विनिमय किया जा रहा है और उसे अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

राजस्थान के लिए अनुसंधान योजनायें

1169. **श्री कर्णी सिंहजी** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964–65 वर्ष के लिये केन्द्रीय सिंचाई और विद्युत् बोर्ड द्वारा राजस्थान के लिये कितनी अनुसन्धान योजनायें स्वीकार की गयीं; और

(ख) यह केन्द्र कहां, कहां पर स्थापित होंगे ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) राज्य में इस समय कोई भी अनुसन्धान केन्द्र न होने के कारण राजस्थान को मूलभूत तथा बुनियादी अनुसन्धान योजना के अधीन अनुसन्धान का कोई कार्य नहीं सौंपा गया है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

ब्रिटेन से निः शुल्क चिकित्सा सामग्री की सप्लाई

1170. **श्री राम हरख यादव** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में निःशुल्क चिकित्सा सामग्री की सप्लाई होने के बारे में ब्रिटेन सरकार से एक समझौता हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो समझौते का विवरण तथा शुल्क मुक्त सामग्री का ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर :) : (क) और (ख) जी नहीं । परन्तु भारत सरकार तथा ब्रिटेन सरकार ने निम्नलिखित सिद्धान्तों को स्वीकार कर लिया है :—

ब्रिटेन की सहायता अभिकरणों द्वारा सहायता के रूप में दी गई वह औषधियां, जो भारत सरकार के चिकित्सा भांडार पुनर्गठन के नाम से कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई बन्दरगाहों अथवा निश्चित किए गए हवाई अड्डों पर आये, को भारत में निःशुल्क आने की अनुमति दी है । यह औषधि भारत सरकार द्वारा स्वीकृत भारत के अभिकरणों की शाखाओं समेत स्वयंसेवी सहायता संगठनों को दी जायेंगी ।

समझौते के अनुसार सहायता के "पैक" जो खाद्यान्नों, दुग्ध पाउडर, खाद्य पदार्थों, औषधियों, मल्टीविटामिन टेबलेट, होते हैं तथा अस्पताल का सामान, खेती के औजार तथा अन्य भारत सरकार तथा ब्रिटेन सरकार द्वारा स्वीकृत दान के रूप में दी गई वस्तुयें भारत आयेंगी ।

गैस तथा कार्बाइड पर बिक्री कर

1171. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या वित्त मंत्री 30 अप्रैल, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2684 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली की वहुत सी फर्में अधिनियम के उपबन्धों के अधीन निर्माण के लिये गैस और कार्बाइड निःशुल्क ले रहे हैं जिसके कारण सरकारी राजस्व को बहुत हानि हो रही है तथा दिल्ली बिक्री कर अधिकारी इस मामले में कार्यवाही कर रहे हैं ;

(ख) अभी भी कितनी फर्मों को गैस तथा कार्बाइड निःशुल्क मिल रहा है तथा राजस्व को अनुमानतः कितना नुकसान हुआ है; और

(ग) सरकार उन व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है जिनके कारण सरकार को नुकसान हुआ है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख) यह मालूम होने पर कि दिल्ली में लागू बिक्री कर कानून के उपबन्धों के अधीन वस्तुओं के निर्माण में काम में लाने के लिये खरीदे गये गैस तथा कार्बाइड को कर मुक्त नहीं रखा जा सकता है, इन को तभी कानून के अधीन सम्बन्धित व्यापारियों के प्रमाणपत्रों में से निकाल दिया गया था। सरकार को यह जानकारी नहीं है कि कोई व्यापारी अभी भी गैस तथा कार्बाइड बिना कर दिये खरीद रहा है। परन्तु यदि ऐसा काम कोई व्यापारी अभी भी करेगा तो उसके विरुद्ध मुकदमा चलाया जा सकता है अथवा कानून के उपबन्धों के अनुसार उसको 1½ गुना कर देना पड़ेगा।

(ग) भाग (क) और (ख) में बताये अनुसार प्रश्न ही नहीं उठता।

रिहन्द तथा माता टीला बांध

1172. **श्री राम हरख यादव** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश में रिहन्द तथा माताटीला बिजली घरों से उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश को बिजली देने का निर्णय करने के लिये एक समिति नियुक्त की है; और

(ख) यदि हां, तो क्या समिति ने अपना निर्णय दे दिया है और वह दर निश्चित कर दिए हैं जिन पर बिजली दी जायेगी।

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव)) : (क) जी हां।

(ख) जी हां। निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं :

रिहन्द बिजली घर से मध्य प्रदेश को बिजली का सम्भरण

उत्तर प्रदेश विद्युत बोर्ड मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड को प्रतिवर्ष रिहन्द से उपलब्ध बिजली का 15 प्रतिशत दे देगा। रिहन्द बिजलीघर के सब स्टेशन से बिजली लागत मूल्य में 5 प्रतिशत शामिल करके जो मूल्य बनेगा उस मूल्य पर दी जायेगी। इस पर 3.5 पैसे / के डब्ल्यु एच प्रशुल्क निश्चित किया गया है तथा यह इस शर्त पर दी जायेगी कि उस पर कभी भी अनिवार्य युद्ध जोखिम बीमा लागू होने पर अधिभार लगाया जा सकता है तथा बिजली मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड को उस राज्य की सीमा पर दी जायेगी तथा मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड सूद, अवक्षयण मरम्मत आदि के लिये रिहन्द बिजली घर को 1.5 लाख रुपया देगी।

माताटीला बिजली घर से मध्य प्रदेश को बिजली का सम्भरण

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड, मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड को प्रति वर्ष माताटीला से उपलब्ध एक तिहाई बिजली देगा। बिजली लागत मूल्य में 5 प्रतिशत मिलाकर मूल्य पर दी जायेगी। इस पर 0.5 पैसे / के डब्ल्यु एच प्रशुल्क निश्चित किया गया है तथा यह इस शर्त पर दी जायेगी कि उस पर कभी भी अनिवार्य युद्ध जोखिम बीमा लागू होने पर अधिभार लगाया जा सकता है।

रिहन्द तथा माताटीला बिजली घरों से मध्य प्रदेश को बिजली का संभरण जिन दरों पर हुआ है उनका 10 वर्ष बाद पुनरीकरण किया जा सकता है।

क्षयरोग से पीड़ित सरकारी कर्मचारी

1173. **श्री वाडीया:** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) 1963 में दिल्ली में क्षय रोग से कितने सरकारी कर्मचारी पीड़ित थे ;

(ख) उस वर्ष में सरकारी कर्मचारियों के परिवारों के कितने सदस्य क्षय रोग से पीड़ित थे ; और

(ग) क्या सरकार उन व्यक्तियों को कोई वित्तीय सहायता देने पर विचार कर रही है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख) पता लगा है कि 1963 में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का फायदा उठाने वाले सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों के सदस्यों में 2509 व्यक्ति क्षय रोग से ग्रस्त थे। सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिये पृथक आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। दिल्ली में अधिकांश सरकारी कर्मचारी और उनके परिवारों के सदस्य केन्द्रीय सरकार स्वस्थ्य योजना का फायदा उठाते हैं। ऐसे सरकारी कर्मचारी जो इस योजना के अन्तर्गत नहीं आते, उनके और उनके परिवारों के सम्बन्ध में आंकड़े प्राप्त किये जा रहे हैं और अपेक्षित जानकारी बताने वाला एक विवरण यथा समय सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

(ग) जी नहीं। रोग की जांच विशेषज्ञ के परामर्श और इलाज (अस्पताल में दाखला भी शामिल है) सम्बन्धी पूर्ण सुविधाएं सरकारी खर्चे पर दी जाती हैं।

पलाई सेंट्रल बैंक

1174. **श्री वारियर :** क्या वित्त मंत्री 10 सितम्बर, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 328 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पलाई सेन्ट्रल बैंक जिसका समापन किया जा रहा है, 1959–63 की अवधि के लिये आय कर के लिये उसका दायित्व कब निर्धारित किया जायेगा ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : आशा है कि 1959–63 की अवधि के लिये पलाई सेंट्रल बैंक (जो समापन की क्रिया में है) का आय कर दायित्व आय कर अधिकारी द्वारा चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक निर्धारित किया जायेगा।

होम्योपेथिक चिकित्सा पद्धति

1175. **डा० ब० ना० सिंह :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) ऐलोपेथिक चिकित्सा पद्धति सम्बन्धी विद्यमान विधान के आधार पर देश में होम्योपेथिक चिकित्सा पद्धति के शिक्षण और चिकित्सा करने के स्तर को निर्धारित करने के लिये क्या एक व्यापक विधान लाने के लिये कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

होम्योपेथिक चिकित्सा बोर्ड

1176. **डा० ब० ना० सिंह** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली की होम्योपेथिक शिक्षा संस्थाओं को मान्यता देने के लिये होम्योपेथिक चिकित्सा बोर्ड, दिल्ली ने क्या शर्तें रखी हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि 1956 में होम्योपेथिक अधिनियम के बनाने के बाद होम्योपैथिक डाक्टरों के रजिस्ट्रेशन के लिये बोर्ड ने एक भी परीक्षा नहीं ली है; और

(ग) जब से बोर्ड स्थापित किया गया है क्या उसने कोई प्रगति सम्बन्धी प्रतिवेदन पेश किये हैं और यदि हां, तो कितने, और नवीनतम प्रतिवेदन क्या है

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) दिल्ली होम्योपेथिक अधिनियम, 1956, की धारा 31 के अन्तर्गत होम्योपेथिक चिकित्सा पद्धति बोर्ड, दिल्ली किसी भी ऐसी संस्था को जो विद्यार्थियों को परीक्षा में पास होने के लिये शिक्षा दे रही हो, मान्यता दे सकता है, यदि बोर्ड इस बात से संतुष्ट हो कि इन संस्थाओं में जो शिक्षा दी जाती है वह मान्यता प्रदान करने के लिये अपेक्षित स्तर की है ।

(ख) होम्योपेथिक डाक्टरों के रजिस्ट्रेशन के लिये पृथक परीक्षा करने के सम्बन्ध में अधिनियम में कुछ नहीं कहा गया है और इस लिये ऐसी परीक्षा करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) जी नहीं । तथापि, बोर्ड अपनी बैठकों की कार्यवाहियां दिल्ली प्रशासन को भेजता है । सरकार के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार बोर्ड ने 280 होम्योपेथिक डाक्टर रजिस्टर किये हैं और होम्योपेथिक परीक्षा में डिपलोमा के लिये पाठ्यचर्या तैयार की है ।

होम्योपेथिक विज्ञान में डिप्लोमा

1177. **डा० ब० ना० सिंह** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन ने होमियोपेथिक चिकित्सा पद्धति बोर्ड, दिल्ली को अगस्त, 1964 में, होम्योपेथिक विज्ञान में डिप्लोमा के लिये, अन्तिम परीक्षा लेने की आज्ञा दी थी ;

(ख) यदि हां, तो उस परीक्षा में बैठने के लिये क्या मूल अर्हताएं रखी गई हैं ;

(ग) क्या सरकार इस से अवगत है कि दिल्ली में डी० एच० एस० कोर्स के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देने की कोई सुविधा नहीं है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या ऐसी प्रशिक्षण सुविधायें देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) दिल्ली होम्योपेथिक अधिनियम, 1956 की धारा 29 के अन्तर्गत होम्योपेथिक चिकित्सा पद्धति बोर्ड, दिल्ली को परीक्षाएं लेने का पूर्ण अधिकार है । विनियमों के उपबन्धों के अनुसार होम्योपेथी विज्ञान में डिपलोमा के लिये प्राइवेट विद्यार्थिग्रों के लिये प्रथम परीक्षा, जो कि फरवरी, 1965 में ली जायेगी, का आयोजन बोर्ड द्वारा किया जा रहा है ।

(ख) सभी होम्योपेथ प्राइवेट अभ्यर्थियों के रूप में केवल पहली तीन परीक्षाओं में बैठने के लिये पात्र हैं ।

(ग) और (घ) इस समय प्रशिक्षण के लिये दिल्ली में कोई व्यवस्था नहीं है । डिफेंस कालोनी, दिल्ली में नेहरू होम्योपेथिक कालिज है और हस्पताल की स्थापना के लिये भारत सरकार ने 1,32,000 रु० अनावर्ती अनुदान की प्रथम किश्त के रूप में दिये हैं। आशा है कि कालिज अगले वर्ष के मध्य से चालू हो जायेगा ।

पंजाब में गांवों का विद्युतीकरण

1178. **श्री दलजीत सिंह :** क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी योजना में पंजाब के गांवों के विद्युतीकरण के लिये वहां की सरकार ने कितनी वित्तीय सहायता मांगी है ; और

(ख) अब तक कितनी सहायता दी गई है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव): (क) 1445.36 लाख रु०

(ख) 417 लाख रु० ।

केरल में चिकित्सालय

1179. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री इम्बीचीबावा :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री धवन :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जूनियर चेम्बर आफ कामर्स, साउथ कैरोलिना एन्ड वाशिंगटन केरल में एक चिकित्सालय का निर्माण कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो किस करार के अन्तर्गत इसका निर्माण किया जा रहा है ; और

(ग) इसकी अनुमानित लागत क्या होगी और इस पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय होगी ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) से (ग) भारत अमरीका मैत्री चिकित्सा न्यास द्वारा जूनियर चैम्बर आफ कामर्स, सीटल, साउथ कैरोलिना और अन्य धर्मार्थ निकायों की सहायता से कोट्टायम में चिकित्सालय के निर्माण का एक प्रस्ताव है । अमरीका के एक प्रतिनिधि मण्डल ने केरल का दौरा किया था और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री तथा वित्त मंत्री से बातचीत की थी । राज्य सरकार इस प्रयोजन के लिये 19 एकड़ भूमि देने पर विचार कर रही है । इस चिकित्सालय में 100 पलंगों की व्यवस्था होगी । इस चिकित्सालय का अन्य व्यय जूनियर चेम्बर आफ कामर्स , सीटल, इस प्रयोजन के लिये जमा की गई निधियों से वहन करेगी । केरल सरकार ने बताया है कि इसकी अनुमानित लागत 2·5 करोड़ रु० ह । इस पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय होगी , इस बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है । पक्षों ने अभी किसी करार पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं ।

पंचवर्षीय योजनाओं में सामाजिक सेवाओं के लिए नियत राशियां

1180. **श्री भी० प्र० यादव :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री धवन :
श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तीनों पंचवर्षीय योजनाओं में सामाजिक सेवाओं के लिये नियत की गई राशियों में कमी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक योजना में कुल कितने प्रतिशत कमी हुई ;

(ग) क्या सरकार चौथी योजना में सामाजिक सेवाओं को प्राथमिकता देना चाहती है ; और

(घ) देश में सामाजिक सेवा के सुधार के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत): (क) और (ख) जी हां, जैसा कि निम्न सारिणी में दिया हुआ है ;

योजनाओं में सरकारी क्षेत्र के लिए नियत की गई राशियां –

(करोड़ रुपयों में)

	प्रथम योजना (पुनरीक्षित)	द्वितीय योजना	तृतीय योजना	प्रथम योजना की अपेक्षा द्वितीय योजना में वृद्धि की प्रतिशतता	तृतीय योजना में वृद्धि की प्रतिशतता: प्रथम योजना की अपेक्षा	तृतीय योजना में वृद्धि की प्रतिशतता: द्वितीय योजना की अपेक्षा
सामाजिक सेवाएं	532	945	1300	78	144	38
(2) योजना का कुल व्यय	2378	4800	7500	102	215	56
(2) पर (1) की प्रतिशतता	22.4	19.7	17			

(ग) मामला विचाराधीन है ।

(घ) इसके ब्यौरे तृतीय योजना के मध्यकालीन मूल्यांकन और बाद में निकाले गये पत्र "तृतीय योजना के मध्यकालीन मूल्यांकन में की गई सिफारिशों के अनुसरण में की गई अथवा की जाने वाली कार्यवाहियां" में दिये गये हैं जो पहले ही सभा पटल पर रख दिये गये हैं ।

SURGERY OF VEINS

1181. **Shri M.L. Dwivedi:**
Shrimati Savitri Nigam:
Shri S.C. Samanta:
Shri Subodh Hansda:

Will the Minister of **Health** be pleased to state :

(a) whether the new method of treatment of serious diseases caused due to clotting of blood in the veins by surgery of veins being practised in several hospitals of the U.S.A. has been practised anywhere in India and if so, where ; and

(b) whether Government propose to train Indian surgeons in this field of surgery ?

The Minister of Health (Dr. Sushila Nayar): (a) Yes. Surgical measures for the treatment of "Clotting of Blood" in the veins have been in use for a long time. Facilities for such treatment are available in all teaching and major hospitals in the country, particularly in Vellore, Bombay, Nagpur and Calcutta.

(b) Indian Surgeons are already receiving training in this field of Surgery. Some Surgeons hae also been sent abroad under the fellowship programme, for training in Vascular Surgery as a Speciality.

तृतीय श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों के लिये क्वार्टर

1182. श्री विश्राम प्रसाद : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1954 में अथवा इसके पश्चात् नियुक्त किये गये तृतीय श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों को अभी तक भी सरकारी क्वार्टर नहीं दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) 1954 के पश्चात् नियुक्त किये गये तृतीय श्रणी के कर्मचारियों को कब सरकारी मकान दिये जाने की सम्भावना है (वर्ष वार ब्यौरे बताये जायें) ।

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) सामान्यतया ऐसा ही है । 1 लाख 16 हजार मकानों की मांग है जब कि हमारे पास कुल केवल 31 हजार ही मकान देने के लिये उपलब्ध हैं ।

(ख) मकानों की कमी के कारण ।

(ग) अधिक मकान बनाने के लिये सरकार प्रत्येक सम्भव उपाय कर रही है और उन लोगों को मकान देने में कुछ वर्षों का समय लगेगा ।

आदिम जाति संबंधी अर्थ-व्यवस्था

1183. श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री धवन :

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राहन क्षेत्र सर्वेक्षण के आधार पर आदिम जाति अर्थ व्यवस्था का व्यापाक अध्ययन करने के लिये संघ सरकार का एक दल नियुक्त करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उस दल द्वारा कब कार्य आरम्भ किये जाने की सम्भावना है ; और

(ग) उसका कार्य-क्षेत्र तथा कृत्य क्या होंगे ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत): (क) जी, हां । आदिम जाति अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिये एक अथवा कई दलों को नियुक्त करने का भी विचा है ।

(ख) और (ग). सामाजिक सुरक्षा विभाग तथा सम्बन्धित राज्य सरकारों के परामर्श में इसके ब्यौरे अभी तैयार किये जायेंगे । इस कार्य के हो जाने के पश्चात्, ऐसे दल (दलों) के कार्य क्षेत्र तथा कृत्यों को निश्चित करना तथा उनके कार्य के लिये समय निर्धारित करना सम्भव हो सकेगा ।

दिल्ली में कुटीर अस्पताल

1184. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली नगरपालिका ने नगर में कई कुटीर अस्पतालों को खोलने के लिये एक योजना तैयार की है और इस योजना को क्रियान्वित करने के लिये केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य मंत्री डा० सुशीला नायर : (क) और (ख). चतुर्थ योजना में सम्मिलित किये जाने के लिये नई दिल्ली नगरपालिका ने अपने क्षेत्राधिकार के अधीन विभिन्न क्षेत्रों में कुछ बाल पक्षाघात चिकित्सालयों और स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना के लिये एक योजना प्रस्तुत की है । यह मामला अभी तक दिल्ली प्रशासन के विचाराधीन है।

दिल्ली विकास प्राधिकार

1185. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री कपूर सिंह :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूमि के विकास का कार्य दिल्ली विकास प्राधिकार द्वारा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को सौंपा जा रहा है ;

(ख) यदि हां, इसके लिये एक पृथक संस्था न बनाने के मुख्य कारण क्या हैं, जैसा कि दिल्ली विकास अधिनियम की धारा 6 में संकल्पित है ; और

(ग) क्या इस मामले में शीघ्र ही कोई निर्णय करने का सरकार का विचार है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) जी, हां ।

(ख) दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 6 में, दिल्ली विकास प्राधिकार में एक पृथक इंजीनियरी संस्था बनाने के लिये, विशेषरूप से कोई उपबन्ध नहीं किया गया है । उसमें प्राधिकार को भवन, इंजीनियरी, खनन तथा अन्य कार्यों के और जल संम्भरण विद्युत्, मल बाहर फेंकने की व्यवस्था और अन्य सेवाओं से सम्बन्धित कार्यों को करने का अधिकार दिया गया है। विभागीय व्यय का भुगतान कर के अपने इंजीनियरी कार्यों का निष्पादन करने के लिये केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग जैसी किसी संस्था के साथ समझौता करने के बारे में प्राधिकार पर कोई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई है ।

(ग) सरकार का यह विचार है कि उपयुक्त कर्मचारियों, उपकरण तथा सामग्री की व्यवस्था करने में, होने वाली कठिनाइयों को देखते हुए दिल्ली विकास अधिनियम के अधीन एक स्वतंत्र इंजीनियरी संस्था की स्थापना करना इस समय न तो सम्भव ही है और न आवश्यक ही । हो सकता है कि वह वर्तमान व्यवस्था से अधिक खर्चीली सिद्ध हो।

कावेरी नदी पर बांध

1186. { **श्री विश्वनाथ पांडेय :**
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री यशपाल सिंह :
श्री ओंकार लाल बेरुआ : }

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कावेरी नदी पर या तो होगेनेवकल जलप्रपात पर अथवा विद्युत् जनन के लिये चुने जाने वाले अन्य किसी स्थान पर एक बांध बनाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या ब्यौरे हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव): (क) जी, हां । कावेरी घाटी में विद्युत् के विकास के लिये मद्रास तथा मैसूर राज्यों की सरकारों ने विभिन्न प्रस्ताव किये हैं परन्तु अभी तक भी कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है ।

(ख) जो जांचें इस समय की जा रही हैं उनके पूरा हो जाने और लागत के व्यावहारिक अनुमानों के तैयार हो जाने के पश्चात् ही इन योजनाओं की क्रियान्विति के प्रश्न पर विचार किया जा सकता है ।

कम्पनियों के निदेशक

1187 { **श्री यशपाल सिंह :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त : }

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसी कुछ कम्पनियां हैं जिनमें निदेशकों की कुल संख्या के कम से कम दो-तिहाई निदेशकों की सामानुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार नियुक्तियों की व्यवस्था नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष उनकी संख्या कितनी थी ; और

(ग) इस दुराचार को बन्द करने के लिये क्या कदम उठाने का विचार किया जा रहा है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी): (क) से (ग). समवाय अधिनियम की धारा 265 में की गई व्यवस्था के अनुसार कोई कम्पनी, यदि वह ऐसा करना चाहे, अपने अन्तर्नियमों में निदेशकों की कुल संख्या के कम से कम दो-तिहाई निदेशकों की, समानुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त के अनुसार, चाहे तो एकल संक्रमणीय मत अथवा सार्वाधिक मत पद्धति द्वारा अथवा अन्य किसी पद्धति द्वारा, नियुक्ति के लिये व्यवस्था कर सकती है । इस धारा के कम्पनियों को केवल अनुमति प्रदान की गई है, फिर कोई कम्पनी इस पद्धति को चाहे अपनाये अथवा नहीं ।

जिन कम्पनियों ने इस पद्धति के द्वारा निदेशकों की नियुक्ति के लिये अपने अन्तर्नियमों में व्यवस्था की है उनकी संख्या के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। इस बात को सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में कि कम्पनियां इस सिद्धांत को अपनायें किसी कार्यवाही पर विचार नहीं किया जा रहा है ।

पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का उपयोग

1188. **श्री रा० गि० दुबे** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिवेन्द्रम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद् की बैठक के दौरान उस क्षेत्र में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के उपयोग के प्रश्न की जांच करने के लिये दक्षिणी राज्यों के सभी मुख्य मंत्रियों की एक समिति स्थापित की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो इस समिति की स्थापना किन कारणों से की गई थी ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) एक समिति स्थापित की गई है जिसके सदस्य केन्द्रीय सिंचाई और विद्युत् मंत्री तथा केरल, मैसूर और मद्रास राज्यों के मुख्य मंत्री हैं ।

(ख) यह विचार किया गया था कि ऐसे अन्तर्राज्यिक मामलों को, किसी स्वीकृत हल पर पहुंचने के लिये, केन्द्रीय मंत्री के प्रभाव का उपयोग कर के, पारस्परिक बातचीत द्वारा तय करना उचित होगा ।

बच्चों की शिक्षा के लिए भत्ता

1189. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा के लिये भत्ते के सम्बन्ध में हाल ही में जो आदेश जारी किये गये हैं वे केवल मिडिल तथा उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के विद्यार्थियों के लिये ही हैं ;

(ख) क्या सरकार के ध्यान में यह बात लाई गई है कि उत्तर प्रदेश में कोई उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम नहीं है ; और

(ग) यदि हां, तो वहां पर ये आदेश किस प्रकार क्रियान्वित किये जा सकते हैं ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी): (क) और (ख). जी हां ।

(ग) उत्तर प्रदेश में हाई स्कूल स्तर तक (दसवीं कक्षा) शिक्षा पाने वाले बच्चों के शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति की जायेगी ।

भाखड़ा बांध की सिंचाई की क्षमता

1190. **श्री वी० चं० शर्मा** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाखड़ा बांध की योजना में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार वर्ष 1963-64 में सिंचाई क्षमता प्राप्त की गई थी ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख). भाखड़ा बांध के प्रतिस्रोत जलाशय को पहली बार भरने का कार्य धीरे-धीरे किया जाना है । 1963 में इसके 1645 की ऊंचाई तक भरे जाने की आशा थी जब कि वह 1640 तक भरा गया और चालू वर्ष में 1660 ऊंचाई तक भरे जाने की आशा है ।

दिल्ली में डाक्टरों की कमी

1191. **श्री प्र0 चं0 बरुआ** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजधानी में सरकारी अस्पतालों में डाक्टरों की भारी कमी है ;

(ख) यदि हां, तो औसत तौर पर प्रत्येक डाक्टर एक दिन में कितने बहिरंग रोगियों को देखता है और प्रत्येक विशेशज्ञ कितने पलंगों की देखभाल करता है ; और

(ग) स्थिति में सुधार के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) राजधानी में सरकारी अस्पतालों में डाक्टरों की कुछ कमी है ।

(ख) औसत तौर पर एक डाक्टर प्रति दिन 30–40 बहिरंग रोगियों को देखता है जबकि एक विशेषज्ञ की देख रेख में लगभग 50 पलंग होते हैं।

(ग) कर्मचारियों की स्थिति की ओर हर समय ध्यान दिया जाता है और समय समय पर अतिरिक्त कर्मचारी मंजूर किये जाते हैं।

डालमिया जैन के समवाय

1192. **श्री प्र० चं० बरुआ** :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री यशपाल सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 5 साहू जैन कम्पनियों के मामलों की जांच करने के लिये सरकार द्वारा नियुक्त निरीक्षक ने त्यागपत्र दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख). यह देखते हुए कि सम्बन्धित कम्पनियां निरीक्षक को उसके काम में सहयोग नहीं दे रही थी, निरीक्षक, श्री एस० प्रकाश चोपड़ा इस बात की शिकायत करते रहे थे कि जांच का कार्य बहुत अधिक समय ले रहा था जिसकी उसे आशा न थी और इससे उसके अपने कार्य को नुकसान पहुंच रहा था। इसलिये उन्होंने इस कार्य को छोड़ने की इच्छा प्रकट की थी । यह फैसला किया गया था कि 1 जुलाई, 1964 से उन से 3 कम्पनियों, अर्थात् अशोक मार्केटिंग लिमिटेड, साहू जैन लिमिटेड और न्यू सेन्ट्रल ज्यट मिल्स कम्पनी लिमिटेड का कार्य वापस ले लिया जाये । तथापि श्री चोपड़ा अन्य दो कम्पनियों, अर्थात्, बनेट कोलमैन एंड कम्पनी लिमिटेड और रोहतास इण्डस्ट्रिज लिमिटेड, के निरीक्षक चले आ रहे हैं। उन से इन दो कम्पनियों का काम वापस लेने का प्रश्न भी विचाराधीन है ।

जिन तीन कम्पनियों का काम श्री चोपड़ा से वापस लिया गया है उनके लिये 3 विभागीय निरीक्षक इस बीच नियुक्त कर दियें गये हैं।

उद्योग पतियों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय बैंकों से लिया गया ऋण

1193. **महाराज कुमार विजय आनन्द** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) जुलाई, 1963 से जून, 1964 के बीच की अवधि में भारत के गैर-सरकारी उद्योग-पतियों द्वारा विकास परियोजनों के लिये विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय बैंकों से ऋण के रूप में कितनी राशि ली गई; और

(ख) क्या गैर-सरकारी कम्पनियों तथा व्यक्तियों द्वारा इन ऋणों के लिये बात-चीत सरकार को बीच में ला कर की जाती है अथवा ऋण की शर्तें अन्तिम रूप से तय हो जाने के पश्चात् ही सरकार को इसकी सूचना दी जाती है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी): (क) पहले से मंजूर किये गये ऋणों में से, भारतीय गैर-सरकारी उद्योग ने 1 जुलाई, 1963 से 30 जून, 1964 तक विश्व बैंक से 11.31 करोड़ रु० की राशि ली (जिस में भारतीय औद्योगिक ऋण तथा विनियोजन निगम द्वारा दिये गये ऋण भी शामिल हैं), और 43 लाख रु0 की राशि अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम से ली। इस अवधि में विश्व बैंक द्वारा गैर-सरकारी उद्योग को कोई नये ऋण नहीं दिये गये थे। इस अवधि में अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा भारतीय उद्योग को मंजूर किये गये 2.72 करोड़ रु० के नये ऋणों में से कोई भुगतान नहीं किया गया था।

(ख) दोनों मामलों में ऋणों को अन्तिम रूप से तय करने के लिये भारत सरकार की पूर्व मंजूरी आवश्यक है। इस मंजूरी के बाद गैर-सरकारी उद्योगपतियों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम से बातचीत की जाती है; तथापि, विश्व बैंक से ऋण के मामले में, भारत सरकार गारण्टी देती है और इसलिये, ऋण सम्बन्धी बात-चीत में भाग लेती है।

अमृतसर में कपड़ा छपाई के एकक

1194. **श्री हेम राज** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमृतसर में गत जून में कपड़ा छपाई के लगभग 100 एकक बन्द कर दिये गये; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी हां। रेशम अथवा कृत्रिम सिल्क तैयार करने के भाप से चलने वाले लगभग 80 एकक जून और जुलाई, 1964 में कुछ समय के लिये बन्द रहे।

(ख) उपरोक्त एककों के बारे में यह पता चला था कि वे उस रेयन अथवा कृत्रिम रेशमीं कपड़े पर उचित केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नहीं दे रहे थे जो कि वें भाप की सहायता से तैयार करते थे। इसलिये उनके स्थानों की तलाशी लेना आवश्यक हो गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि केन्द्रीय उत्पादन शुल्क लगाये जाने के प्रति विरोध प्रकट करने के लिये ये एकक बन्द किये गये थे। तथापि, उत्पादन तथा सीमा शुल्क के केन्द्रीय बोर्ड द्वारा इस बीच कुछ छूट देने और स्थानीय केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिकारियों द्वारा उनके क्रियान्वित किये जाने से समस्या काफ़ी हद तक सुलझ गई है।

सिस्सू और शंशा नालों पर बिजली-घर

1195. श्री हेम राज : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने पंजाब के लाहोल और स्पिति जिला के शंशा और सिस्सू नालों पर बिजली-घरों के निर्माण के लिये स्वीकृति मांगी है ;

(ख) क्या इस मामले पर सिन्धु पानी के लिये पाकिस्तान के आयुक्त से लिखा-पढ़ी की गई है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उनके निर्माण के लिये मंजूरी कब दी जायेगी ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव): (क) जी हां ।

(ख) से (घ). पश्चिमी नदियों पर बिजली पैदा करने के लिये, सिन्धु जल संधि के अन्तर्गत कुछ जानकारी पाकिस्तान सरकार को छोटे संयंत्र से सम्बन्धित नदी कार्यों का निर्माण आरम्भ करने से कम से कम 2 महीने पूर्व, देनी होती है । शंशा विद्युत् संयंत्र से सम्बन्धित अपेक्षित आंकड़े सिंधु जल के लिये पाकिस्तान के आयुक्त को 23 दिसम्बर, 1963 को दे दिये गये थे और सिस्सु विद्युत् संयंत्र के लिये आंकड़े 9 जुलाई, 1964 को दे दिये गये थें । पंजाब सरकार शंशा संयंत्र का निर्माण तेजी से कर रही है और सिस्सु संयंत्र का कार्य अगले वर्ष आरम्भ करने का इरादा रखती है ।

पश्चिमी कोसी नहर

1196. { श्री श्रीनारायण दास :
श्री योगेन्द्र झा : }

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री पश्चिमी कोसी नहर के बारे में 20 फरवरी, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 405 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी कोसी नहर के मार्ग निर्धारण को अब अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो अब जो मार्ग तय किया गया है, वह क्या है; और

(ग) क्या निर्माण-कार्य अब आरम्भ हो गया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) पश्चिमी कोसी नहर के मार्ग निर्धारण को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

दिल का दौरा

1197. **श्री च० का० भट्टाचार्य** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान "लैन्सेर" नामक चिकित्सीय पत्रिका में प्रोफेसर जोन युदकिन जिनकी बात को पौष्टिकता में प्रमाण मानते हैं, के एक लेख की ओर गया है जिसमें कहा गया है कि दिल के दौरे का मुख्य कारण अधिक मात्रा में चीनी का खाना है; और

(ख) इस निष्कर्ष की सचाई का पता लगाने के लिये क्या भारत में कोई जांच की जा रही है ।

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) प्रो० जान युदकिन ने कहा है कि चीनी बढ़ाने वाले पदार्थों और चीनी का उपभोग विभिन्न राष्ट्रों में तकरीबन एक जैसा है । इस लिये हो सकता है कि अलग अलग लोगों में 'इस्केमिक' दिल के रोग अथवा मधुमेह से चर्बी बढ़ाने वाले पदार्थों का परोक्ष सम्बन्ध हो और चीनी का उपभोग इसका कारण हो ।

(ख) जी हां ।

पूंजी जारी करना

1198. **श्री सोलंकी :**
श्री नरसिम्हा रेड्डी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964 के पूर्वार्द्ध में कितनी वार्षिक पूंजी जारी की गई ; और

(ख) उसी अवधि में गत वर्ष कितनी पूंजी जारी की गई ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) विवरण पत्रों द्वारा जारी की गई कुल 44.64 करोड़ रु० की पूंजी में से 20.20 करोड़ रु० की राशि जारी की गई थी ।

(ख) विवरण पत्रों द्वारा जारी की गई कुल राशि 16.37 करोड़ रु० की पूंजी में से 6.52 करोड़ रु० की राशि जारी की गई थी ।

आयुर्वेदिक तथा अन्य देशी दवाइयां

1199. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री विश्वनाथ पांडेय :
श्री रा० बरुआ :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयुर्वेदिक और अन्य देशी दवाइयों पर वैज्ञानिक तरीके से अनुसन्धान करने के लिये कोई योजना तैयार की गई है ;

(ख) क्या अनुसन्धान के लिये कोई विशेष देशी दवाइयां चुनी गई हैं ;

(ग) क्या औषध-प्रभाव विज्ञान, क्लिनिकल स्करीनिंग और रासायनिक विश्लेषण संबंधी अनुसन्धान के लिये पृथक पृथक खण्ड बनाये जायेंगे, और

(घ) तीसरी योजना की शेष अवधि के लिए इस अनुसन्धान कार्य के लिये कितनी राशि मंजूर की गई है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी हां । केन्द्रीय आयुर्वेदिक अनुसन्धान परिषद् ने भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद् के सहयोग से देशी दवाइयों पर—भेषजिक, 'क्लिनिकल', रासायनिक तथा औषध प्रभाव संबंधी —अनुसन्धान करने के लिये, एक योजना बनाई है । इस योजना के अनुसार 10 सर्किट स्थापित किये जायेंगे, प्रत्येक सर्किट में भेषज, विज्ञान, "क्लिनिकल स्करीनिंग" रसायन विज्ञान तथा औषध प्रभाव विज्ञान के एकक होंगे । देशी दवाइयों पर अनुसन्धान करने के लिये विभिन्न विश्वविद्यालयों के बनस्पति-विज्ञान, भेषज विज्ञान और रसायन विभाग और कुछ मैडिकल कालिजों के औषध-प्रभाव विज्ञान विभाग चुने गये हैं ।

(ख) जी हां, । लगभग 218 जड़ी बूटियां, जिनका आयुर्वेदिक में वर्णन किया गया है और/अथवा जो वैद्यों द्वारा प्रयोग में लाई गई हैं; इस प्रयोजन के लिये चुनी गई हैं । इस सूची में से 58 औषधियां, प्राथमिकता के आधार पर एकीकृत अनुसन्धान के लिये चुनी गई हैं ।

(ग) और (घ). जी हां । चालू वित्तीय वर्ष में 1.50 लाख रु० और बाद के वर्षों में योजना पर 12 लाख रु० प्रति वर्ष खर्च होने का अनुमान है ।

Raid On A Bombay Firm

1200. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Einance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the officers of the Fnforcement Directorate of the Ministry of Finance raided an import export firm of Bombay on or about the 30th June, 1964 ;

(b) if so, the particulars of the goods seized and the amount involved ; and

(c) the action taken against the firm ?

The Minister of Finance (Shri T.T. Krishnamachari) : (a) During the period from the 27th June, 1964 to 29th June, 1964 officers of the Enforcement Directorate, Foreign Exchange Regulations, searched the premises of an import and export firm in Bombay.

(b) Incriminating documents and foreign currencies, *viz.*, sterling £152 and U.S. F 6 were seized. The seized documents prima facie reveal violations of the provisions of the Foreign Exchange Regulation Act involving substantial amounts.

(c) Necessary investigation is being conducted.

राज्य पूंजी का विकास

1201. **श्री अ० सिं० सहगल : क्या योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पंजाब राज्यों को उनकी पूंजी के विकास के लिये अभी तक कितनी धनराशि मंजूर की गयी है ;

(ख) मध्य प्रदेश ने आरम्भ में कितनी धनराशि मांगी थी ; और

(ग) मध्य प्रदेश राज्य को शीघ्र अपेक्षित निधि देने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत): (क) सम्बन्धित राज्य सरकारों से जानकारी एकत्र की जा रही है ।

(ख) परियोजना की अनुमोदित लागत 1325 लाख रुपये है ।

(ग) परियोजना के लिये आवंटन वार्षिक योजना में हर वर्ष किया जाता है ।

चित्रकूट फाॅल से विद्युत् उत्पादन

1202. **श्री अ० सिं० सहगल : क्या सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में बस्तर की इन्द्रवती नदी के चित्रकूट फाल को चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में विद्युत् उत्पादन और एक तापीय विद्युत् केन्द्र स्थापित करने के बारे में शामिल कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो यह काम कब आरम्भ किया जायेगा ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव): (क) मध्य प्रदेश सरकार का इस योजना को चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में शामिल करने में विचार करने का इरादा है और इसको अभी अंतिम रूप दिया जाना है ।

(ख) पड़ताल-कार्य चल रहा है । पड़ताल-कार्य पूरा होने पर, आर्थिक सम्भावनाओं का पता लगाये जाने के बाद और क्रियान्विति के लिये योजना मंजूर किये जाने पर ही योजना को क्रियान्विति के लिये लिया जा सकता है । अत: अभी से यह नहीं कहा जा सकता कि यह कार्य कब आरम्भ किया जायेगा ।

Flood Warning By Radar

1203. **Shri Mohan Swarup:** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government are considering certain schemes to instal flood warnings radar system in certain areas ;

(b) if so, the details of the schemes, and

(c) the region which would benefit by it ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : (a) Yes.

(b) and (c). The details would be worked out on receipt of the Report of the Scientific Flood Fore-casting Committee under the chairmanship of Prof. K.R. Ramanathan.

जय इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड, कलकत्ता

1204. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मेसर्ज जय इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड, कलकत्ता, के विरुद्ध विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन करने के आरोपों की पड़ताल करने के कार्य में क्या प्रगति हुयी है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी): कुछ मामलों में जांच-कार्य पूरा हो गया है और मामले न्याय-निर्णयाधीन हैं। आगे जांच-कार्य चल रहा है ।

राजस्थान को सहायता

1205. **श्री कर्णी सिंह जी :**
श्री राम चन्द्र मलिक :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजस्थान सरकार को राज्य में हाल की दुर्भिक्ष-स्थिति का सामना करने के लिये ऋण के रूप में और राज-सहायता के रूप में कितनी धनराशि दी गयी है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : भारत सरकार ने राजस्थान सरकार को वर्ष 1963–64 में और वर्ष 1964–65 में जुलाई, 1964 के अन्त तक अभाव की स्थिति के कारण खर्च किये गये व्यय में सहायता करने के लिये अब तक 150 लाख रुपये का ऋण मंजूर किया है ।

कलकत्ता में सोने तथा जवाहरात का पकड़ा जाना

1206. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय ।** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता कस्टम अधिकारियों द्वारा उत्तर कलकत्ता में अपर चितपुर रोड पर अनेक दुकानों और रिहायशी मकानों से 12 जून, 1964 को या इसके आस-पास लगभग एक लाख रुपये मूल्य की सोने की छड़ें और जवाहरात पकड़े गये; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्योरा है और इस मामले में सरकार ने क्या कार्रवाई की है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख). 12 जून, 1964 को कलकत्ता के कस्टम अधिकारियों ने अपर चितपुर रोड, कलकत्ता की एक दुकान की और इसके मालिक के अबिनाश कविराज लेन, कलकत्ता, स्थित रिहायश की तलाशी ली और लगभग 52,000 रुपये मूल्य की (अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य के हिसाब से) सोने की छड़ें और जवाहरात और 35,760 रुपये की भारतीय मुद्रा, पकड़ी। इस बारे में दो गिरफ्तारियां की

गयी हैं और व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया जा रहा है। इस मामले में विभागीय कार्यवाही भी की जा रही है।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों का कल्याण

1207. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वर्गीय प्रधान मंत्री, श्री नेहरू ने राज्यों के मुख्य मंत्रियों को एक पत्र लिखा था कि वे अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की आर्थिक तथा सामाजिक उन्नति में व्यक्तिगत रूप से रुचि लें, और

(ख) यदि हां, तो इस पत्र के बारे में राज्यों के मुख्य मंत्रियों की क्या प्रतिक्रिया हुई ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी, हां।

(ख) 14 राज्यों से इसके पक्ष में उत्तर प्राप्त हुए हैं और सभी मामलों में राज्य सरकारों ने उचित कार्यवाही के लिये सिफारिशों की जांच करने का वचन दिया है।

राज्य सरकारों से प्राप्त उत्तरों के सार सम्बन्धी एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी०—3232/64]।**

राजेन्द्र आयुर्वेदिक तथा युनानी विश्वविद्यालय

1208. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का बिहार राज्य में राजेन्द्र आयुर्वेदिक तथा युनानी विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो कब और किस स्थान पर ; और

(ग) इस पर कुल कितना धन व्यय होगा ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

पंजाब में बाढ़-निरोधक उपाय

1209. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने राज्य में 1964-65 में बाढ़-निरोधक उपायों के लिये केन्द्रीय सरकार से अतिरिक्त सहायता की मांग की है, और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, हां।

(ख) मामले की जांच की जा रही है।

अमरीकी विशेषज्ञों द्वारा करापवंचन का अध्ययन

1210. { **श्री बड़े :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री यशपाल सिंह : }

क्या **वित्त** मंत्री 30 अप्रैल, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2727 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच अमरीकी कर विशेषज्ञों का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो अमरीकी विशेषज्ञ दल ने क्या मुख्य बातें बतायी हैं ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी हां ।

(ख) अमरीकी विशेषज्ञ दल की मुख्य सिफारिशें निम्न प्रकार हैं :--

(1) कर वसूली की जिम्मेवारी का निर्धारण कार्य से पृथक करना ।

(2) 'रिटर्नों' की चुने हुए ढंग से जांच के आधार पर सन्तुलित कर-निर्धारण कार्यक्रम ।

(3) करापवंचन व्यवस्था का पुनर्गठन ।

(4) कर लगाने के तरीके सरल करना ।

(5) प्रशासन तकनीकी का पुनर्गठन और उस में सुधार करना ।

अवैध सोने का पकड़ा जाना

1211. { **श्री बै० ना० कुरील :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री दलजीत सिंह : }

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई के कस्टम अधिकारियों ने 22 जुलाई, 1964 को बम्बई पहुंचे तटीय जहाज "एस० एस० साबरमती" से पांच लाख रुपये मूल्य का 3,570 तोले अवैध सोना पकड़ा ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्योरा है और इस मामले में सरकार ने क्या कार्रवाई की है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख) 22 जुलाई, 1964 को बम्बई में कस्टम अधिकारियों द्वारा एस० एस० "साबरमती" से अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य पर लगभग 2,23,091 रुपये (स्थानीय बाजार मूल्य पर लगभग 5 लाख रुपये) का 3570 तोले (41637 ग्राम) गैर-दावे वाला अवैध सोना पकड़ा । यह सोना प्रथम श्रेणी के यात्रियों के पुरुष शौचालय में पानी की टंकी के उपर रखा पाया गया । सोने को जब्त करने के बारे में और जहाज के चालक और मालिकों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जा रही है ।

लोहे की नालीदार चादरें

1212. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री 9 अप्रैल, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2009 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब के पिछड़े क्षेत्रों में मकानों की छतों के लिये लोहे की नालीदार चादरों की व्यवस्था करने के लिये इस बीच क्या कदम उठाये गये हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : देश में जस्ता चढ़ी नालीदार चादरों की अभी भी भारी कमी है। तथापि, बकाया क्रयादेशों पर, यथासंभव संभरण किया जा रहा है। चालू तिमाही जुलाई-सितम्बर, (1964) के लिये पंजाब के क्रयादेशों पर संभरण का मासिक अभ्यंश 104 टन है।

बिजली का पारेषण तथा वितरण

1213. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री 9 अप्रैल, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 969 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिजली के पारेक्षण तथा वितरण को ठीक प्रकार से चालित करने की संहिता की प्रतियां राज्य सरकारों को भेज दी गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो उस पर राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया क्या है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी नहीं। संहिता की प्रतियां छप रही हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

खाद्यान्न उत्पादन के लिए बिजली

1214. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री मा० ल० जाधव :
श्री बाल कृष्ण सिंह :
श्री विश्वनाथ राय :

क्या **योजना** मंत्री तारांकित प्रश्न संख्या 974 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच विचार कर लिया है कि खाद्यान्नों के अधिक उत्पादन के लिये बिजली के बारे में केन्द्रीय सहायता कितनी बढ़ाई जाये; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख) सरकार प्रश्न पर अभी विचार कर रही है।

Furniture at Ministers' Residences

1215. { Shri Bade :
Shri Yashpal Singh :

Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state:

(a) the value of furniture and electric appliances provided at the bungalow of each Minister and Deputy Minister at present ;

(b) whether any ceiling is imposed on the value of furniture and electric appliances which are supplied to them free of cost ; and

(c) if so, the details thereof ?

Minister of Works and Housing Shri Mehr Chand Khanna) : (a) The information is being collected. It will be laid on the Table of the House in due course.

(b) and (c) Yes, Sir.

	Rs.
Minister's residence	38,500
Deputy Minister's residence	22,500

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग, उड़ीसा

1216. **श्री रामचन्द्र मलिक :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उड़ीसा के केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग के कर्मचारियों के लिये अब तक कितने क्वार्टर बनाये गये हैं ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : अभी तक क्वार्टरों का निर्माण नहीं किया गया है ।

फोर्ड फाउन्डेशन ग्रान्ट्स

17. { श्री प्र० च० बरुआ :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री राम हरख यादव :
श्री मुरली मनोहर :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फार्ड फाउन्डेशन ने हाल में ही 818,000 डालर की तीन नई ग्रान्ट्स की भारत की परिवार नियोजन परियोजनाओं के लिये घोषणा की है; और

(ख) यदि हां, तो उससे किन किन विशिष्ट परियोजनाओं को धन दिया जायेगा ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी हां ।

(ख) घोषित की गई ग्रान्ट्स निम्न कार्यों के लिये हैं :—

(एक) ग्रामीण स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन संस्था, गांधीग्राम, जिला मदुरै, मद्रास को इस संस्था में हो रहे कई परिवार नियोजन तथा स्वास्थ्य कार्यक्रमों के एकीकरण को बढ़ाने के अनुसंधान तथा मूल्यांकन कार्य तथा उसके प्रशिक्षण के लिये. . . 465,000 डालर

(दो) प्रसूति विज्ञान तथा जनन शास्त्र संस्था, महिला तथा बाल सरकारी अस्पताल, राजकोट, मद्रास को गर्भनिरोध सम्बन्धी अनुसंधान कार्यक्रम बढ़ाने के लिये . . 182,000 डालर

(तीन) अमरीकी लोक स्वास्थ्य संस्था द्वारा दिया गया धन जो आगामी दो वर्षों तक भारतीय परिवार नियोजन कार्यक्रम से सम्बद्ध सेवाओं के लिये होगा । इन सेवाओं में कार्यक्रम की सहायता के लिये विशेषज्ञों की भरती, भारतीय विशेषज्ञों के लिये अमरीका में प्रशिक्षण कार्यक्रमों के डिजायन बनाना तथा उनको लागू करना तथा अमरीका में खरीदी गई वस्तुओं का नौवहन करना शामिल है . . . 171,000 डालर

जोड़ 818,000 डालर

राजस्थान नहर क्षेत्र में पुनर्वास

1218. **श्री हेम राज :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान, पंजाब तथा हिमाचल प्रदेश के किन श्रेणियों के लोगों को राजस्थान नहर क्षेत्र में पुनः बसाया जायेगा तथा प्रत्येक राज्य के कितने लोग होंगे ;

(ख) उनके पुनर्वास के लिये ब्यास नियंत्रण बोर्ड द्वारा अथवा राजस्थान सरकार द्वारा क्या प्राथमिकतायें निश्चित की गई हैं; और

(ग) किस वर्ष से पुनर्वास शुरू होगा तथा किस वर्ष तक यह पुनर्वास पूरा हो जायेगा ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र के निम्नलिखित श्रेणी के लोगों को पुनः बसाया जायेगा :

(एक) विकलांग भूतपूर्व सैनिक तथा मृत सैनिकों के आश्रित ।

(दो) भूतपूर्व सैनिक ।

(तीन) प्रधान मंत्री के पंचाट तथा अन्य वायदों के अधीन भूतपूर्व जागीरदार ।

(चार) राजस्थान नहर, राजस्थान फीडर, पोंग बांध, ब्यास सतलुज सम्पर्क-नहर, क्षीरके परियोजदा आदि के कारण विस्थापित व्यक्ति ।

(पांच) अन्य भूमिहीन व्यक्ति ।

इसका अभी अनुमान नहीं लगाया गया है कि कितने आदमियों को पुनः बसाया जायेगा ।

(ख) भारत सरकार तथा राजस्थान तथा पंजाब राज्य सरकारें प्राथमिकतायें निश्चित करने पर विचार कर रही है ।

(ग) राजस्थान नहर की कालोनी बनाने की नीति अन्तिम रूप से बनने के बाद पुनः बसाने का काम यथाशीघ्र किया जायेगा ।

उड़ीसा सरकार के लेखों का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

1219. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार के साथ कुछ गैर-सरकारी फर्मों के व्यापार के बारे में भारत के महालेखापरीक्षक के विशेष लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कोई सूचना सरकार को मिली है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रतिवेदन की जांच हो चुकी है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) सरकार को नियंत्रक तथा महालेखा-परीक्षक से मालूम हुआ है कि उन्होंने उड़ीसा सरकार द्वारा की गई खरीदारी के बारे में जांच प्रतिवेदन राज्य सरकार को दे दिया है।

(ख) सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

प्रीमियम प्राइज़ बौन्ड योजना

1220. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या वित्त मंत्री 5 जून, 1964 को प्रीमियम प्राइज़ बौंड योजना के बारे में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर दिये गये वक्तव्य के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना के कार्यवहन के बारे में कोई परिवर्तन करने का विचार है अथवा परिवर्तन कर दिया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) प्रीमियम प्राइज़ बौंड योजना 1964 के कार्यवहन के बारे में कोई परिवर्तन करने का विचार नहीं है। 31 दिसम्बर, 1964 के बाद योजना चालू रखने के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

विद्युत् जनन की लागत

1221. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तापीय बिजली घर, पन बिजली केन्द्र, तथा अणुशक्ति रीएक्टर से उत्पन्न होने वाली बिजली की एम० डब्ल्यु० क्या तुलनात्मक लागत है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : संभवतया जानकारी विद्युत जनन की तुलनात्मक लागत के डब्ल्यु मांगी गई है। यदि हां, तो पन बिजली, तापीय तथा अणुशक्ति केन्द्रों से उत्पन्न बिजली की उत्पादन लागत नीचे दी जाती है :

पन बिजली	2·0 पैसे प्रति के डब्ल्यू
तापीय	3·3 पैसे प्रति के डब्ल्यू (पिट हैड स्टेशन पर)
आणविक	3·8 पैसे प्रति के डब्ल्यू (तारापोग स्टेशन के लिये) (प्राक्कलित)

तापीय स्टेशनों के डिजाइन

1222. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों से तापीय केन्द्रों के लिये डिजायन प्राप्त करने के लिये तीसरी पंच-वर्षीय योजना में कितना धन व्यय किया गया ;

(ख) क्या भारत में डिजायन संगठन स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) तीसरी योजना के अन्तिम दो वर्षों तथा चौथी योजना के लिये कितने तापीय बिजली स्टेशन आयोजित किए गए हैं तथा उनकी क्षमता क्या होगी ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) विभिन्न राज्य विद्युत् बोर्डों/परियोजना अधिकारियों ने सलाहकार इंजीनियर नियुक्त किए हैं । प्रत्येक परियोजना की विभिन्न बातों पर वह विचार करते हैं परन्तु सामान्यत: डिजायनों तथा नकशों का काम इसमें शामिल होता है । अनुमान है कि तापीय बिजलीघरों के लिये सलाहकार इंजीनियरों को तीसरी योजना में लगभग 612·31 लाख रुपये दिए जाने का अनुमान है । परन्तु डिजायन कार्यों के लिये अलग अलग दिये गये आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग में एक डिजायन संगठन अभी भी काम कर रहा है तथा इसने कुछ बिजलीघरों का डिजायन बनाने का काम आरंभ किया है ।

(ग) तीसरी योजना के गत दो वर्षों में आयोजित तापीय योजनायें वे योजनायें हैं जो वास्तव में चौथी योजना के लिये थी तथा जिनके लिये प्रारंभिक काम करने की अनुमति दी गई है । 'प्रारंभिक' कार्य करने के लिए स्वीकृत योजनाओं की सूची संबंद्ध हैं : [**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल टी--3233/64**] चौथी योजना में आरम्भ होने वाले तापीय बिजली घरों के बारे में अब तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है ।

विद्युत् जनन के लिये कोयला

1223. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चौथी योजना में विद्युत् जनन के लिये कोयले की आवश्यकता का निर्धारण कर लिया है ; और

(ख) ग्रेड-वार तथा क्षेत्र-वार अलग अलग आंकड़े क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) अस्थाई अनुमानों के अनुसार तापीय बिजली घरों के लिये कोयले की वार्षिक आवश्यकता जो तीसरी योजना के अन्त में 150 लाख टन होगी बढ़ कर चौथी योजना के अन्त में 338 लाख टन हो जायेगी ।

(ख) ग्रेड-वार तथा क्षेत्र-वार अलग अलग आंकड़े अभी नहीं बताये गये हैं ।

तीस्ता बांध परियोजना

1224. **श्री स्वैल :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तीस्ता बांध परियोजना को चौथी योजना में शामिल करने के बारे में सक्रिय रूप में विचार किया जा रहा है ;

(ख) क्या परियोजना का आरंभिक अध्ययन पूरा हो गया है ; और

(ग) परियोजना पर कितना धन व्यय होगा ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) अभी इसका निर्धारण नहीं किया गया है कि इस पर कितना धन व्यय होगा ।

विश्व बैंक तथा चौथी योजना

1225. **श्री ही० ना० मुकर्जी :**
श्री रामपुरे :
श्री कोया :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय और योजना आयोग तथा विश्व बैंक के प्रेजीडेंट के बीच हाल में ही क्या बातचीत हुई थी ; और

(ख) क्या आशा है कि विश्व बैंक चौथी योजना के बारे में कथित 'बुनियादी विचारण'[1] में कोई योगदान देंगे ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) विश्व बैंक के दोहरे काम हैं । एक तो वह भारत के आर्थिक विकास में धन देता है दूसरे भारत को सहायता देने वाले 'कन्सोर्टियम' देशों का सचिवालय का काम करता है । परिणामस्वरूप विश्व बैंक का, योजना आयोग तथा वित्त मंत्रालय समेत भारत सरकार के विभिन्न विभागों से संबन्ध रहता है । परन्तु विश्व बैंक के प्रेजीडेंट तथा भारत सरकार के बीच किन्हीं विशेष बातों पर बातचीत हाल में नहीं हुई है ।

(ख) जी नहीं ।

जवाहरातों तथा घड़ियों का पकड़ा जाना

1227. **श्री जसवन्त मेहता :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1 जून, 1964 से सीमा शुल्क द्वारा कितने मूल्य के तथा कितने हीरे और कलाई घड़ियां पकड़ी हैं ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : 2,31,000 रुपये के हीरे तथा लगभग 13 लाख रुपये की 18,073 कलाई घड़ियां 1 जून, 1964 से 31 अगस्त, 1964 की अवधि में सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिकारियों द्वारा पकड़ी गई थीं ।

[1]Basic Thinking

मुरादाबाद जिले में टकसाल[1] का पकड़ा जाना

1228. **श्री इ० मधुसूदन राव :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मुरादाबाद जिले के एक गांव में अगस्त 1964 में जाली सिक्के बनाने वाली एक छोटी टकसाल पकड़ी गई थी ;

(ख) यदि हां, तो उसका व्योरा क्या है ; और

(ग) मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी हां ।

(ख) छः व्यक्ति पकड़े गये हैं । उनसे 23 जाली 50 पैसे के सिक्के, 4 मिट्टी के सिक्के ढालने के कास्ट, 1 किलोग्राम अलाय, तथा कुछ पाउडर तथा अलाय गलाने वाले अन्य उपकरण पकड़े गये हैं ।

(ग) छहों व्यक्तियों के विरुद्ध पुलीस ने दो मुकद्दमे दायर किये हैं तथा मामले की जांच हो रही है ।

योजना आयोग में सुधार

1229. **श्री राम हरख यादव :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार योजना आयोग के काम में सुधार करने में सहायता देने के लिये विशेषज्ञों की तालिका बनाने का है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा तालिका बनाने की क्या आवश्यकता हुई ; और

(ग) तालिका के प्रस्ताव का व्योरा क्या है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) योजना आयोग की सहायता करने के लिये विशेषज्ञों की तालिका बनाने पर विचार किया जा रहा है ।

(ख) तालिका बनाने का मुख्य कारण यह है कि योजना आयोग गैर-सरकारी विशेषज्ञों की चौथी योजना बनाने के लिये आवश्यक होने पर मदद ले ।

(ग) अभी तक प्रस्ताव का व्योरा अन्तिम रूप से नहीं बनाया गया है ।

ठेकेदारों को अधिक भुगतान

1230. **श्री वी० चं० शर्मा :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्माण और आवास मंत्रालय के मुख्य तकनीकी जांचकर्ता ने केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से कहा गया है कि ठेकेदारों को किए गए 2,28,000 रुपये के अधिक भुगतान वसूल करे ;

[1]Mint.

(ख) यदि हां, तो यह अधिक भुगतान किन परिस्थितियों में किया गया था ; और

(ग) इसको वसूल करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) जी हां ।

(ख) मुख्य तकनीकी जांच कर्ता संगठन काम पूरा हो जाने के बाद तथा काम होते रहने पर भी भुगतान के बिलों की जांच करता है । यह अधिक भुगतान अधिकांशतः वह भुगतान है जो काम को स्टैन्डर्ड के अनुसार पूरा न करने के कारण धन कम करने से, गलत नपाई के कारण अधिक भुगतान होने से; दिये गये माल को कम लौटाने से तथा ठेकेदारों को किराये पर औज़ार देने से तथा ठेके की शर्तों का गलत अर्थ लगाने से हो गये हैं ।

(ग) मुख्य तकनीकी जांच कर्ता संगठन ने केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के डिवीजनल अफसरों से कहा है कि इस अधिक भुगतान की रकम को वसूल करें । अधिक भुगतान का पूरा विवरण महालेखापालों को वसूली का ध्यान रखने के लिये भेज दिया गया है । आशा है कि डिवीजनल अफसर अधिक भुगतान वाले ठेकों का ठेकेदारों को अन्तिम भुगतान करने के समय अथवा ठेकेदारों को दिए जाने वाले अन्य भुगतानों के समय, वसूल कर लेंगे ।

सरकारी पेंशन पाने वालों के लिये केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा

1231. **श्री बालगोविन्द वर्मा :** क्या स्वास्थ्य मंत्री 13 फरवरी, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 152 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना को सरकारी पेन्शन पाने वाले व्यक्तियों पर भी लागू करने का फैसला कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि हां, तो निर्णय कब तक लिया जायेगा ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) से (ग) मामला विचाराधीन है ।

ब्रह्मपुत्र नदी पर नियंत्रण

1232. **श्रीमती रेणुका बड़कटकी :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम सरकार ने केन्द्रीय सरकार से ब्रह्मपुत्र नदी और इसकी सहायक नदियों पर नियंत्रण करने के लिये आवश्यक तथा तत्काल कदम उठाने की प्रार्थना की है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रार्थना पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) औपचारिक प्रार्थना प्राप्त हो गई है ।

(ख) मामले पर विचार किया जा रहा है ?

परिवार नियोजन

1233. **श्री श्रीनिवासन :**
श्री परमशिवन :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में परिवार नियोजन के लिये क्या उपाय सुझाये गये, किन उपायों को मंजूर किया गया और व्यवहार में लाया गया ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : अपेक्षित जानकारी वाला एक विवरण संलग्न है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल टी—3234/64]

मद्रास में गन्दी बस्तियां

1234. **डा० श्रीनिवासन :**
श्री परमशिवन :

क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तीसरी योजना में मद्रास शहर में गन्दी बस्तियों की सफाई के लिये अब तक अनुदान अथवा सहायता के रूप में कितनी धनराशि दी गई है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : गन्दी बस्तियों की सफाई योजना के अन्तर्गत परियोजनाएं राज्य सरकारों द्वारा मंजूर की जाती हैं और इन परियोजनाओं के लिये धन भी सीधे उन ही द्वारा निर्माण अभिकरणों को दिया जाता है ।

अभी तक मद्रास सरकार को समूचे राज्य के लिये 84.42 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता दी गई है । इन्होंने तीसरी योजनावधि में मद्रास शहर में 179.04 लाख रुपये की स्वीकृत लागत पर 5597 मकान बनाने की परियोजनाएं मंजूर की हैं ।

केरल में भूमि सुधार

1235. **श्री अ० व० राघवन** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल योजना आयोग के मतानुसार भूमि सुधार करने के मामले में कितनी प्रगति की गई है ;

(ख) वर्ष 1964 के केरल अधिनियम I की धारा 53 के अन्तर्गत भू-स्वामित्व अधिकार खरीदने के लिये भूमि न्यायाधिकरण में कुल कितने आवेदन-पत्र लम्बित हैं ;

(ग) वर्ष 1964 के केरल अधिनियम I की धारा 59 के अन्तर्गत भूमि बोर्ड द्वारा कितने प्रमाणपत्र जारी किये गये हैं ;

(घ) वर्ष 1964 के केरल अधिनियम I के लागू किये जाने के समय भू-स्वामित्व अधिकार खरीदने के लिये कितने आवेदन-पत्र न्यायाधिकरण में लम्बित थे; और

(ङ) इन आवेदनपत्रों को किस प्रकार निपटाया गया ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) केरल भूमि सुधार अधिनियम, के 1963 में अवधि निर्धारित करने, किराये का विनियमन करने, किरायेदारों को स्वामित्व सौंपने और जोत की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के लिये उपबन्ध किये गये हैं। अवधि निर्धारित करने, किराया विनियमित करने और किरायेदारों द्वारा खरीद के स्वाविवेकीय अधिकार देने सम्बन्धी उपबन्ध 1 अप्रैल, 1964 से लागू किये गये हैं।

(ख) और (ग) अगस्त, 1964 के अन्त तक केरल भूमि सुधार अधिनियम, 1963 में स्वविवेकीय खरीद के उपबन्धों के अन्तर्गत 73 आवेदन-पत्र दायर किये गये हैं। भूमि बोर्डों द्वारा क्रम-प्रमाणपत्र जा ी किये जाने से पूर्व किरायेदारों द्वारा देय क्रय-मूल्य निर्धारित करने के आवेदन-पत्रों की जांच करनी है। अभी कोई प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया है।

(घ) और (ङ) केरल कृषि सम्बन्धी अधिनियम के अन्तर्गत धारा 18 के अन्तर्गत 15,645 और धारा 36 के अन्तर्गत 4,368 आवेदन-पत्र दिये गये। इन आवेदन-पत्रों का समय निकल गया है।

जीवन बीमा निगम के क्षेत्रीय कर्मचारियों द्वारा आन्दोलन

1236. **श्री स० म० बनर्जी** :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री बृजराज सिंह :
श्री ज० ब० सिंह :
श्री यशपाल सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जीवन बीमा निगम के क्षेत्रीय कर्मचारियों ने अपनी कठिनाइयां दूर करने के लिये आन्दोलन चलाया है ;

(ख) क्या उन्होंने अपनी कठिनाइयों के बारे में आपके मंत्रालय को और जीवन बीमा निगम को अभ्यावेदन किया है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) भारत के बीमा क्षेत्रीय कर्मचारियों के राष्ट्रीय फेडरेशन के साथ दीर्घ वार्ता के बाद, जीवन बीमा निगम ने मार्च, 1964 में क्षेत्रीय अथवा विकास पदाधिकारियों की सेवा की शर्तों के बारे में फेडरेशन के साथ एक समझौता किया। क्योंकि विकास पदाधिकारियों की वर्तमान मांगें उचित प्रतीत नहीं होतीं और उनकी कुछ मांगों का उनकी सेवा की शर्तों से कोई सम्बन्ध भी नहीं है, केन्द्रीय सरकार इस बारे में कोई विशेष कार्रवाई करना आवश्यक नहीं समझती।

कर-संग्रह

1237. **श्री राम हरख यादव :**
श्री मुरली मनोहर :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र द्वारा चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में आय-कर, उत्पादन-शुल्क और सीमा-शुल्क के रूप में कर की कितनी राशि वसूल की ;

(ख) क्या इस अवधि में पिछले वर्ष की इसी अवधि की अपेक्षा कर की रकम मात्रा में वसूली की गई ; और

(ग), यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) अपेक्षित जानकारी निम्न प्रकार है :—

	रुपये (करोड़ों में)
आय कर, निगम कर समेत . .	49.95
उत्पादन-शुल्क . . .	*177.62
सीमा शुल्क	98.56

*इसमें नमक कर, कोयला कर और लौह-अयस्क कर के आंकड़े शामिल नहीं हैं।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

रानी गंज कोयला क्षेत्र में उत्पन्न कथित गम्भीर स्थिति

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) : मैं श्रम और रोजगार मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाती हूं और उन से अनुरोध करती हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें, अर्थात् :—

"बंकोला और न्यू जामाहारी खास कोयला खानों में तालाबन्दी और बविसोल कोयला खान में जबरी छुट्टी का लाभ दिये बिना जबरी छुट्टी करने के कारण समस्त रानीगंज कोयला खान क्षेत्र में उत्पन्न गम्भीर स्थिति ।"

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : नोटिस तीन कोयला खानों के बारे में है।

बंकोला के सम्बन्ध में मंत्रालय में कालियरी मज़दूर सभा से लगभग 3,000 से अधिक मज़दूरों की तालाबन्दी, पुलिस द्वारा अश्रु- गैस छोड़ने तथा मज़दूरों के क्वार्टरों के जलने के बारे में एक तार प्राप्त हुआ। समझौता अधिकारी (केन्द्रीय), रानीगंज, द्वारा इस मामले की जांच-पड़ताल की गई। उस ने सूचित किया है कि 17 सितम्बर, 1964 को लगभग 8.30 बजे प्रातःकाल को दो मज़दूर झौपड़ियां जलते देख कर यह संकट शुरू हुआ। उत्तेजित मज़दूरों ने दो दल बनाये---एक में कालियरी मज़दूर सभा के सदस्य थे और दूसरे में कालियरी मज़दूर कांग्रेस के सदस्य। एक तरफ यह आरोप लगाया गया है कि कालियरी मज़दूर सभा के सदस्यों ने मज़दूरों को काम पर जाने से रोका, जिस के परिणाम स्वरूप तीसरी पारी में काम न हो सका। परन्तु कालियरी मज़दूर सभा के सदस्यों का कहना है कि उन्हें काम पर जाने से प्रबन्ध कर्ताओं के व्यक्तियों ने रोका। कोयला खान में मज़दूर संघों में काफी आपसी विरोध मालूम होता है। पुलिस को बुलाना पड़ा। क्योंकि कोयला खान में शांति बहुत ज्यादा भंग हो गई थी, इसलिए पुलिस को अश्रु-गैस का प्रयोग करना पड़ा। रिपोर्ट मिली है, कि पुलिस द्वारा 55 मज़दूर--26 कालियरी मज़दूर सभा के और 29 कालियरी मज़दूर कांग्रेस के--बंदी किए गए हैं।

श्रम निरीक्षक, केन्द्रीय, ने 18 सितम्बर, 1964 को 11 बजे पूर्वाह्न से कोयला खान में काम चालू करवा दिया। अब इस कोयला-खान में स्थिति शांतिमय होने की सूचना मिली है। शांति कायम रखने के लिए वहां पुलिस तैनात है और वह इस मामले की विस्तृत छान-बीन कर रही है।

20 सितम्बर, 1964 को कालियरी मज़दूर सभा, आसनसोल, से मंत्रालय में एक तार प्राप्त हुआ, जिस में यह लिखा गया है कि न्यू जेमाहारी खास कालियरी की मैनेजमेंट ने प्रतिशोध की भावना और गैर कानूनी तरीके से सभी मज़दूरों की 28 अगस्त, 1964 से बिना सूचना तालाबन्दी की हुई है। क्षेत्रीय श्रम आयुक्त, कलकत्ता, से इस मामले की जांच पड़ताल करने और इसके तथ्यों की रिपोर्ट भेजने के लिये कहा गया है। इसकी रिपोर्ट की इन्तज़ार है।

14 सितम्बर, 1964 को कालियरी मज़दूर संघ, आसनसोल, से मंत्रालय में एक तार प्राप्त हुआ जिसका विषय न्यू जेमाहारी खास कालियरी के मामले में प्राप्त हुए तार के अनुरूप था। इसमें लिखा गया है कि बाबीसोल कालियरी की मैनेजमेंट ने प्रतिशोध की भावना और गैर कानूनी तरीके से सभी मज़दूरों की बिना सूचना तालाबन्दी की है। जांच-पड़ताल पर यह रिपोर्ट मिली है कि मुख्य खान निरीक्षणालय के आदेशानुसार सुरक्षा की दृष्टि से बाबीसोल कालियरी की लोअर कजोरा सीमा में 8 सितम्बर, 1964 से काम बंद कर दिया गया था। बाद में मुख्य खान निरीक्षणालय से इज़ाज़त मिलने पर 14 सितम्बर, 1964 की अपराह्न से खान का काम सामान्य रूप से फिर चालू हो गया। कालियरी में काम करने वाली क्वैरी (पत्थर खान) भी, जो 8 सितम्बर, 1964 को पानी जमा हो जाने के कारण बंद हो गई थी, 19 सितम्बर, 1964 से पुनः चालू की गई। रिपोर्ट मिली है कि इस कालियरी में अब स्थिति सामान्य है। इस अवधि के लिए मजदूरों को जबरी छुट्टी के लाभ के बारे में सूचना की प्रतीक्षा है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या यह सच है कि बंकोला कोयला खान के श्रमिकों के क्वार्टर स्वयं प्रबंधक द्वारा जला दिये गये थे और प्रबंधक द्वारा तीसरी पारि में श्रमिकों को जाने नहीं दिया गया ? क्या प्रबंधक को अभी गिरफ्तार नहीं किया गया ?

श्री संजीवय्या : पुलिस अभी इस मामले की जांच कर रही है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : इतने बड़े पैमाने पर श्रमिकों की तालाबन्दी को उस क्षेत्र की केन्द्रीय श्रम व्यवस्था द्वारा सरकार के ध्यान में क्यों नहीं लाया गया और सरकार को जब मालूम है कि बेबिसोल कोयला खानमें श्रमिकों के साथ पहले भी अन्याय किया जाता रहा है तो वहां उन्हें लाभ देने संबंधी निर्णय को कार्यान्वित क्यों नहीं किया गया ।

श्री संजीवय्या : वहां की स्थिति हाल ही में हमारे ध्यान में लाई गयी थी । जब कभी कोई बात हमारे ध्यान में लाई जाती है हम उस पर कार्यवाही करते हैं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (कलकत्ता दक्षिण पश्चिम) : यह बात वक्तव्य से स्पष्ट नहीं हुई है कि जमाहारी खास कोयला खान में काम हो रहा है कि नहीं ।

श्री संजीवय्या : सुरक्षा की दृष्टि से जमाहारी कोयला खान में काम बन्द कर दिया गया था ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : वह तो बेबिसोल है ।

श्र इन्द्रजीत गुप्त : मैं जमाहारी खास के बारे में पूछ रहा हूं ।

श्री संजीवय्या : रिपोर्ट से तो यही पता चलता है कि जमाहारी खास और बेबिसोल में कोई अन्तर नहीं है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : जी नहीं ।

श्री संजीवय्या : प्रादेशिक श्रम आयुक्त के प्रतिवेदन की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आप तथ्यों की जानकारी प्राप्त करें ।

श्री संजीवय्या : हम तथ्यों की जानकारी प्राप्त करेंगे ।

कुरनूल में स्कूल के बच्चों की मृत्यु के बारे में वक्तव्य

ATEMENT RE : DEATH OF SCHOOL CHILDREN IN KURNOOL

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला): इस शोकपूर्ण घटना के बारे में हमें दिल्ली में "केअर" के निदेशक और आंध्र प्रदेश सरकार से यह सूचना प्राप्त हुई है कि कुरनूल जिले में मदिकारे गांव में ूल के बच्चों को सितम्बर की 15, 17 और 18 तारीखों को दोपहर का भोजन दिया गया । 19 तारीख की रात को पंचायत बोर्ड के अध्यक्ष ने मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी, कुरनूल, को इत्तिला दी कि भोजन दूषित होने के कारण बच्चों की मौतें हो गयी हैं । 20 तारीख को वह अधिकारी गांव में गये और चिकित्सा सहायता का प्रबंध किया । यह खबर मिलने पर जिला परिषद के सचिव ने स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन देना बन्द कर दिया । केअर की ओर से दिया गया मक्खन, तेल और दूध का पाउडर आदि वस्तुएं मदिकारे में तैयार कर के दी गयीं थीं ।

अध्यक्ष जिला परिषद कुरनूल का विचार है कि 'केग्रर' द्वारा दिया गया सामान ताजा है और वह अन्य गांवों में भी दिया जाता रहा है जहां से कोई शिकायत नहीं मिली ।

स्वास्थ्य अधिकारी की राय है कि खाने की वस्तुओं और कै आदि का विश्लेषण करने के बाद ही ठीक ठीक कारण मालूम हो सकेंगे । रासायन निरीक्षक की राय 23 तारीख तक प्राप्त नहीं हुई थी ।

कुल 320 बच्चों को दोपहर का भोजन दिया गया था जिन में से 174 पर ही असर हुआ । इस से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि चूंकि खाना अलग अलग तैयार किया जाता है इसलिये उस का एक भाग ही दूषित हुआ होगा । जिन 174 बच्चों पर भोजन का असर हुआ उन में से 38 बच्चों की मृत्यु 19, 20, 21 और 22 तारीखों को हुई ।

चिकित्सा सहायता अपर्याप्त होने की कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई ।

'केग्रर' प्राधिकारियों द्वारा भी जांच की गयी । उन का कहना है कि वही वस्तुयें लाखों बच्चों को दी जाती ह और वह उसी स्तर की होती हैं जैसे अमरीका में दी जाती हैं ।

Shri Yashpal Singh (Kairana): Was this poisoning intentional or accidental

Mr. Speaker: We should not jump at the conclusions just now since all the opinions have not yet been received.

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : क्या रासायन निरीक्षक का प्रतिवेदन शीघ्र प्राप्त करने का प्रयत्न किया जायगा ताकि अग्रेतर जांच की जा सके ?

श्री मु० क० चागला : उन का प्रतिवेदन प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दिया जायगा । यह बात अभी निश्चित नहीं हुई है कि यह मौतें भोजन पकाने में कोई त्रुटि होने के कारण ही हुईं ।

श्री वारियर (त्रिचूर) : क्या भोजन की वस्तुयें 'केग्रर' के अतिरिक्त किसी अन्य अभिकरण द्वारा भी संभरित की गयी थीं ?

श्री मु० क० चागला : सभी वस्सतुएं 'केग्रर' द्वारा ही सम्भरित होती हैं । मेरे वक्तव्य में कहा गया है कि प्याज़ और नमक भी 'केग्रर' द्वारा ही सम्भरित किये गये थे ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : बच्चों की मौतें चार दिन होती रहीं । पहले ही दिन उन्हें क्यों नहीं रोका गया ?

श्री मु० क० चागला : ज्योंही बच्चों पर असर हुआ भोजन बन्द कर दिया गया था ।

अध्यक्ष महोदय : मैं भी यही पूछना चाहता था कि यदि पहले दिन मौतों का पता चला तो तुरन्त उन्हें रोका क्यों नहीं गया ?

श्री मु० क० चागला : मैं इस बारे में जांच करूंगा । परन्तु कई बार ऐसा होता है कि दूषित भोजन का असर बाद में होता है ।

अध्यक्ष महोदय : यह हो सकता है परन्तु आप को वक्तव्य से यही धारणा बनती है कि पहले दिन इतने बच्चों पर असर हुआ और इतने बच्चों की मौत हो गयी और फिर चारों दिन वैसा ही हुआ ।

श्री मु० क० चागला : हो सकता है कि भोजन के दूषित होने के असर का पता अलग अलग दिनों में लगा हो । मैं तथ्य सुनिश्चित करूंगा ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : यह उत्तर सन्तोषजनक नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : जिन बातों के बारे में सन्देह प्रकट किया गया है उन के बारे में और अन्य सब प्रकार की सूचना प्राप्त करके माननीय मंत्री सभा के समक्ष उपस्थित करें ।

श्री मु० क० चागला : ज्योंही मुझे सूचना प्राप्त होगी मैं वक्तव्य देने के लिये आप से अनुमति लूंगा ।

सभा पटल पर रखें गये पत्र
PAPERS LAID ON THE T BLE

समवाय अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) समवाय अधिनियम, 1956 की धारा 396 की उप-धारा (5) के अन्तर्गत दिनांक 31 अगस्त, 1964 की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2987 में प्रकाशित पेट्रोलियम एकीकरण आदेश 1964, की एक प्रति ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 3221/64]

(2) समवाय अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत दिनांक 1 सितम्बर, 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1268 में प्रकाशित प्रन्यासी (अंशों और ऋण पत्रों की परिसम्पत की घोषणा) नियम, 1964 की एक प्रति ।

(पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 3222/64)

ध्यान दिलानें वाली सूचनाओं के बारें में प्रश्न
Re : CALLING ATTENTION NOTICES (QUERY)

Shri Bagri (Hissar) : My calling attention Notice regarding arrests has been rejected whereas the Home Minister is prepared to make a statement in Rajya Sabha.

Mr. Speaker : I take decisions in accordance with the rules of this House and Rajya Sabha is an independent body where decisions are taken by the Presiding Officer there.

विभिन्न सदस्यों की ओर से मुझे आठ ध्यान दिलाने वाली सूचनायें प्राप्त हुई हैं। कृपया श्री हाथी बतायें कि गिरफ्तारियां केन्द्रीय सरकार की मंत्रणा से की गयी हैं।

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : यह गिरफ्तारी न तो केन्द्र की मंत्रणा से और न ही केन्द्र की हिदायत पर की गयी हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : हमारे पास चूकि इस विषय में सूचना है इसलिये हम निश्चित तौर पर जानना चाहते हैं कि क्या केन्द्रीय सरकार का इन गिरफ्तारियों से संबंध है।

श्री दाजी : (इंदोर) : एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैंने अपनी सूचना में कहा है कि यह तब हुआ था जब प्रधान मंत्री इस मास की 20 तारीख को कलकता गये थे। इस बारे में स्वयं प्रधान मंत्री को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए न कि श्री हाथी को।

अध्यक्ष महोदय : इन सूचनाओं की प्रतियां सम्बद्ध मंत्रियों को भेजी जाती हैं और जो सूचना वह देते हैं वह हमें स्वीकार करनी होगी।

श्री हाथी : मैंने अभी अभी प्रधान मंत्री से पूछा है। उन्होंने कहा है कि कलकत्ता में उन से कोई सलाह नहीं ली गयी थी।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र--जारी

PAPERS LAID ON THE TABLE—*Contd.*

खाद्य अपमिश्रण रोक अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

निर्माण तथा आवास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : मैं डा० सुशीला नायर की ओर से खाद्य अपमिश्रण रोक अधिनियम, 1954 की धारा 23 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) दिनांक 22 अगस्त, 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1182 में प्रकाशित खाद्य अपमिश्रण रोक (संशोधन) नियम, 1964

(दो) दिनांक 29 अगस्त, 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1222 में प्रकाशित खाद्य अपमिश्रण रोक (दूसरा संशोधन) नियम, 1964।

[पुस्तकालय में रखी गयीं। देखिये संख्या एल० टी० 3223/64]

सीमा शुल्क अधिनियम आदि के अन्तर्गत अधिसूचनायें

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(4) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक 5 सितम्बर, 1964 की जी० एस० आर० 1260

(दो) दिनांक 12 सितम्बर, 1964 की जी० एस० आर०, 1279

(तीन) दिनांक 12 सितम्बर, 1964 की जी० एस० आर० 1282

(चार) दिनांक 12 सितम्बर, 1964 की जी० एस० आर० 1283

(पांच) दिनांक 12 सितम्बर, 1964 की जी० एस० आर० 1285

(छः) दिनांक 12 दिसम्बर, 1964 की जी० एस० आर0, 1286

[पुस्तकालय में रखी गयीं । देखिये संख्या एल० टी० 3224/64)

(5) सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात प्रत्याहृत (सामान्य) नियम, 1960 में कुछ संशोधन करने वाली, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक 12 सितम्बर, 1964 की जी० एस० आर० 1280

(दो) दिनांक 12 सितम्बर, 1964 की जी० एस० आर० 1281 ।

[पुस्तकालय में रखी गयीं । देखिये संख्या एल० टी० 3225/64]

(6) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत दिनांक 12 सितम्बर, 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1284 जिसमें दिनांक 1 अगस्त 1964 की जी० एस० आर० 1087 का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है, की एक प्रति ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिय संख्या एल० टी० 3226/64]

(7) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 280-डब्ल्यू की उप-धारा (4) के अन्तर्गत दिनांक 10 सितम्बर, 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1314 में प्रकाशित वार्षिकी जमा योजना 1964 की एक प्रति ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 3227/64]

(8) बैंकिंग कम्पनीज़ अधिनियम, 1949 की धारा 45 की उप-धारा (11) के अन्तर्गत निम्नलिखित योजनाओं की एक एक प्रति :—

(एक) दिनांक 15 अगस्त, 1964 की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2766 में प्रकाशित उन्नाव कमर्शियल बैंक लिमिटेड को बरेली कारपोरेशन (बैंक) लिमिटेड के साथ मिलाने की योजना ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 3228/64]

(दो) दिनांक 22 अगस्त, 1964 की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2823 में प्रकाशित लेटिन क्रिश्चियन बैंक लिमिटेड, अरुणाकुलम् को स्टेट बैंक आफ ट्रावनकोर, त्रिवेन्द्रम् के साथ मिलाने की योजना ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 3229/64

(तीन) दिनांक 20 अगस्त, 1964 की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2910 में प्रकाशित, सदर्न बैंक लिमिटेड को यूनाइटेड इन्डस्ट्रीयल बैंक लिमिटेड के साथ मिलाने की योजना।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 3230/64]

सदस्य की रिहाई के बारे में सूचना

INTIMATION *RE* : RELEASE OF MEMBER

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को सूचित करना है कि मुझे सेशन्स जज, एलूरु से, दिनांक 21 सितम्बर, 1964 का एक पत्र प्राप्त हुआ है कि श्रीमती वी० विमला देवी, सदस्य, लोक-सभा को, जिन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 341 और 353 के अधीन 18 सितम्बर, 1964 को सजा दी गई थी, न्यायालय में दायर की गई अपील के विचाराधीन होने के कारण, 21 सितम्बर, 1964 को जमानत पर रिहा किया गया।

भ्रष्टाचार विरोधी विधियां (संशोधन) विधेयक

ANTI-CORRUPTION LAWS (AMENDMENT) BILL

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय दण्ड संहिता, 1860, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898, दण्ड विधि संशोधन अध्यादेश, 1944, दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम, 1946, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 और दण्ड विधि संशोधन अधिनियम, 1952 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय दण्ड संहिता, 1860, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898, दण्ड विधि संशोधन अध्यादेश, 1944, दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम, 1946, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 और दण्ड विधि संशोधन अधिनियम, 1952 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री हाथी : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

विनियोग (संख्या 5) विधेयक, 1964

APPROPRIATION (No. 5) BILL, 1964

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1964-65 में सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान और विनियोजन का प्राधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1964-65 में सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान और विनियोजन का प्राधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, 2, 3, अनुसूची, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड 1, 2, 3, अनुसूची, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 1, 2, 3, the Schedule, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

केरल राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक
KERALA STATE LEGISLATURE (DELEGATION OF POWERS) BILL

अध्यक्ष महोदय : अ । सभा 23 सित बर, 1964 को श्री हाथी द्वारा प्रस्तुत निम्न प्रस्ताव पर अग्रेतर विचार करेगी, अर्थात् :—

"कि केरल रा य के विधान मण्डल की विधियां बनाने की शक्ति को राष्ट्रपति को प्रदान करने वाले विधेयक र विचार किया जाए ।"

श्री वारियर (त्रिचूर) : मुझे आशा है कि किसी केरल सम्बन्धी विधान को बनाते समय सरकार केरल से आये हुए संसदीय सदस्यों की समिति से अवश्य मंत्रणा लेगी । इसके अलावा इस समिति में केरल से अन्य सदस्य भी लिए जाने चाहियें ताकि इस मामले में संसद् के समूचे उत्तर-दायित्व का अनुभव हो । इसलिये श्री बसुमतारी के सशोधन को स्वीकार किया जाना चाहिये ।

श्री नाथ पाई (राजापुर): मैं चाहता था कि श्री हाथी श्री ढेबर की यात्रा के बारे में स्पष्ट रूप से उत्तर दे । हमें लोकतन्त्रात्मक पद्धति के प्रति आस्था में किसी प्रकार की कमी नहीं आने देनी चाहिए ।

अनुच्छेद 356 की शरण लेने से पूर्व सरकार को अनुच्छद 353 के अन्तर्गत राज्य सरकार को इस तरीके से प्रशासन कार्य निभाने के लिये कहना चाहिए था जिससे संविधान एवं लोकतन्त्र में आस्था बनी रहती । शंकर मंत्रिमंडल के विरुद्ध जो आरोप थे उन्हें उसके ध्यान में लाया जाना चाहिए था । उन आरोपों के बारे में सन्थानम समिति की सिफारिशों के अनुसार कार्यवाही की जानी चाहिए थी । सन्थानम समिति का सूत्र सन्तोषजनक था और सरकार कहती भी है कि वह उसकी सिफारिशों को कार्यान्वित करना चाहती है परन्तु जब कोई कार्यवाही करने का समय आता है तो उसकी उपेक्षा की जाती है ।

इसके अतिरिक्त जो निदेशक शक्तियां सरकार को प्राप्त हैं उनको प्रयोग में लाया जाना चाहिए था । मैं पूछना चाहता हूं कि आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग श्री नन्दा कहां पर करेंगे । केरल में इन शक्तियों का प्रयोग किया जाना चाहिए था परन्तु वहां उनका प्रयोग नहीं किया गया ।

श्री खाडिलकर ने देश में एक दल के शासन के पक्ष में बोलना आरम्भ किया । बाद में उन्होंने भिन्न बात कहनी आरम्भ की । परन्तु सत्ताधारी दल का एक भाग ऐसा है जो इस दृष्टि से कि उनकी शक्ति को खतरा है एक दल के शासन वाले सिद्धान्त की ओर झुक रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, आप को इस बात का अनुभव है कि लोकतन्त्र और एक दल का शासन साथ-साथ नहीं चल सकते । यदि आप विकट स्थिति में पड़ना नहीं चाहते तो आपको इस बारे में पुनर्विचार करना होगा।

मैं केरल में दलों के मेल के विरुद्ध हूं । यदि वहां विभिन्न दल मिल भी जाते हैं तो केरल की समस्या का समाधान नहीं हो सकेगा । मैंने समाचारपत्रों में देखा है कि त्रिचूर जिले में कांग्रेस दल मुस्लिम लीग के साथ गठजोड़ कर रहा है । क्या 17 वर्ष काम करने के बाद हम ऐसे तरीके अपनायेंगे केवल मत प्राप्त करने के लिये ऐसी नीति अपनाना सर्वथा अनु चत है । हम चाहते हैं कि सरकार इस बारे में स्थिति स्पष्ट करे ।

[श्री नाथपाई]

यह सभी को स्वीकार करना होगा कि राष्ट्र का हित किसी दल विशेष के हित से सदैव ऊंचा होता है। अतः किसी दल की स्वार्थ सिद्धि के लिये राष्ट्र की एकता की सौदेबाजी नहीं की जा सकती है। यदि केरल में गतिरोध समाप्त करना है तो केरल के बारे में सरकार की नीति स्पष्ट होनी चाहिए। सरकार को राज्य के बारे में नये सिरे से सोचना होगा और उसके लिए साहस की आवश्यकता है। सत्तारूढ़ दल को अपनी योजनाओं और कार्यक्रमों तथा अपने पिछले रिकार्ड के सहारे निर्वाचकों का विश्वास प्राप्त करना चाहिए। केरल की जनता को कांग्रेस तथा अन्य दलों के कार्यों की तुलना करके अपना मत देने की पूर्ण स्वतन्त्रता दी जाये।

सभा में कुछ सदस्यों ने केरल में चुनावों को स्थगित कर देने की बात कही है। ऐसा करना प्रजातन्त्र के सिद्धान्तों पर कुठाराघात करना होगा। अतः आशा है कि चुनाव स्थगित नहीं किये जायेंगे। चुनाव होने तक विभिन्न मंत्रालयों सम्बन्धी स्थायी समितियां बनाने के प्रश्न पर विचार किया जाना चाहिए ताकि राज्य में प्रशासन कार्य सुचारू रूप से चलता रहे। राज्य के विभिन्न विभागों के कार्य में सहयोग देने के लिये उन विभागों के साथ केरल के 18 संसद् सदस्यों का जो यहां पर उस राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है—ताकि पुनः विधान मण्डल बनने तक राज्य का काम यथा विधि चल सके।

यदि सरकार केरल में एक स्थायी सरकार बनाना चाहती है तो पुनः गठबन्धन तथा समझौते करने के प्रयत्न नहीं किये जायें। चुनावों में प्रतिबिम्बित होने वाले जनता के अधिकतम जनमत द्वारा शासन चलाये जाने का उद्देश्य तभी पूरा हो सकता है जबकि वहां पर नये ढंग से कार्य किया जाये।

खादी आयोग के अध्यक्ष, श्री ढेबर द्वारा की जाने वाली कार्रवाइयां प्रजातन्त्रीय सिद्धान्तों के प्रतिकल हैं।

केरल की समस्या हमारे लिये एक चुनौती है हमें इसका साहसपूर्वक स्थायी हल निकालना है।

श्री मणियंगाडन (कोट्टयम) : महोदय, पिछले दो दिनों से केरल के बारे में विभिन्न पहलुओं पर चर्चा चल रही है। यह लज्जा की बात है कि केरल के बारे में कुछ प्रयोग करने के लिये सुझाव दिये गये हैं। इन सुझावों में अनेक सुझाव संविधान के प्रतिकूल हैं। जब तक कुछ बुनियादी बातों को ध्यान में रख कर समस्या का हल नहीं ढूंढा जाता तब तक केरल में स्थायित्व लाना कठिन काम है।

जहां तक कांग्रेस का सम्बन्ध है, कांग्रेस के अध्यक्ष तथा अन्य उत्तरदायी नेताओं ने इस आशय के वक्तव्य दिये हैं कि उन्होंने स्वयं अपनी इच्छा से चुनाव लड़ने का निर्णय किया है। निस्संदेह यह एक राजनैतिक मामला है। इसमें कुछ और महत्वपूर्ण बातें सामने आ सकती हैं जिनके बार में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है।

खादी आयोग के अध्यक्ष श्री ढेबर पर लगाया आरोप निराधार है। वह कांग्रेस कार्य कारिणी के सदस्य हैं। वह कार्य कारिणी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की प्रायः सभी बैठकों में उपस्थित होते हैं। खादी आयोग के अध्यक्ष का पद गैर-सरकारी है। उन्हें आयोग के प्रधान के रूप में अनेक कार्य करने पड़ते हैं। किन्तु गैर-सरकारी पदाधिकारी तथा एक नागरिक की हैसियत से उन्हें कुछ अन्य अधिकार भी प्राप्त हैं। उन्हें सक्रिय राजनीति में भाग लेने का पूर्ण अधिकार है। वह

प्रचार करने के लिये नहीं अपितु संस्था सम्बन्धी कुछ अन्य कार्य करने के लिये केरल गये हुए हैं। यदि वह वहां पर प्रचार करने के लिये ही गये होते तब भी कोई आपत्ति करने की बात नहीं थी।

केरल में कुछ असंतोष का वातावरण पैदा हो गया है। सरकार के कुछ अधिकारियों, अर्थात् इन्सपेक्टर जनरल तथा भूतपूर्व मुख्य मंत्री और अन्य मंत्रियों के विरुद्ध बहुत कुछ आरोप लगाये गये हैं। मैं इन आरोपों के विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। मेरा सरकार से केवल अनुरोध है कि इन आरोपों की जांच अवश्य कराई जाये और दोषी को उचित दंड दिया जाये। इस से सरकार की स्थिति स्पष्ट और सुदृढ़ हो जायेगी तथा निकट भविष्य में होने वाले चुनावों के लिये एक स्वस्थ वातावरण तैयार हो जायेगा।

जहां तक वर्ष 1959 में किये गये समझौते का प्रश्न है, यह समझौता कुछ सिद्धान्तों के आधार पर तथा कुछ विशेष उद्देश्य के लिये किया गया था। इसका मुख्य तथा एक मात्र उद्देश्य प्रजातंत्र की रक्षा करना था जिस से एक प्रजातंत्रीय सरकार की स्थापना की जा सकती थी। यह समझौता सत्ता में अन्य दलों को भागीदार बनाने के लिये नहीं किया गया था।

इन शब्दों के साथ साथ मेरा अनुरोध है कि केरल की समस्या को हल करने के लिये समझदारी से काम लिया जाये।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर): महोदय, केरल की समस्या बहुत गम्भीर है इसलिये इस पर बहुत ध्यानपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। स्थिति पर दृष्टिपात करने से ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 357 के उपबन्धों को, जिन के अन्तर्गत राज्य के बारे में राष्ट्रपति द्वारा घोषणा की गयी, लागू करने के लिये स्वयं अपने आपको प्रेरित किया है।

संविधान के अनुच्छेद 357 के उपबन्धों का प्रयोग असाधारण परिस्थितियों के समय किया जाना चाहिये। अनुच्छेद 356 के उपबन्ध ही वास्तव में ऐसी परिस्थितयों में, जिनका हमें इस समय सामना करना पड़ रहा है, शासी उपबन्ध हैं।

मैं सभा को बताना चाहता हूं कि वर्तमान स्थिति में संविधान के अनुच्छेद 356(1) (ख) को लागू करने के अतिरिक्त और कुछ करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं थी, अर्थात् केवल यह घोषणा करना पर्याप्त था कि विधान सभा की शक्तियों का प्रयोग संसद् द्वारा किया जायेगा।

केरल राज्य के बारे में जिस ढंग से उद्घोषणा जारी की गई है वह न तो प्रजातंत्रीय तरीका ही है और नही राज्य में ऐसी गंभीर विशेष परिस्थितियां ही पैदा हो गईं थीं जिन के कारण संविधान के अनुच्छेद 357 का प्रयोग करने की आवश्यकता पड़ी हो, विशेष रूप से जबकि अनुच्छेद 356 का उद्देश्य और अर्थ स्पष्ट है तथा इसके द्वारा प्रदत्त शक्तियां वर्तमान स्थिति का सामना करने के लिये पर्याप्त हैं।

हो सकता है कि संसद् के पास राज्य के सभी विधायी मामलों पर विचार करने के लिये पर्याप्त न हो। अतः यह उचित है कि राष्ट्रपति द्वारा, उनको प्राप्त शक्तियों के अधीन, बनाये गये विभिन्न अधिनियमों में किये जाने वाले संशोधनों के लिये, जो सभा में विचार के लिये रखे जायेंगे या प्रस्तुत किये जायेंगे, सात दिन की सीमा निर्धारित की जाये। विधेयक में कुछ बातें आपत्तिजनक हैं।

[डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी]

विधेयक के उद्देश्यों तथा कारणों सम्बन्धी वक्तव्य प्रभावशाली एवं संतोषजनक नहीं हैं क्योंकि इसमें कहा गया है कि "राज्य के लिये जिन विधायी विधानों की आवश्यकता हो उन पर संसद् अपने कार्य को स्थगित करके ही विचार कर सकती है ।"

आशा है कि मंत्री महोदय मेरे द्वारा उठायी गई बातों पर ध्यानपूर्वक विचार करेंगे ।

श्री कोया (कोजोवोड़) : चर्चा के दौरान सदस्यों ने केरल के बारे में विभिन्न विचार प्रकट किये हैं किन्तु यह सभी स्वीकार करते हैं कि वहां जो कुछ भी हुआ दुर्भाग्यपूर्ण घटना है । है ।

केरल में जब तक चुनाव नहीं हो जाते तब तक राज्य में उत्पन्न होने वाली समस्याओं को, विशेष रूप से खाद्य समस्या, हल करने के लिये वहां के निर्वाचित संसद् सदस्यों से परामर्श तथा सहायता लेने के लिये शीघ्र कदम उठाये जायें । केरल में खाद्य स्थिति बहुत खराब है, अतः इस ओर शीघ्र ध्यान देने की आवश्यकता है ।

गृहकार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : अध्यक्ष महोदय, चर्चाधीन विधेयक पर बोलते हुए श्री नाथ पाई ने अनेक महत्वपूर्ण बातों की चर्चा की है जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने श्री ढेबर द्वारा सक्रिय राजनीति में भाग लेने पर भी कुछ आपत्ति प्रकट की है। मैं इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण देना चाहता हूं । श्री ढेबर संसद् सदस्य थे। खादी आयोग के अध्यक्ष का पद ग्रहण करने पर वह सदस्य बने रहने के लिये अनर्ह नहीं हुए, सदस्यों की अनर्हता निवारक अधिनियम में इस पद को छूट दी गई है । वह संसद् सदस्य रह सकते थे। उन्होंने संसद् की सदस्यता से इसलिये त्यागपत्र नहीं दिया कि वह संसद् सदस्य नहीं रह सकते थे बल्कि इसलिये कि उन्होंने सोचा कि वह दोनों कार्यों को एक साथ अच्छी तरह पूरा नहीं कर पायेंगे । वह संसद् सदस्य तथा खादी आयोग के अध्यक्ष, दोनों बने रह सकते थे। अतः उनको सक्रिय राजनीति में भाग लेने के लिये दोष नहीं दिया जा सकता है और न ही रोका जा सकता है ।

माननीय श्री नाथपाई ने दूसरी आपत्ति इस बात पर जाहिर की है कि निदेश संविधान के अनुच्छेद 353 के अनुसार जारी क्यों नहीं किये गये। अनुच्छेद 353 के अनुसार निदेश जारी करने पर प्रतिबन्ध हैं। केरल राज्य के सम्बन्ध में यह कार्यपालिका सम्बन्धी अधिकार देने का प्रश्न नहीं है । केरल में इस प्रकार की स्थिति पैदा हो गई है कि वहां के राज्यपाल इस बात से संतुष्ट हैं कि वहां राज्य सरकार संविधान के उपबन्धों के अनुसार नहीं चलायी जा सकती है । यह राज्य में कुछ नीतियों की क्रियान्विति के बारे में सरकार द्वारा निदेश जारी करने की बात नहीं है । मंत्रिपरिषद् के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने पर राज्य सरकार का कार्य संविधान के के अनुसार नहीं चल सकता है ।

श्री नाथ पाई ने केरल के बारे में कुछ प्रयोग करने के लिये भी सुझाव दिया है । हम राज्य के बारे में किसी प्रकार की प्रयोगात्मक सरकार चलाना नहीं चाहते हैं क्योंकि केरल में विभिन्न मंत्रालयों के परामर्श करने के हेतु समितियां बनाना व्यवहार्य नहीं है ।

केरल सम्बन्धी समस्याओं पर विचार करने के लिये सरकार उस राज्य के संसद्-सदस्यों से सदैव बातचीत करने के लिये तैयार है क्योंकि जब तक केरल में चुनाव नहीं हो जाते तब तक वहां पर सुचारू रूप से प्रशासन चलाने का उत्तरदायित्व गृह-कार्य मंत्रालय पर है ।

जहां तक केरल में होने वाले आगामी चुनावों का सम्बन्ध है, कांग्रेस की ओर से स्थिति स्पष्ट है कि कांग्रेस के अध्यक्ष तथा अन्य उत्तरदायी कांग्रेसी नेताओं ने इस आशय के वक्तव्य दिये हैं कि उन्होंने स्वयं अपनी मर्जी से चुनाव लड़ने का निर्णय किया है । यह एक संस्थागत मामला है । इस विधेयक से कोई सम्बन्ध नहीं है । केरल में किस दल की सरकार होगी इसका निर्णय भी चुनाव हो जाने पर ही हो सकेगा ।

जहां तक सन्थानम समिति के प्रतिवेदन पर कार्रवाई करने का सम्बन्ध है, समिति की 21 सिफ़ारिशों को पूर्णतः अथवा आंशिक रूप में स्वीकार कर लिया गया है तथा क्रियान्वित कर दिया गया है, लगभग 38 सिफारिशों को स्वीकार किया गया है और आंशिक रूप में क्रया-न्वित किया गया है । समिति द्वारा की गई अन्य सिफारिशें विचाराधीन हैं । सिफारिश संख्या 105 से 108 तक के सम्बन्ध में, जहां तक मंत्रालय के मामलों का सम्बन्ध है, गृह-कार्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री वक्तव्य दे चुके हैं कि सरकार किस तरीके से कार्रवाई करना चाहती है । किन्तु सरकार ने इन्हें अन्तिम रूप से स्वीकार नहीं किया है क्योंकि इस में तालिका बनाने का प्रश्न है और अध्यक्ष का सभापति को नियुक्ति का भी प्रश्न इसमें आता है । सिफारिशों को क्रिया-न्वित करने में विलम्ब का आरोप गलत है । जब सरकार ने सिफ़ारिशों को अंतिम रूप से स्वीकार ही नहीं किया है तो क्रियान्विति में विलम्ब का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

केरल में उत्पन्न हुई स्थिति को देखते हुए संविधान के अनुच्छेद 357 के अन्तर्गत उपबन्धों के अनुसार कार्रवाई करना अनिवार्य था । अतः यह कहना गलत है कि केरल में अनुच्छेद 356 के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिये थी ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि केरल राज्य के विधान मंडल की विधियां बनाने की शक्ति को राष्ट्रपति को प्रदान करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी । प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 2 was added to the Bill.

खंड 3--विधान मंडल की विधियां बनाने की शक्ति को राष्ट्रपति को प्रदान करना

श्री स० चं० सामन्त : (तामलुक): मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि पृष्ठ 1, पंक्ति 16 से 20 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये।

"Provided that before enacting any such Act, the President shall, whenever he considers it practicalbe to do so, consult a Committee constituted for the purpose, consisting of :—

(a) thirty members of the House of the People nominated by the Speaker among whom shall be included all members who for the time being fill the seats allotted to the State of Kerala in that House ; and

(b) fifteen members of the Council of States nominated by the Chairman among whom shall be included all members who for the time being fill the seats allotted to the State of Kerala in that House."

["परन्तु राष्ट्रपति ऐसे अधिनियम को अधिनियमित करने से पहले, जब भी वे ऐसा करना व्यवहार्य समझें, इस उद्देश्य के लिये बनी समिति से विचार-विमर्श करेंगे, जिसके निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

(क) लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट लोक-सभा के तीस सदस्य, जिनमें वे सभी सदस्य शामिल होंगे जो उस समय, उस सभा में केरल राज्य के लिये निर्धारित स्थानों पर बने हुए हैं ; और

(ख) राज्य सभा के सभापति द्वारा नाम निर्दिष्ट राज्य सभा के पन्द्रह सदस्य जिनमें वे सभी सदस्य शामिल होंगे जो उस समय उस सभा में केरल राज्य के लिये निर्धारित स्थानों पर बने हुए हैं।"।] (२)

मंत्रणा के लिये समिति में केरल राज्य के संसद् सदस्यों के अतिरिक्त दूसरे सदस्य भी होने चाहियें जो सरकार को अपने कार्य करने में निष्पक्ष रूप से सहायता कर सकें। अतः संख्या बढ़ाई जाये ताकि 30 सदस्य इस सभा से और 15 सदस्य राज्य सभा से लिये जा सकें।

अध्यक्ष महोदय : केरल राज्य से निर्वाचित सदस्यों की लोक-सभा तथा राज्य सभा में क्या संख्या है ?

श्री स० चं० सामन्त : उनकी संख्या लोक-सभा में 18 तथा राज्य-सभा में 9 है। इस प्रकार कुल सदस्य संख्या 27 होगी। मेरा निवेदन है कि उनके अलावा कुछ अन्य सदस्य भी समिति में लिये जाने चाहियें जो निष्पक्ष रूप में समिति के कार्य में हाथ बटा सकें। इसलिये लोक-सभा से 30 तथा राज्य सभा से 15 सदस्य इस समिति में लिये जाने चाहियें।

श्री हाथी : मुझ इसे स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

कि पृष्ठ 1, पंक्ति 16 से 20 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये:—

"Provided that before enacting any such Act, the President shall, whenever he considers it practicable to do so, consult a Committee constituted for the purpose, consisting of—

(a) thirty members of the House of the People nominated by the Speaker among whom shall be included all members who for the time being fill the seats allotted to the State of Kerala in that House ; and

(b) fifteen members of the Council of States nominated by the Chairman among whom shall be included all members who for the time being fill the seats allotted to the State of Kerala in that House."

["परन्तु राष्ट्रपति ऐसे अधिनियम को अधिनियमित करने से पहले, जब भी वे ऐसा करना व्यवहार्य समझें, इस उद्देश्य के लिये बनी समिति से विचार-विमर्श करेंगे, जिस के निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

(क) लोक-सभा के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट लोक-सभा के तीस सदस्य जिन में वे सभी सदस्य शामिल होंगे जो उस समय उस सभा में केरल राज्य के लिये निर्धारित स्थानों पर बने हुए हैं ; और

(ख) राज्य सभा के सभापति द्वारा नामनिर्दिष्ट राज्य सभा के पन्द्रह सदस्य जिनमें वे सभी सदस्य शामिल होंगे जो उस समय उस सभा में केरल राज्य के लिये निर्धारित स्थानों पर बने हुए हैं।" ।] (1)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि खण्ड 3, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 3, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 3, as amended, was added to the Bill.

खन्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clause 1, The Enacting formula and the Title were added to the Bill.

श्री हाथी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में पारित किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक

HIGH COURT JUDGES (CONDITIONS OF SERVICE) AMENDMENT BILL

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas): There is no quorum in the House at the moment.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा में गणपूर्ति है । माननीय मंत्री अपना भाषण आरम्भ करें।

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1954 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

संविधान (पन्द्रहवां संशोधन) अधिनियम, 1963 के द्वारा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की आयु 60 वर्ष से बढ़ा कर 62 वर्ष कर दी गई है और इसी कारण से यह संशोधन विधेयक लाया गया है। विधेयक के खण्ड 2 का उद्देश्य वर्तमान अधिनियम की धारा 14 में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु को 60 से बढ़ा कर 62 वर्ष करना है । दूसरे संशोधन द्वारा यह उपबन्ध किया जा रहा है कि 5 अक्तूबर, 1963 को, जिस तिथि से कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु को बढ़ाया गया है, न्यायाधीश के पद पर काम कर रहे व्यक्तियों को 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर सेवानिवृत होने की छूट होगी ।

तीसरे संशोधन द्वारा जम्मू तथा काश्मीर राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर भी वर्तमान अधिनियम के इस उपबन्ध को लागू किया जा रहा है कि अन्य राज्यों में स्थानान्तरित किये जाने पर उन राज्यों में उन के सेवा काल को पेंशन आदि के लिये गिना जायेगा ।

यह एक अविवादास्पद विधेयक है, मुझे आशा है कि सभा इसे स्वीकार करेगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री ही० ना० मुकर्जी : (कलकत्ता-मध्य) : मैं इस अवसर पर यह कहना चाहूंगा कि सरकार को न्यायपालिका के प्रति अपने उत्तरदायित्व को ध्यान में रखना चाहिये क्योंकि न्यायाधीशों की सेवानिवृति की आयु निर्धारित करने के प्रश्न पर देश में काफी गरमा गरमी हुई थी। सेवानिवृति की आयु निर्धारित करने के बारे में उच्च न्यायालयों के कुछ न्यायाधीशों ने यह महसूस किया है कि कार्यपालिका ने उन के साथ न्याय नहीं किया है । मैं यह भी मानता हूं कि केवल सरकार ही दोषी नहीं है अपितु हमारे कुछ न्यायाधीश भी अपने उत्तरदायित्व के प्रति जागरूक नहीं हैं । यह हमारे लिये प्रसन्नता का विषय नहीं है कि हमारे उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश अपनी सेवानिवृत्ति की आयु के मामले को न्यायालयों में ले जायें । यह भी हमें शोभा नहीं देता कि किसी प्रमुख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अपनी आयु के बारे में गलत विवरण दें । मैं ने ऐसा सुना है हालांकि मुझे ठीक से यह मालूम नहीं है कि यह सच है अथवा झूठ। हम यह आशा करते हैं कि हमारे न्यायाधीशों में जनता का पूरा विश्वास हो और

कार्यपालिका की नज़रों में भी वे ऊंचे बने रहें । कार्यपालिका को भी न्यायाधीशों के सम्मान का ध्यान रखना चाहिये । आयु के निर्धारण के बारे में उच्च न्यायालय के एक भूतपूर्व न्यायाधीश का मामला इस समय उच्चतम न्यायालय में लम्बित है । इस मामले के बारे में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों ने ऐसे विचार व्यक्त किये हैं जिन से यह आभास मिलता है कि कार्यपालिका बिना किसी आवश्यकता के न्यायपालिका की स्थिति से संबंधित मामलों में हस्तक्षेप करने लगी है ।

आयु के निर्धारण के बारे में न्यायाधीशों की यह राय है कि उनकी आयु नियुक्ति के समय अन्तिम रूप से निर्धारित कर दी जाये और बाद में उसमें कोई परिवर्तन न किया जाये अन्यथा किसी न्यायाधीश ने नियुक्ति के समय अपनी आयु के बारे में झूठी शपथ न ली हो । न्याया-धीश, जिनका मामला इस समय अन्तिम निर्णय के लिये सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित है, की आयु कार्यपालिका द्वारा एक विशेष अवसर पर निर्धारित की गई थी और उसके आधार पर उन्हें अपना पद छोड़ने के लिये कहा गया । उसी के विरुद्ध न्यायाधीश महोदय ने अपनी अपील दायर की है। मेरा अपना विचार यह है कि कार्यपालिका को किसी न्यायाधीश की सलाह लिये बिना स्वयं उसकी आयु के बारे में फैसला नहीं करना चाहिये । यह न्यायपालिका के काम में बाधा डालना होगा। यह कहा गया है कि किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में फैसला करने से पहले सरकार भारत के मुख्य न्यायाधिपति अथवा उन सरीखे किसी व्यवित से परामर्श करती है । परन्तु कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश की राय में ऐसा तभी किया जाना चाहिये जब विधि में इस बारे में स्पष्ट उपबन्ध हो । इसलिये मेरी अपनी राय है कि न्यायाधीशों की आयु के निर्धारण, गजट में प्रकाशन, तथा उसके बारे में भविष्य में आपत्ति किये जाने के बारे में कोई विशेष सिद्धान्त होने चाहियें। अन्यथा न्यायाधीश सुचारू रूप से अपना कार्य नहीं कर सकेंगे । यही आशंका कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश द्वारा व्यवत की गई है । उच्च स्तर के न्यायाधीशों का यह अनुभव करना कि वे कार्यपालिका के रहम पर निर्भर हैं लोकतंत्र की भावना के सर्वथा विपरीत जाता है; विशेषकर जब कि हमारे लिखित संविधान का अन्तिम निर्वचन न्यायपालिका द्वारा किया जाना है ।

मुझे जजों की सेवानिवृत्ति की आयु के बढ़ाये जाने के फलस्वरूप लाये गये इस विधेयक के बारे में कोई आपत्ति नहीं है । परन्तु मेरा सरकार से केवल यही निवेदन है कि सरकार को गम्भीर सोच विचार के बाद जजों की आयु के निर्धारण के मामले में कोई निश्चित प्रक्रिया अपनानी चाहिये जिससे न्यायपालिका स्वतन्त्र रूप से कार्य कर सके ।

श्री विद्याचरण शुक्ल (महासमंद): जजों के एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानान्तरण किये जाने का सिद्धान्त बहुत ही सराहनीय है । परन्तु राजनीतिक दबाव अथवा स्वयं जजों की हिच-किचाहट के कारण स्थानान्तरण के काम में बाधा उपस्थित होती है । मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री अपने उत्तर में पिछले दस वर्षों में जजों के स्थानान्तरण के मामलों की संख्या देने की कृपा करें। आम तौर पर योग्य व्यक्ति ही उच्च न्यायालयों तथा सर्वोच्च न्यायालय के जज नियुक्त किये जाते हैं । परन्तु एक आई० सी० एस० अधिकारी को उच्च न्यायालय का जज नियुक्त कर दिया गया है जो कि विधि स्नातक भी नहीं है । किसी भी उच्च न्यायालय में वे सफल सिद्ध नहीं हुए हैं । और अन्त में, उनका मध्य प्रदेश में स्थानान्तरण कर दिया गया है । इसलिये मेरा निवेदन है कि जजों की नियुक्ति राजनीतिक दबाव आदि के कारण नहीं की जानी चाहिये क्योंकि इससे लोगों को न्याय नहीं मिल सकेगा ।

Shri Y. S. Chaudhary (Mahendragarh): When the Constitution (fifteenth Amendment) Bill was being debated in the House, I could not place my views before the House then. There is abnormal delay even in the disposal of criminal cases. With all the respect for the judges of High Courts and Supreme Court, in my opinion, this increase in the age of retirement may be one of the causes of this abnormal delay. Old age has also its toll on their capacity to work. But we should lay emphasis on the quick disposal of cases instead.

As has been rightly observed by Shri Hiren Mukerjee, the independence of judiciary from the executive should be upheld at all costs. This feeling among High Court judges that they are dependent on the executive goes right against the grain of democracy. Political and other considerations should not be allowed to come in the appointment, transfer or determination of age, etc. of judges of higher courts. All the matters relating to the appointment etc. of judges not only of High Courts but from the district courts to the Supreme Court should be decided by the Chief Justice of India on a reference of the case by the President to the Supreme Court. The House Minister should not have any say in such matters. Now the judges of High Courts are appointed. on the recommendations of the State Government. I do not know what is the nature of their recommendation but it cannot be absolutely free from prejudice. This is why I suggest that the Supreme Court should have the final say in such matters. To meet justice to the people the judiciary should be completely free from the influence of the executive.

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) : इस विधेयक के सम्बन्ध में मैं अधिक विस्तार में न जाता हुआ केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि यह बड़े खेद की बात है और इसके साथ चिन्ता का विषय है कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवा की शर्तों में सुधार करने वाला व्यापक विधेयक इस समय सदन के समक्ष नहीं लाया गया। हम हमेशा न्यायपालिका का आदर करते हैं। और यह खेद की बात है कि संयुक्त प्रवर समिति के समक्ष प्रस्तुत की गयी साक्षियों को भी उपेक्षा की दृष्टि से देखा गया है।

इस सन्दर्भ में महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे विधि व्यवसाय के योग्यतम व्यक्तियों को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की दिशा में कोई आकर्षण प्रतीत नहीं होता। उसका कारण यह है कि उसकी सेवा की शर्तें पर्याप्त रूप से सुविधापूर्ण नहीं है। यह भी सुनने में आया है कि कई जगह तो उच्च न्यायालयों की नियुक्ति में राज्यों के मुख्य मंत्री तक हस्तक्षेप करने लगते हैं। मेरा निवेदन है कि न्यायपालिका को विधि मंत्रालय के अधीन रखा जाना चाहिए। इस संदर्भ में एक बात आपको स्पष्ट समझ लेनी चाहिए कि जिन लोगों को दूसरे और तीसरे दर्जे से लाकर न्यायपालिका में नियुक्त कर दिया जाता है उनसे ईमानदारी की अपेक्षा करना मेरे विचार से भूल ही है। न्यायाधीशों की नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया में सचमुच बहुत कमियां हैं। और मुख्य मंत्रियों का इसमें हस्तक्षेप करना तो और भी अधिक गम्भीर मामला है। इसकी ओर तुरन्त ध्यान दिया जाना चाहिए।

इस सम्बन्ध में मैं न्यायपालिका के हो रहे विस्तार का भी उल्लेख करना चाहता हूं। काम भी बहुत काफी पड़ा रहता है। मामलों के फैसले होते नहीं, और विस्तार भी इसी के कारण से है। मामलों को निपटाया न जाना काफी बुरे परिणामों का कारण हो सकता है। लोगों को न्याय के

प्रशासन में विश्वास रहना चाहिए। इसी दृष्टि से मेरा निवेदन यह है कि उच्च न्यायालयों में इस प्रकार के मामलों की संख्या बढ़ने नहीं देना चाहिए जिनका फैसला नहीं हुआ। अनिर्णीत मामलों की समस्या हल करने के लिए तुरन्त कदम उठाने चाहिए।

श्री नि० च० चटर्जी (बर्दवान) : मैंने 1952 में भी यह सुझाव दिया था कि हमें पुराना नौकरशाही तरीका समाप्त कर देना चाहिए। न्यायपालिका को गृहकार्य मंत्रालय के अधीन रखना पुराना नौकरशाही ढंग है। इसे तुरन्त समाप्त करना चाहिए। न्यायपालिका को ठीक ढंग से विधि मंत्रालय के अन्तर्गत रखा जाना चाहिए। प्रयत्न किया जाना चाहिए कि स्वस्थ वातावरण का निर्माण किया जाय। इस सम्बन्ध में जो कुछ हमारे महान्यायाधीश ने कहा है उसे स्वीकार किया जाना चाहिए।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि एक समय प्रवर समिति में भी मैंने यह बात कही थी कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 करना ही उचित है। मेरे विचार में न्यायाधीश 65 वर्ष तक ठीक ठाक चल सकते हैं। मेरा अपना अनुभव है कि 60 वर्ष से ऊपर तक न्यायाधीश बहुत ही योग्यता से कार्य करते हैं। हमारे उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय का कार्य किसी भी देश के उच्चतम न्यायालय के कार्य से कम नहीं है। आयु के मामलों को, मेरे विचार में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सुपुर्द कर दिया जाना चाहिए। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय आयु निश्चित करने के लिए एक सिद्धान्त बनाया जाना चाहिए और इसके लिए अन्तिम सिद्धान्त निर्धारित कर देना चाहिए। मामलों को बार बार नहीं उठाया जाना चाहिए।

फैसलों के होने में बहुत देर लगती है, इस बारे में बहुत कुछ कहा सुनी हुई है। कई न्यायालयों में 11,000 और कइयों में 51,000 मामलों का निर्णय अभी तक नहीं हो सका है। यह स्थिति बहुत ही शोभनीय नहीं है। इस दिशा में बहुत कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। हमें अपनी न्यायपालिका के स्तर को ऊपर उठाने का यत्न करना चाहिए। अच्छे और योग्य व्यक्तियों को अच्छी सेवा शर्तों से इस दिशा की ओर आकृष्ट करना चाहिए। इस मामले पर मितव्ययता की बात सोचना गलत होगा।

इस बात का भी पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए कि न्यायपालिका तथा कार्यपालिका को अलग अलग रखने का कार्य तुरन्त किया जाना चाहिए। और इस बात पर कड़ी नजर रखी जानी चाहिए कि राज्य के मुख्य मंत्री उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार के मामलों का निर्णय राज्य के मुख्य न्यायाधिपति तथा भारत के न्यायाधिपति द्वारा किया जाना चाहिए।

अन्त में मेरा एक सुझाव यह है कि परमादेश याचिका का अधिकार पृच्छा याचिका की जो, न्यायालय में दायर की जाती है, शर्मनाक स्थिति केवल उस समय ही समाप्त हो सकती है जबकि कार्यपालिका निश्चित रूप से यह घोषित कर दे कि इस सम्बन्ध में भारत के मुख्य न्यायाधीश को अन्तिम अधिकार प्राप्त है और उसका निर्णय अन्तिम माना जायेगा। इस प्रकार न्यायपालिका के अपमानित होने के अवसर बहुत कम हो जायेगा।

श्री रंगा (चित्तूर) : श्रीमान जी, मैं उन तमाम बातों से पूर्ण रूपेण सहमत हूं जो कि सदन में मेरे माननीय मित्र डा० सिंघवी ने कही हैं मेरा तो यही विचार है कि इस मामले में उच्चतम न्याया-

[श्री रंगा]

लय के मुख्य न्यायाधीश को सभी अधिकार दिये जाने चाहिये। इसके अतिरिक्त उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की जन्म-तिथि के बारे में जो सन्देह उत्पन्न हो, उनका निपटारा करने के लिये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को ही उत्तरदायी बनाया जाये। उच्च न्यायालयों के केवल न्यायाधीशों का ही नहीं अपितु मुख्य न्यायाधीशों का भी स्थानान्तरण सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया जाये, न कि गृह मंत्रालय अथवा विधि मंत्रालय द्वारा। हम लोकतन्त्रीय व्यवस्था का निर्माण कर रहे हैं अतः ऐसी व्यवस्था की ही जानी चाहिये। श्री चटर्जी द्वारा जो यह सुझाव रखा गया है कि न्यायाधीशों को गृह मंत्रालय के अन्तर्गत न रख कर विधि मंत्रालय के अन्तर्गत रखा जाय, ठीक ही है। न्यायाधीशों के लिये समुचित आवास की व्यवस्था भी की जानी चाहिये।

इसके अतिरिक्त किसी एक विशिष्ट उच्च न्यायालय में, उस विशिष्ट न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर से या अन्य राज्यों से कुछ न्यायाधीश नियुक्त करने की प्रथा का विस्तार किया जाये ताकि किसी भी उच्च न्यायालय में काफी अच्छी संख्या में न्यायाधीश उस राज्य से बाहर के हों। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को चुनने में राजनीतिक दबाव की परवा नहीं की जानी चाहिये। उच्च न्यायालयों में काम करने वाले न्यायाधीशों में से ही सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश चुनने की प्रथा जारी रखी जाये।

अन्त में मेरा यह निवेदन है कि हमारे मुख्य मंत्रियों को तथा भारत सरकार के मंत्रालयों को उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के प्रति अपने व्यवहार में परिवर्तन करना चाहिये। इस प्रकार के मामलों में यदि कोई सन्देह हो तो उन्हें न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानान्तरण आदि के सभी मामले सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर छोड़ देने चाहिये। इससे सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का मान, निष्पक्षता तथा राजनीति के ऊपर चरित्र कायम रहेगा।

श्रीमती यशोदा रेड्डी (करनूल): कुछ समय से हमारी संसद और देश के लोग न्यायपालिका के प्रति कुछ आलोचनात्मक दृष्टि से देखने लगे हैं यही एक ऐसा विभाग था जिस पर हम गौरव करते रहे हैं और करते हैं। हमारे न्यायाधीश किसी भी प्रकार के सन्देह से ऊपर हैं। खेद की बात है कि हमारे देश में न्यायपालिका में विश्वास कम होता चला जा रहा है। श्री रंगा ने कहा है कि मुख्य मंत्री बहुत अधिक हस्तक्षेप करते हैं। इसे तो मैं नहीं मानती परन्तु यह ज़रूर महसूस करती हूं कि न्यायाधीशों की नियुक्ति करने में थोड़ा बहुत राजनीतिक दबाव अवश्य पड़ जाता है। मेरे विचार में न्याय के प्रशासन की दृष्टि से और सामान्य लोगों के हित में यह ज़रूरी है कि लोगों में फैला हुआ यह विचार हटाया जाय।

उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की आयु के बारे में श्री चटर्जी ने जो कुछ कहा है उससे मैं सहमत हूं। मेरे विचार में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की आयु के प्रश्न पर उनकी नियुक्ति के समय ही फैसला कर लिया जाये ताकि बाद में यह प्रश्न उत्पन्न ही न हो। इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहती हूं कि जिन राज्यों में अभी तक न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक नहीं किया गया वहां उसे तुरन्त अलग किया जाय। इस बात को हमें स्वीकार करना चाहिये कि कोई भी प्रशासन अपनी योग्यता का निर्णय स्वयं नहीं कर सकता। स्वतन्त्र न्यायाधिकरण का आश्रय लेना ही पड़ता है।

न्याय में देरी हो जाने की बात कही गयी है। इसके लिये नीचे की न्यायपालिका का स्तर ऊंचा किया जाना चाहिये। मुकदमेबाजी में जो बहुत खर्च होता है उसको दृष्टि में रखते हुए कोई ऐसा तरीका निकाला जाना चाहिये जिसके द्वारा उन निर्धन लोगों की, जिनको कि वास्तव में सबसे ज्यादा न्याय की आवश्यकता होती है, कुछ कानूनी सहायता देने की समस्या को हल किया जा सके।

इसके अतिरिक्त यह भी शिकायत है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये गये आश्वासनों के बावजूद न्यायाधीशों को जहां से उनको नियुक्त किया जाता है, उस राज्य से बाहर बड़ी संख्या में स्थानान्तरित नहीं किया जाता। ऐसे स्थानान्तरण बड़ी संख्या में किये जाने चाहियें। यह भी एक आम धारणा है कि न्यायपालिका के कार्य में काफी मात्रा में राजनीतिक हस्तक्षेप होता है। मेरा निवेदन है कि न्यायपालिका के बारे में राजनीतिक हस्तक्षेप सम्बन्धी सन्देह का निवारण करने के लिये गृह मंत्रालय को भरसक प्रयत्न करना चाहिये। लोगों का सन्देह दूर होना ही चाहिये कि राजनीतिज्ञ न्यायपालिका से भी खिलवाड़ कर सकते हैं।

श्री गौरी शंकर कक्कड़ (फतहपुर) : मैं इस बात में माननीय मन्त्री से सहमत हूं कि यह विधेयक बहुत ही सरल है। यह तो आनुषंगिक है, और इसका सम्बन्ध न्यायाधीशों की आयु को बढ़ाने से है। सभी पक्षों की बातें सुनने के बाद मैं यह महसूस करता हूं कि सरकार को इसके लिए कोई व्यापक विधान प्रस्तुत करना चाहिए जिसके अन्तर्गत उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सारी बातें आ जातीं। हम देश में लोकतन्त्र का निर्माण करना चाहते हैं, इस दृष्टि से हमें न्यायपालिका के लिए स्वस्थ वातावरण का निर्माण करना चाहिए।

मुझे ज्ञात है कि इस बात को स्वीकार कर लिया गया है कि मुख्य मन्त्री यदा कदा न्यायापालिका के कार्य में हस्तक्षेप करते रहते हैं। कई बार तो साधारण वकीलों को न्यायाधीश बना दिया गया, और ऐसे लोग प्रायः राजनीतिज्ञ होते हैं। यह बात लोकतन्त्र की दृष्टि से बहुत ही हानिकारक है।

अब मैं कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग करने के विषय की ओर आता हूं। इस विषय पर प्रस्ताव पास किये गये हैं और हमारी सरकार की राष्ट्रीय नीति भी यह है इन दोनों विभागों को अलग अलग रखा जाय। परन्तु यह खेद का विषय है कि कई एक राज्य में अभी न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग अलग नहीं किया गया यहां ऐसा किया भी गया है वह भी इस कार्य को ठीक ढंग से कार्यान्वित नहीं किया जा रहा।

न्यायाधीशों की आयु के बारे में जब भी बात होती है तो इसे अदालती मुकदमेबाजी का प्रश्न बना लिया जाता है, यह बात खेदजनक है। आगे के लिए यह सब कार्य नियमों के अनुसार होगा और कोई कठिनाई नहीं आयेगी। नियुक्ति के समय आयु का भी निर्णय हो जायेगा। 15 वें संशोधन के कारण इस दिशा में जहां कोई कठिनाई प्रस्तुत हो, वहां उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को अन्तिम निर्णय का अधिकार दिया जाय।

अन्त में एक बार पुनः गृह-कार्य मन्त्री से प्रार्थना करूंगा कि उन्हें इस सम्बन्ध में तुरन्त ही एक व्यापक विधेयक सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। इससे न्यायाधीशों के बारे में स्थिति स्पष्ट होगी और लोगों का विश्वास न्यायपालिका में बढ़ेगा। लोकतन्त्रीय व्यवस्था में यह बात बड़ी आवश्यक और महत्वपूर्ण है।

Shri Yashpal Singh (Kairana) : As far as Constitution is concerned we bow before it, but we must look to the new needs of the country. Teeming millions of young and fresh graduates are coming out of the university. With great capacity and sagacity, we should not push them back, there are people who cannot do physically work well still they are in offices. Here we ignore the principle of sound mind in sound body. I would submit that new people should be given the opportunity.

As far as the appointment of High Court judges are concerned, I am of the opinion that it should come under the jurisdiction of the Law Ministry and not the Home Ministry. This should also be invariably kept in view that such appointments are made in consultation with the chief Justice of the Supreme Court. We should be very vigilant in this matter that no political interference is made in the matter of selection of High Court Judges.

As far as possible, the age of retirement should not be raised. I would again press and say that the raising of age would come in the way of younger generation coming up to fill the vacancies and by doing so, we shall be deprived of the fresh knowledge and approach of those young people. The new people who are coming have fresh knowledge and experience.

श्री हाथी : यद्यपि इस विधान के लिए मुझे सबका एक मत से समर्थन तो प्राप्त नहीं होगा, फिर भी मुझे हर्ष है कि माननीय सदस्यों ने इसका समर्थन किया, और कुछ अच्छे सुझाव भी प्रस्तुत किये हैं। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि न्यायपालिका के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों की भावनायें भी हैं और इसके भविष्य के सम्बन्ध में चिन्ता भी है। न्यायाधीशों की आयु के सम्बन्ध में सभी ने उल्लेख किया है। मेरा निवेदन है कि मैं स्वयं भी इसी मत का हूं कि जहां तक न्यायपालिका का सम्बन्ध है उनकी परम्पराओं को कायम रखा जाना चाहिए। हमारे देश को एक स्वतन्त्र न्यायपालिका की आवश्यकता है।

जहां तक उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के निर्धारण का प्रश्न है, संविधान (पन्द्रहवां संशोधन) अधिनिमि में यह उपबन्ध है कि यदि किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु का प्रश्न उठता है तो इस पर राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधिपति के परामर्श से ही निर्णय किया जाये। इस मामले में राष्ट्रपति का निर्णय अन्तिम होना चाहिए।

उच्च न्यायालयों के अवशिष्ट मामलों सम्बन्धी प्रश्न पर विधि मन्त्रियों के सम्मेलन में मुख्य मन्त्रियों के सम्मेलन में और मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में विचार किया गया है और अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति आदि के बारे में उनकी सिफारिशों को कार्यान्वित किया जा रहा है।

एक राज्य से दूसरे राज्य में उच्च न्यायालयों के जजों का स्थानान्तरण करना हमने आरम्भ कर दिया है और उनको प्रतिकरात्मक भत्ता और यात्रा भत्ता सम्बन्धी सुविधायें दी जा रही हैं।

मामलों को शीघ्र निबटाने के लिये हम अतिरिक्त जजों की नियुक्ति कर रहे हैं।

कुछ माननीय सदस्यों ने यह आरोप लगाया कि उच्च न्यायालय के जजों की नियुक्ति राजनीतिक दबाव से की जाती है। परन्तु इस प्रकार की धारणा को स्थान नहीं दिया जाना चाहिए चूंकि

इन जजों की नियुक्ति मुख्यतया हम उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधिपति और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की मन्त्रणा से ही करते हैं। और उन जजों की नियुक्ति के लिये आधार उनके गुण ही होते हैं।

जजों की नियुक्ति के मामले में विधि मन्त्री अथवा गृह मन्त्री का प्रश्न नहीं होना चाहिए। मुख्य प्रश्न तो यह है कि सरकार का दृष्टिकोण क्या है। क्या वह चाहती है कि हमारे देश की न्याय-पालिका स्वतन्त्र रहे और न्याय करने में विलम्ब न हो। जब तक सरकार का दृष्टिकोण इस प्रकार का है तब तक अन्य बातों को महत्व देने की आवश्यकता नहीं है।

इन शब्दों के साथ मैं सभा से अनुरोध करता हूं कि इस विधेयक को स्वीकार किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम 1954 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 2 was added to the Bill.

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 3 was then added to the Bill.

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 1, the Enacting Formula and the title were then added to the Bill.

श्री हाथी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाय।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक को पारित किया जाय।"

श्री ही० ना० मुकर्जी : माननीय राज्य मन्त्री ने जो तर्क दिये वह सन्तोषजनक नहीं हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश श्री जे० बी० मित्तर के बारे में गृह मन्त्रालय की ओर से वहां के मुख्य न्यायाधिपति को निदेश दिया गया कि चूंकि वह 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हैं इसलिये वह अब काम नहीं कर सकते। यदि राष्ट्रपति ने संविधान के अनुसार सभी पहलुओं पर विचार करके यह

[श्री ही० ना० मुकर्जी]

बात कही होती ता एक भिन्न बात थी। परन्तु गृह मन्त्रालय का ऐसा निदेश देना सर्वथा अनुचित था विशेषकर जबकि सम्बद्ध न्यायाधीश ने कहा कि उनकी आयु अभी 60 वर्ष की नहीं हुई थी। विशेष बेंच के पांचों न्यायाधीशों ने भी इस विषय में प्रतिकूल राय दी है। इसलिये इसका स्पष्टीकरण होना चाहिए।

एक अन्य बात के बाद में सन्तोषजनक उत्तर नहीं दिया गया है। हम देखते हैं कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को चुनने में उच्चतम न्यायालयों और उच्च न्यायालयों के न्यायाधिपतियों के अतिरिक्त राज्यों के मुख्य मन्त्रियों का भी हाथ रहता है जो सर्वथा अनुचित है। मुख्य मन्त्री चाहे कितने ही सम्माननीय हों परन्तु न्यायाधीशों की नियुक्ति में उन का असर नहीं होना चाहिए। सरकार को इस विषय में सभा को आश्वासन देना चाहिए।

डा० मा० श्री० अणे (नागपुर) : माननीय मन्त्री को यह बात स्पष्ट करनी चाहिए कि क्या सरकार माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये सुझावों की दृष्टि से एक विस्तृत विधेयक सभा के इसी सत्र में प्रस्यत करने जा रही है ?

श्री पें० वेंकटा सुब्बया : उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति में बहुत विलम्ब होता है। मेरे अपने राज्य में दो न्यायाधीशों की नियुक्ति सम्बन्धी प्रस्ताव भेजा गया था परन्तु लोगों में यह धारणा बन गयी है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपतियों में और गृह मन्त्रालय में मतभेद होने के कारण वह नियुक्तियां नहीं हो रही हैं। इस बारे में स्थिति को स्पष्ट किया जाना चाहिए।

श्री हाथी : श्री मुकर्जी ने जिस निदेश को जारी किये जाने की चर्चा की मैं उस के बारे में पड़ताल करूंगा।

न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में सविधान के अनुच्छेद 217 में स्पष्ट उपबन्ध है। माननीय सदस्य ने कहा कि राजनीतिक दबाव का प्रयोग किया गया था। गृह मन्त्री भारत के मुख्य न्यायाधिपति से बात करने वाले हैं कि इस विषय में किसी अग्रेतर उपबन्ध की आवश्यकता है कि नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

प्रत्यक्ष कर (संशोधन) विधेयक

DIRECT TAXES (AMENDMENT) BILL

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि प्रत्यक्ष कर सम्बन्धी कुछ विधियों में अग्रेतर संशोधन करने वाले बिधेयक पर विचार किया जाय।"

इस विधेयक द्वारा आयकर अधिनियम 1961 सम्पदा शुल्क अधिनियम, 1953 तथा व्यय कर अधिनियम, 1957 में संशोधन किया जा रहा है जिसके द्वारा करदाताओं की कुछ कठिनाइयों को दूर किया जायगा और इन अधिनियमों की कमियों को भी दूर किया जायगा। इसके द्वारा आय कर अधिनियम की व्यवस्था में भीं सुधार होगा।

आय कर सम्बन्धी उपबन्ध इसलिये रखा गया है कि जब किसी समवाय का काम सरकार या सरकार द्वारा नियन्त्रत कोई निगम अपने हाथ में ले लेता है उस समय अंशधारियों को समवाय द्वारा लौटायी जाने वाली उनकी राशियों के बारे में कोई कठिनाई न हो। इस उपबन्ध के अनुसार स बद्ध उपक्रम के अधिग्रहीत किये जाने से पूर्व के तीन क्रमिक लेख वर्षों की जो अंशधारियों को वितरित की जाने वाली राशि उस उपक्रम के संचित लाभों के रूप में होगी उन पर लाभांश के रूप में कर नहीं लगेगा। इस उपबन्ध को 1-4-1962 से लागू किया जायगा जब आय कर अधिनियम 1961 लागू हुआ था।

इस विधेयक में वेतन पाने वाले कर्मचारियों को महंगाई भत्ते पर लगने वाले कर में भी छूट दी गयी है। कितने कितने महंगाई त्ते पर कर की छूट दी जाय इसका उपबन्ध आय-कर नियमों में किया जायगा परन्तु इसकी अधिकतम सीमा 300 रुपये प्रतिमास होगी।

जो करदाता जवाहरलाल नेहरू स्मारक निधि में दान देते हैं, उनके द्वारा उस निधि में दी गयी राशि पर कर नहीं लिया जायगा। इस बारे में भी विधेयक में उपबन्ध रखा गया है।

एक उपबन्ध समवायों द्वारा घोषित साम्य लाभांशों पर अतिरिक्त सुपर टैक्स के बारे में है। माननीय सदस्यों ने पिछले अप्रैल में कहा था कि उस प्रकार के कर से दान से चलने वाली संस्थाओं का लाभ कम हो जायेगा। मैं विचार करने पर इसी निष्कर्ष पर पहुंचा हुं कि एसी संस्थाओं को कर से राहत मिलनी ही चाहिए। तदनुसार उपबन्ध विधेयक में रखा गया है।

इस विधेयक में दो उपबन्ध ऐसे रखे गये हैं जिन का उद्देश्य कर अपवंचन को रोकना है। एक उपबन्ध के अनुसार पंजीकरण प्राधिकारी 50,000 रुपये से अधिक गैर-कृषि अचल सम्पत्ति के या एसी सम्पत्ति के अधिकारों के दस्तावजों का पंजीकरण तब तक नहीं करेगा जब तक सम्बद्ध व्यक्ति आयकर, धन-कर, व्यय-केर उपहार कर आदि सम्बन्धी अपने वर्तमान दायित्वों के बारे में आय-कर विभाग से एक कर Clearance प्रमाण-पत्र पंजीकरण प्राधिकारियों को पेश न कर दे। इस धारा को व्यवहारिक रूप देने में सुविधा की दृष्टि से प्रमाणपत्र देने अथवा देने से इन्कार करने के बारे में एक समय-सीमा निश्चित की गयी है।

दूसरे उपबन्ध के अनुसार भवन निर्माण संबंधी 50,000 रुपये की राशि के ठेखे लेने वाले के लिये यह आवश्यक होगा कि वह ऐसा ठेका लेने से एक मास के भीतर ठेके के बारे में संकत ब्योरा आयकर विभाग में प्रस्तुत करे। इस उपबन्ध से वह लोग आयकर से नहीं बच सकेंगें जो भवन बना कर अपना रुपया वहां लगा देते हैं और फिर उस भवन

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

पर लगाये गये धन का ठीक व्योरा प्रस्तुत नहीं करते। और साथ ही साथ ठेकेदार भी किसी प्रकार की बेईमानी नहीं कर सकेंगे।

इन के अतिरिक्त वित्त अधिनियम, 1964 द्वारा आयकर अधिनियम में जो नये उपबन्ध रखे गये हैं। उन से उत्पन्न होने वाले कुछ उपबंध हैं। एक उपबन्ध यह है कि आय-कर अधिकारी कुछ उल्लिखित परिस्थितियों में अग्रिम कर तथा अग्रिम वार्षिकी जमा की मूल मांग को पुनरीक्षण कर सकेगा। वार्षिकी जमा सम्बन्धी कुछ उपबन्धों में भी संशोधन किया जा रहा है।

अनुभव के आधार पर आय-कर अधिनियम के कुछ अन्य विविध उपबन्धों में भी संशोधन किया जा रहा है।

सम्पदा शुल्के अधिनियम में दो संशोधन किये जा रहे हैं। वित्त विधेयक 1964 पर चर्चा करते समय सदस्यों ने कहा था कि 20 लाख से अधिक की सम्पदाओं पर 85 प्रतिशत शुल्के लगने से, उस पुंजी लाभ सम्बन्धी कर को मिलाकर जो सम्पदा शुल्क अदा करने के लिये सम्पत्ति को बेचते समय एक व्यक्ति को देना होगा, कर की राशि कुछ मामलों में सम्पत्ति के मल्य से भी अधिक बैठेगी। इस विधेयके में उपबन्ध रखा गया है जिस से सम्पदा शुल्क और पूंजी लाभ पर दिये जाने वाले कर की राशि कुल मिला कर 85 प्रतिशत से अधिक नहीं बैठगी। सम्पदा शुल्क अधिनियम में एक अन्य उपबन्ध यह रखा जा रहा है कि यदि सम्पदा शल्क देने वाला व्यक्ति चाहे तो वह सम्पदा का कुछ भाग ही सम्पदा के शुल्क के रूप में दे सकेगा। सम्पदा के मूल्य सम्बद्ध व्यक्ति और सरकार द्वारा आपसी समझौते द्वारा तर किये जायेंगे। यदि सम्पदा की कीमत सम्पदा शुल्क की राशि अधिक बैठी तो बकाया राशि सरकार को दिये जाने वाले किसी अन्य कर के खाते में डाल दी जायगी या आवश्यकतानुसार सरकार द्वारा दे दी जायेगी। यह संशोधन कृषि भूमि सम्बन्धी शुल्क पर भी लागू होगी।

अन्त में मैं व्यय-कर अधिनियम में एक संशोधन का प्रस्ताव करता हुं। इस के अन्तर्गत वह उपहार जो उपहार कर अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत कर से मुक्त हैं उन पर व्यय कर अधिनियम के अन्तर्गत भी कर नहीं लगेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि प्रत्यक्ष करों सम्बन्धी कुछ विधियों में अग्रतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।"

श्री स० मो० बनर्जी : (कानपुर) : मैं विधयक के विभिन्न खण्डों के बारे में कुछ विचार व्यक्त करना चाहता हूं :

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना भाषण अगले दिन जारी रख।

दिल्ली के निवासियों को तथा दूषित जल सप्लाई-किये जाने के बारे में चर्चा

DISCUSSION RE : SUPPLY OF CONTAMINATED AND POLLUTED WATER TO RESIDENTS OF DELHI

उपाध्यक्ष महोदय : अब महाराजकुमार विजय आनन्द दिल्ली के निवासियों को दूषित एवं गन्दे जल के सम्भरण के बारे में चर्चा उठायेंगे।

श्री हरि विष्णु कामत : मैं एक प्रक्रिया संबंधी प्रश्न उठाना चाहता हूं। मैंने और श्री बनर्जी ने दो दिन पूर्व इस विषय पर स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी जिसे अन्य प्रकार की सूचनाओं की अपेक्षा प्राथमिकता देनी चाहिए थी।

श्रीमती यशोदा रेड्डी (कुरनूल) : यह चर्चा नियम 193 के अन्तर्गत हो रही है।

महाराजकुमार विजय आनन्द (विशाखापटनम) : जल सम्भरण के बारे में चर्चा अत्यन्त महत्व की है। मुझे विश्वास है कि यदि जल व्यवस्था का प्रश्न हमारे स्वास्थ्य मंत्री पर पूर्णतः छोड़ दिया जाता तो स्थिति काफी बेहतर होती। परन्तु दुर्भाग्यवश उन का दखल बहुत सीमित सा है।

दिल्ली के डाक्टरों, समाचार पत्रों के सम्पादकों और अन्य बड़े बड़े लोगों ने बार बार जनता को आग्रह किया है कि पानी को दूषित एवं गन्दा होने के कारण महामारी फैलने वाली है। इस विकट स्थिति का मुख्य कारण नाला संख्या 8 है। यदि समय पर सेना की सहायता प्राप्त कर ली जाती तो स्थिति को खराब होने से बचाया जा सकता था। नगर निगम ने निरन्तर कर्त्तव्य अवहेलना का परिचय दिया है। एक बार 1955 में भी महामारी फैली थी। बम्बई और चितरंजन जैसे नगरों में गन्दगी से खाद तैयार करके काम में लाई जाती है। परन्तु दिल्ली में गन्दगी जमुना के किनारे किनारे डाल दी जाती है और फिर पानी बढ़ने से वह बह कर नलों में आ जाती है। दिल्ली के एक नल से एक मरा हुआ बिच्छू निकला है जो मैं सभा के समक्ष पेश करता हूं। इस समस्या को हल करने का एक यह उपाय हो सकता है कि नगर पालिका निगम से इस काम को ले लिया जाय।

नजफगढ़ लेक को देख कर हम यह धारणा बनाते हैं कि मुगलों के काल में भी बाढ़ें आती होंगी और बाढ़ का पानी इस लेक में जमा हो जाता होगा। परन्तु आज उस लेक में खेती की जाती है। यदि मुगलों के काल में इस बाढ़ की समस्या को हल किया जा सकता था तो आधुनिक काल में भी अवश्य इस का हल किया जा सकता है। उदाहरणार्थ, जमीन की खुदाई की जा सकती है।

मेरा सरकार से निवेदन है कि नगर निगम को हटा देना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री यदि यह काम पूर्णतः सम्भाल लें तो समस्या का हल हो सकता है। यह प्रस्ताव आलोचना के लिये नहीं वरन् सरकार के हाथ और मजबूत करने के लिये लाया गया है। मुझे आशा है कि सरकार इस समस्या की ओर पर्याप्त ध्यान देकर 25 लाख लोगों को बीमारी से बचायेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सभा 6 बजे तक बैठने के लिये तैयार है ? यदि सभा सहमत है तो यह चर्चा 2 1/2 घंटे तक होगी। मंत्री महोदया उत्तर देने के लिये कितना समय लेंगी ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : मैं आधे घंटे तक बोलूंगी। मेरा एक सुझाव यह है कि समय निर्धारित करने की बजाय बेहतर है कि चर्चा को चलने दिया जाय और बाद में इस बारे में फैसला हो।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) : दिल्ली में पानी हर साल खराब होता । यह हमारे लिये ही शर्म की बात नहीं है इस के कारण संसार भर में हमारी बदनामी होती है। इस वर्ष वर्षा अत्यधिक हुई परन्तु पानी के गन्दा होने के कई कारण हैं। हमारा यही विश्वास है कि यह ऐसे कारण नहीं हैं जिन का कोई उपाय नहीं था।

[**डा० सरोजिनी महिषी** पीठासीन हुई
Dr. Sarojini Mahishi *in the Chair*]

1959 में केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग परियोजना प्रतिवेदन की, जिसको रेड्डी प्रतिवेदन भी कहा जाता है, मुख्य सिफारिश यह थी कि ककरौला पुल से लेकर वजीराबाद बांध तक जहां से पानी लिया जाता है नजफ़गढ़ नाले के 18 मील के टकड़े को गहरा तथा चौड़ा बनाया जाये। परन्तु आज लगभग 5 वर्ष होने को आये अभी तक इस सिफारिश के अनुसार काम नहीं किया गया है। दो वर्ष पहले दिल्ली प्रशासन ने ढांसा बांध बनाया परन्तु सदस्यों को यह जानकर आश्चर्य होगा कि जहाजगढ़ झील से नजफ़गढ़ झील में पानी के बहाव को नियंत्रित करने के लिये कोई फाटक नहीं लगाये गये जबकि फाटक ढांसा बांध बनाने के साथ साथ लगाये जाने चाहिए थे। परिणामस्वरूप पंजाब के निवासियों को कष्ट उठाना पड़ा।

इस वर्ष अत्यधिक वर्षा के कारण साहिबी नदी तथा अन्य पांच सहायक नदियां नाला नम्बर 8 में मिल गईं और इसके परिणामस्वरूप ढांसा बांध में दरार बनानी पड़ी अन्यथा संभवतया पूरा बांध ही नष्ट हो जाता।

नजफ़गढ़ नाला इस आधार पर बनाया गया था कि इसमें से 3000 क्यूजेक पानी की निकासी हो सके परन्तु क्योंकि निर्माण कार्य अभी तक पूरा नहीं हो पाया इसलिये इस समय इसमें से केवल 1500 क्यूजेक पानी की निकासी होना संभव हो सका था। परन्तु इस वर्ष पानी की अधिकता के कारण इसमें से 4000 से 5000 क्यूजेक पानी की निकासी होने लगी और बहुत से गांव बाढ़ग्रस्त हो गये तथा दिल्ली नगर की निचान वाली बस्तियों में भी पानी भर गया। इसके साथ ही साथ राजस्थान के अल्वर में हरसोरा बांध के टूट जाने से साहिबी नदी में पानी अधिक बढ़ गया और नाला नम्बर 8 भी टूट गया जिससे मामला और उलझ गया। नाला नम्बर 8 के टूट जाने के कारण पानी, बादली के 'डम्पिंग ग्राउन्ड' से होकर नजफ़गढ़ नाले में आया और यही गन्दा पानी वज़ीराबाद बांध के ऊपरी बहाव में आकर उस स्थान पर जमुना में मिल गया जहां से पीने का पानी लिया जाता है। इस से स्पष्ट हो जाता है कि यदि रेड्डी समिति की सिफारिशों को लागू कर दिया जाता तो आज हमें पीने का पानी गन्दा नहीं मिलता। परन्तु हमारी सरकार सदा ही सिफारिशों को लागू करने में देर करती है। मैं आशा करती हूं, कि सरकार भविष्य

में इस प्रकार को परियोजनाओं को प्राथमिकता देगी और उनको शीघ्रातिशीघ्र क्रियान्वित करेगी तथा इस समस्या पर तभी विचार करना आवश्यक नहीं समझेगी जब बाढ़ आदि आयें अपितु वर्षा ऋतु के अतिरिक्त अन्य ऋतुओं में भी इस समस्या को महत्वपूर्ण समझ कर इसको हल करने का प्रयत्न करती रहेगी।

श्री जी० भ० कृपालानी (अमरोहा) : हमारे कुछ अधिकार हैं जैसे जीवनधारण, स्वतंत्रता तथा प्रसन्नता प्राप्ति के अधिकार। परन्तु जब जीवन रहेगा तभी जीवन धारण का अधिकार रहेगा। अतः मेरा माननीय अध्यक्ष महोदय से अनुरोध है कि कृपा करके लोक सभा का सत्र 10 दिन के लिये स्थगित कर दें जिससे कम से कम नेतागण तो अपना जीवन सुरक्षित रख सकें। क्योंकि जनता तो नेतागणों के पीछे पीछे चलती है और नेतागणों का जीवन महत्वपूर्ण इसीलिये हो जाता है।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद): स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अट्ठारह वर्ष व्यतीत हो चुके हैं और दिल्ली, जो भारत की राजधानी है उसकी जनता अभी भी पीड़ित है। यहां पर अन्न नहीं मिलता है। जो अन्य वस्तुएं मिलती हैं उनमें अपमिश्रण होता है।

मुझे 1955 की एक घटना अच्छी तरह याद है। उस वर्ष भारत में रूस से दो मेह सर्वश्री ख्रुश्चेव तथा बुलगानिन भारत आये थे। जब वह लौट कर रूस गये तो ऐसी अफ फैली कि उनको पीलिया रोग भारत में आने के कारण हो गया क्योंकि वह रूस पहुंचने से पमिश्रण ही अस्पताल में दाखिल हो गये थे। इस समय के हमारे स्वास्थ्य मंत्री उस समय दिल्ली नों के के अध्यक्ष थे। गये

उस समय 1955 में गन्दे पानी के बारे में लोक-सभा में चर्चा हुई थी तथा उस समय के स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर ने सभा में पूरा आश्वासन दिया था कि सभी संभव उपाय किये जायेंगे जिससे भविष्य में गन्दा पानी दिल्ली में पीने के लिये न मिले। परन्तु आज भी आठ साल के बाद भी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है और पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिये जिम्मेदार जल मल बोर्ड अभी भी जल मल मिश्रित पानी का संभरण दिल्ली में कर रहा है।

मुझे मालूम हुआ है कि पीलिया रोग से एक बालक की मृत्यु हो चुकी है तथा कुछ बालक अस्पताल में पड़े हैं। मैंने यह भी सुना है कि अस्पतालों में तथा गैर सरकारी डाक्टरों के पास भी इतने रोगी हैं कि वह सभी रोगियों की ओर उचित ध्यान देने में असमर्थ हैं। इसी आधार पर मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री को उसी प्रकार इस्तीफा दे देना चाहिए जिस प्रकार श्री लाल बहादुर शास्त्री ने अरियालूर रेल दुर्घटना होने पर इस्तीफा दे दिया था। मैंने 1956 में भी पीने के गन्दे पानी के कारण फैले पीलिया रोग के लिए राजकुमारी अमृत कौर से इस्तीफा देने की मांग की थी।

हाल में ही पीने के पानी के बारे में सभा में एक प्रश्न था। उसके सम्बन्ध में मैंने एक अनुपूरक प्रश्न पूछा था कि आज जो यह स्थिति है वह 1955 की तुलना में किस प्रकार की है। अच्छी है अथवा बुरी है। मंत्री महोदय ने उत्तर दिया कि यह स्थिति उस समय से भिन्न स्थिति है। अध्यक्ष महोदय ने बताया कि मंत्री महोदय ने कहा है उसकी तुलना में स्थिति

[श्री हरि विष्णु कामत]

अच्छी है। मैं चाहता हूं कि कृपा करके वह इस बात को स्पष्ट करें कि स्थिति अच्छी किस प्रकार है। इन आठ वर्षों में स्थिति सुधारने की परियोजना पर कितने करोड़ रुपये व्यय किये गये हैं आदि आदि।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि इसकी जांच के लिए एक संसदीय आयोग नियुक्त किया जाना चाहिए जो दोषी व्यक्तियों का पता लगाये और उनको आवश्यक दण्ड दिलाये।

श्री पु० र० पटेल (पाटन) : मैं तो समझता हूं कि जमुना के किनारे रहने वाले सभी लोगों के लिये यह बड़ी ही दुःखजनक बात है कि वह गन्दा पानी पीयें। दिल्ली में तो फिर भी यह गन्दा पानी परिष्कृत होता है परन्तु आस पास के जमुना के किनारे के गांवों को तो जमुना का कच्चा पानी ही पीना पड़ता है इसलिये हमें उनका भी ध्यान करना चाहिए।

साउथ एवेन्यु के होम्योपैथिक डिस्पेंसरी के डाक्टर मेरे पास एक बोतल में एक 'स्कारपियन'
ो जो पानी के नल में से पुरानी दिल्ली में निकला था और जो अब पटल पर रखा हुआ है।
सिद्ध होता है कि सरकार नई दिल्ली की जनता के समान ही दिल्ली की जनता के साथ
प्रतिवेह्वार नहीं करती है। इसलिये मेरा माननीय मन्त्री से अनुरोध है कि वह कठोर कदम उठायें
बांध त इस प्रकार की घटनायें न हों और नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली की जनता को पानी
चौड़ा ैसा ही मिल।

के अनुए **श्री भागवत झा आजाद** : बड़े ही शर्म की बात है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के 17 वर्ष बाद भारत
परन्तु राजधानी में पीने का साफ पानी उपलब्ध नहीं है। 1953 से साफ पानी के बारे में प्रत्येक
के द पानी को लेकर वाद-विवाद होता है तथा कितने ही व्यक्ति मर जाते हैं। परन्तु फिर भी सरकार इस गंभीर समस्या को हल करने का उपाय खोजने की कोशिश नहीं करती है। मैंने हाल में ही कई देशों का दौरा किया था। वहां पर कहीं भी मैंने इस प्रकार की समस्या नहीं देखी। हाल में ही मेरे कुछ विदेशी मित्र राजधानी में उपस्थित थे। बातचीत के दौरान में उन्होंने बताया कि किसी भी देश की राजधानी में ऐसी स्थिति उन्होंने नहीं देखी है कि पीने का पानी न मिले। खाने के लिये अनाज न मिल। बिजली बार बार बन्द हो जाये। बसें इतना धवां छोड़ें और हम उसका सांस लें।

दिल्ली नगर निगम की दक्षता का मैं एक सुन्दर उदाहरण देता हूं। कई संसद् सदस्य अपने फ्लैटों में अकेले रहते हैं परन्तु उनको 35 अथवा 40 रुपये पानी के देने पड़ते हैं। 10 वर्ष से संसद् में इस सम्बन्ध में चर्चा होती है परन्तु हमारे मंत्री प्रशासकों के प्रति इतने उदार हैं कि उनको दण्ड देना वह ठीक नहीं समझते हैं। जांच के लिये समितियां बनाई जाती हैं। परन्तु इन समितियों में अपराधी ही सदस्य होते हैं तथा अपना निर्णय दे देते हैं कि ऐसे कामों के लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं पाया गया। इसीलिये मैं श्री कामथ के इस सुझाव का समर्थन करता हूं कि उच्चाधिकारयुक्त संसदीय आयोग बनाया जाना चाहिए जो इसकी जांच करे तथा प्रतिवेदन दे जिससे दोषी व्यक्तियों को दण्ड दिया जा सके और समस्या को हल किया जा सके।

श्री फ्रेंक एन्थनी (नामनिर्देशित—आंग्ल-भारतीय) : मैं दिल्ली में 20 वर्ष से रह रहा हूं और मेरा अपना अनुभव है कि पीने के पानी की समस्या वार्षिक नहीं है अपितु लगातार चलने वाली समस्या है और इसी कारण दिल्ली में रोगों के कीटाणु तथा विषाणु खूब फल फूल रहे हैं।

इतना होने पर भी यह दूषित पानी कनाट प्लेस में पहली मंजिल पर कभी भी नहीं चढ़ता है। बार बार टेलीफोन करने पर नगर निगम के अधिकरी का जवाब होता है कि बिजली की कमी के कारण पानी पहली मंजिल पर नहीं पहुंचाया जा सकता है। हमारी ऐसी हालत है। हमारी यह राजधानी है। हम सभ्य लोग यहां रहते हैं और हमारी यह सभ्यता है कि हमको पीने के लिये एक तो दूषित पानी मिलता है तथा यह दूषित पानी भी पहली मंजिल पर नहीं पहुंचता है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने बताया कि गन्दे पानी की समस्या के बारे में 1959 में एक योजना बनाई गई थी और उसके लिये 2 करोड़ रुपये निश्चित किये गये थे। परन्तु मेरा अपना ऐसा विचार है कि दिल्ली नगर निगम भ्रष्टाचार तथा अदक्षता का ऐसा गढ़ा है जिसमें दो करोड़ क्या आप एक सौ करोड़ रुपया डाल दें उसका भी पता नहीं लगेगा और गन्दगी ही गन्दगी दिखाई देगी। ऐसी हालत होने पर भी जो व्यक्ति गन्दे पानी आदि के बारे में कुछ कहते हैं तो उनको स्वास्थ्य मंत्री अफवाह फैलाने वाला कहती हैं। जिसका अर्थ यह हुआ कि महामारी आदि जो कुछ भी नगर निगम दे उसको अच्छा अच्छा ही कहना चाहिए तथा प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

MR. DEPUTY SPEAKFR *in the Chair*

मुझे खेद है कि गृह-कार्य मंत्री यहां उपस्थित नहीं हैं। हाल में ही उन्होंने कहा था कि अपमिश्रण करने वालों को गोली से उड़ा देना चाहिये। मैं जानना चाहता हूं कि पानी गन्दा करने वालों के बारे में उनका क्या विचार है। मैं तो समझता हूं कि उन्होंने इन लोगों को गोली से उड़ाने के बजाये यदि मुअत्तल ही कर दिया होता तो वही काफी होता। परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया है। अन्त में मेरा यही कहना है सरकार को राजधानी में रहने वाले अभागे लोगों का कुछ तो ध्यान रखना चाहिए।

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव): उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में कुछ शब्द इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि मैं इस महीने की दस तारीख को इन 'वर्क्स' का निरीक्षण करने उस समय गया था जब 'सीवेज डिस्पोज़ल बोर्ड' के सभापति ने मेरे से उनका निरीक्षण करने को कहा था। निरीक्षण करने के बाद जो तथ्य मेरे सामने आये थे उन को मैं आप के सामने पेश करता हूं।

सामान्यतः जमुना नदी में प्रति 'मिलियन' पार्ट 8 से 12 पाइन्ट क्लोराइड होता है तथा बाढ़ के दिनों में एक अथवा दो दिन के लिये यह दुगना अथवा तिगुना हो जाता है। इस वर्ष ऐसा हुआ कि पंजाब तथा दिल्ली के क्षेत्रों में भारी वर्षा हुई और पानी एक रफतार से अधिक समय तक बहता रहा और इसीलिये पानी में क्लोराइड की मात्रा सामान्य नहीं हुई।

इसके अतिरिक्त एक बात और दुर्भाग्यपूर्ण हुई कि 4 सितम्बर को नाला नम्बर 8 को पंजाब के गांव वालों ने काट दिया था। इस कारण पानी डम्पिंग ग्राउन्ड' से बह कर आने लगा और जमुना के ऊपरी बहाव में आ कर यह दूषित पानी उस स्थान पर मिलने लगा जिस स्थान से पीने का पानी लिया जाता है। मैं इस समय यह भी बताना चाहता हूं कि 1955 से बांध बन जाने के बाद से कोई गड़बड़ी नहीं हुई थी और नजफ़गढ़ नाले को जमुना में उस स्थान से जिससे पीने का पानी लिया

[डा० कु० ल० राव]

आता है, नीचे मिला दिया गया था और इस प्रकार दिल्ली निवासियों को पीने का स्वच्छ पानी मिलत रहा था । 1955 में पीलिया रोग फैला था और 1958 में बांध बनाया गया था । तब से पानी साफ था ।

इस वर्ष ऐसा हुआ कि नाला नम्बर 8 में दरार पड़ जाने के कारण नजफ़गढ़ नाले का पानी जमुना में पीने के पानी को लेने के स्थान से नीचे नहीं जा सका । 10 तारीख को ज्यूंही इस बात का पता लगा तभी कार्यवाही की जाने लगी और मजदूरों को नियुक्त कर लिया गया ।

नजफ़गढ़ नाले को ऐसा बनाया गया है कि उसमें से 3000 क्यूज़ेक पानी की निकासी हो सकती है परन्तु इसमें अभी लगभग 2000 क्यूज़ेक पानी की निकासी होती है इसमें लगभग 300 क्यूज़ेक मल होता है यही पानी को दूषित करता है ।

ज्यूंही 10 तारीख को इस बात का पता लगा कि नाला नम्बर 8 का पानी नजफ़गढ़ नाले में आ गया है और जमुना में उपरी बहाव में मिलने लगा है तभी सावधानी रखी जाने लगी । मज़दूर नियुक्त किये गये । रात दिन काम हुआ और नजफ़गढ़ नाले को काट दिया गया साथ ही साथ नाला नं० 8 को भी 18 तारीख को रोक दिया गया ।

6 सितम्बर को पानी में क्लोराइड 31 भाग हो जाने के कारण समस्या उठ खड़ी हुई । तत्पश्चात् सभी आवश्यक सावधानी बरती गई । पानी को उबाला हुआ पीने को कहा गया ।

मैं बताना चाहता हूं कि क्लोराइड कोई डरने की चीज़ नहीं है क्योंकि नाला नं० 8 में जो पंजब के नमक वाले क्षेत्र से पानी आता है उसमें 66 पाइन्ट क्लोराइड होता है । लंदन में भी जो पानी पीने के लिये दिया जात है उसमें 30 से 40 पाइन्ट क्लोराइड होता है । टेम्स नदी में नमक है तथा इसका पानी इन से दूषित रहता है । परन्तू फिर भी यह पानी पीने योग्य होता है । इसलिये यह नहीं समझना चाहिये कि यदि पानी में क्लोराइड होता है तो वह कोई खतरनाक चीज़ नहीं होती है ।

इसके अतिरिक्त यहां पर एक और बात अच्छी है कि यहां के पानी में आक्सीजन है । मेरा यह बताने से यह मतलब नहीं है कि हमें सावधानी नहीं बरतनी चाहिये । दिल्ली हमारे देश की राजधानी है और हमें यहां पर अपनी जल व्यवस्था वैसी ही रखनी चाहिये जैसी लन्दन नगर की है ।

हमारी यह कोशिश रहती है कि दिल्ली में पीने का पानी खराब न होने पाये । परन्तु अधिक बर्षा तथा नालों के टूट जाने के कारण पानी दूषित हो गया था । स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से जिन कूओं से पानी लिया जाता है उनमें परिवर्तन किया जायेगा । बांध के पूरा होने पर हमें मालूम हुआ कि गन्दा पानी प्रवाह के विरुद्ध वाली दिशा से भी आ सकता है । अतः गन्दे पानी के आने के इस स्रोत को भी बन्द किया जायेगा । नाला नं० 8 की दरार के भरदिये जाने के तुरन्त बाद पानी में क्लोरीन की मात्रा कम कर दी गई थी । इस घटना से हमें अच्छा सबक मिला है और हमने स्थिति को सुधारने के लिये तुरन्त कदम उठाये है ।

Shri S. M. Banerjee (Kanpur) : The problem of pollution of water in Delhi has been cropping up frequently since independence. It shows the

utter failure of the Government to tackle this problem which can pose a serious danger to the health of the people of this capital city. Worse still, the people are not warned of this hazard in time. The Health Minister should tender her resignation on account of the failure of her Ministry to tackle this issue.

The Minister of Health (Dr. Sushila Nayar) : Would that save this problem ?

श्री स० मो० बनर्जी: यदि प्रत्येक वर्ष पीने के पानी के दूषित हो जाने की घटना किसी अन्य देश में घटती तो मंत्री महोदय की संसद् के सामने आने की हिम्मत न होती। मुझे यहां के लोगों की सहनशीलता पर आश्चर्य है कि वे ऐसी दुःखद चीज को भी चुपचाप सह लेते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अब अपना भाषण समाप्त करें।

Shri S. M. Banerjee : A parliamentary commission suggested by Shri Kamath shuld be constituted and the officials of the Water Supply Department suspected to be involved in the matter should be suspended and produced before the Commission. It is very strange that either there is no water in the taps in Delhi or if there is water, it is found to be contaminated. A commission should therefore be appointed immediately to suggest long and short term remedies to avoid water pollution in the capital.

Shri Naval Prabhakar : (Delhi-Karol Bagh) : All the sullage and other rubbish of the capital was being dumped near Badli village for the last several years and the people of the village had made a representation to the then Health Minister of Delhi State who now happens to be the Health Minister at the Centre. But nothing was done in the matter. The result was that the dumped sullage was washed away by the water of Drain No. 8 which had been diverted by the people of Punjab towads the villages of Delhi and got mixed in the water of river Jamuna. And the people of Delhi were made to drink the sullage water. The first thing that the Government should do is to get the Najafgarh Nalla cleared of all rubbish anyhow or other. Otherwise the sullage water of the Nalla would flow into the river Jamuna and the people of Delhi would not be safe. The sewage tanks should be made to function well and arrengements should be made there for disposal of manure and the sullage water without delay.

The sullage dumped near Badli has also assumed large proportions and that should be burnt by the help of a foreign plant, which costs about Rs. 70 lakhs. The above steps are a must to rid Delhi of this nuisance every year.

Shri Bagri (Hissar) : Because of the poverty and the multiplicity of diseases the people of this country especially doctors, have become hard-minded. In the Government hospitals not much care is taken of the cases which are of a serious nature and need immediate attention. This very debate has been initiated on account of the death of a 4½ year old boy named Sanjay who is said to have died of jaundice by the hospital authorities but in fact he died of some other disease. Now I come to water pollution. This is an annual feature. Nobody takes the responsibility and the matter is simply talked off. Because human life is not so important in India.

The reason for the pollution of water is that the sewage and filtered water drains are always leaking and their water gets mixed and thus the filtered water

[Shri Bagri]

gets polluted. The barrages that have been constructed are also not suitable. The floods are also a recurring menace. The wastes of factories is thrown into rivers which also needs to be checked. Unless some organisation to fix responsibility for such lapses is not brought into being, the problem would defy any solution. If the concerned authorities are made to realise human values, half the trouble would be over. No discrimination should be made in the treatment of the high and the low in hospitals aided and controlled by the Government. I am saying this because I feel that Government is not paying adequate attention towards Harijans and other oppressed classes of this country.

श्री पें० वेंकटासुब्बया (अडोनी) : यह बहुत ही शर्म की बात है कि दिल्ली के 25 लाख व्यक्तियों को इस समय मौत का खतरा बना हुआ है। यह और भी अधिक खेद की बात है कि दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों ने लोगों को पीने के पानी के दूषित हो जाने के बारे में तुरन्त खबर नहीं दी, बल्कि चार दिन बीतने के बाद उन्हें उबला हुआ पानी पीने के लिये कहा गया। यह बताया गया है कि काफी वर्षों के शहर के मैले, आदि का बहुत भारी ढेर इकट्ठा हो गया था और बाढ़ का पानी उसे बहा कर ले गया और वजीराबाद पम्पिंग स्टेशन में आ घुसा। यह भी पानी के दूषित हो जाने का एक कारण है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि इस मैले के न हटाये जाने के लिये कौन जिम्मेदार है। नजफ़गढ़ नाला ने, जो वजीराबाद पम्पिंग स्टेशन से नीचे की ओर है, बाढ़ के गन्दे पानी के कारण एक बहुत बड़ी झील का रूप धारण कर लिया है और यही गन्दा पानी पम्पिंग स्टेशन में घुस आया है।

मेरा स्वास्थ्य मंत्री से यही निवेदन है कि इस समस्या को जल्दी से जल्दी हल किया जाये और दिल्ली की जनता को शुद्ध पानी मिलता रहे।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : (Dewas) : A very dangerous situation has been created in Delhi on account of pollution of water. Visitors and people who sleep on footpaths or live in night shelters are very much exposed to the hazards of polluted water because hotels and canteens etc. have not any arrangements made for boiled water. School children have also to carry boiled water bottles with them. The Government should prepare a scheme or improve its working if there is already any to rid the people of the capital of India of this nuisance.

Shrimati Savitri Nigam (Banda): The Members of the House, whether of the opposition or the Congress, should observe some decency or decorum in making criticisms in this House. They should instead offer constructive suggestions to remedy the situation. I am sure that 80 per cent population of this capital city cannot afford to have boiled water for drinking purposes. The Health Minister should therefore make arrangements for the distribution of some such substance like potassium permanganate through the dispensaries in the city to disinfect the polluted water supply and thus help those unfortunate people.

I would also like to know from the Health Minister why the desilting work was not undertaken on war footing when it was found out that the main source of contamination of water was the flow of drains into opposite directions.

I want this assurance from the Government that the desilting of the Najafgarh lake would be completed by the end of the current budget year even if we have to import heavy machinery from abroad for this purpose. So long as the contamination of water continues in the city, the municipal employees should be deputed in the slum areas and near other public taps to mix some disinfectant in the water before use to save people from epidemics.

The Health Minister should study the situation seriously and if she thinks it proper to constitute a Parliamentary Commission to study this problems, she should accept this demand of the opposition. The people of Delhi should be got rid of this nuisance for ever and steps should be taken towards this end without any delay.

श्रीमती यशोदा रेड्डी (करनूल) : यह बहुत ही खेद की बात है कि सरकार पिछले कई वर्षों से दिल्ली में पानी के दूषित होने की समस्या को हल नहीं कर पा रही है । सिंचाई मंत्री का यह कथन कि 1959 के बाद पानी के दूषित होने की यह प्रथम घटना है ठीक नहीं है । गत या इस से पहले वर्ष ही पानी के दूषित हो जाने के कारण यहां पर बीमारियां उत्पन्न हुई थीं । डा० राव जैसे विशेषज्ञ व्यक्ति के लिये यह कहना भी दुरुस्त नहीं है कि नीचे की दिशा की बजाय ऊपर की दिशा से गन्दा पानी आने के कारण यह विकट स्थिति उत्पन्न हुई है । दिल्ली नगर निगम की ओर से स्कूलों तथा अस्पतालों में उबले पानी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई है । होटलों, आदि में भी होटल मालिकों द्वारा पर्याप्त सफाई नहीं रखी जाती है । इस की ओर भी सरकार का ध्यान जाना चाहिये । दिल्ली के लोगों को महामारी से बचाने के लिये सरकार को दूषित जल की समस्या का कोई स्थायी हल निकालना चाहिये और भविष्य में हम फिर ऐसी बातें सुनने के लिये तैयार नहीं हैं ।

The Minister of Health (Dr. Sushila Nayar) : Government has been making all efforts to check water borne and other diseases in this country and we have succeeded in our efforts to a considerable extent and if there is any lapse, the Government should not be taken to task so severely, as if we have not been making any efforts all this time. I admit that the people of Delhi have been suffering from want of water or contamination of water supply for the last several years. The polluted water has been rendered harmless by the mixing of more than one part per million of chlorine in the water from the very beginning. The people of Delhi have been asked to boil the water before use only as a double sefeguard. They should, therefore, not become so much panicky about this.

It is gratifying to see that the number of diseases has not increased. Shree Frank Anthony spoke critically about the hospitals. But I can show that thousands and lakhs of people are getting treatment in hospitals daily. In August, 1961, 145 persons suffered from Gastro-enteritis and five of them died. In August 1962 there were 140 cases of whom none died. Last year their arrangement of chlorination was so effective that only 67 cases of Gastro-entiritis were there of whom two died. During this year 104 cases were reported of whom three died. It must be borne in mind that corporation has been made fully responsible now and we only give them advice and help whenever they require. Similarly, we find in September, that there was no great in the number of cases.

The incidence of infective hapatistis is not a new development and it may not have been there due only to bad water. The dirty habits of our people

[Dr. Sushila Nayar.]

are also responsible for this. For a pretty long time I am finding it difficult to check vending of exposed articles because people sympathise with them and say that they have no other means of earning their bread. Now these two things cannot go together. If these vendors ought to be checked they must be checked. I therefore need your cooperation in this regard.

Sullage does not get into the Najafgarh Nallah alone, it flows in all the Nallahs because people put up jhuggies and huts where there is no sanitary arrangements and if our works and Housing Minister tries to remove them a voice is raised in this House and also in the other House. We cannot say at this time that some human element is responsible for the centamination of water. I reject the talk of superseding the Corporation or of taking action against any officers.

I can say with full responsibility that the people of Corporation, our officers, officers of Irrigation and Power Ministry and the people of Public Health and Engineering Departments and other people worked hard and honestly for which I congratulate all of them.

श्री हरि विष्णु कामत : जो अधिकारी लोगों की मौतों के लिये जिम्मेदार हैं उन के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की जाती । यह शर्म की बात है ।

Dr. Sushila Nayar: It is not a fact that people have died in larger numbers due to present contamination.

There is one problem which is permanent and which should have been tackled. Drainage should have been a composite one by joining together certain areas of Punjab, Delhi, U.P. and Rajasthan.

An hon. Member : Why was that not done (*Interruptions*).

डा० सुशीला नायर : आप उत्तेजित क्यों हो रहे हैं । मैं ने तो आप की गालियों को सुना था ।

श्री हरि विष्णु कामत : हमें आप की बात सुननी पड़ेगी चूंकि सत्ता आप के हाथ में है ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या मैं मंत्री महोदया से कह दूं कि वह बोलना बन्द कर दें ?

श्री हरि विष्णु कामत : वह इस जिम्मेदारी से नहीं बच सकतीं । जिन अधिकारियों के कारण मौतें हुई हैं उन की प्रशंसा की जा रही है और आप उन का समर्थन कर रहे हैं । (**अन्तर्बाधायें**)

डा० सुशीला नायर : माननीय सदस्य को मत्यु दण्ड सम्बन्धी उपबन्ध का बड़ा शौक है

श्री हरि विष्णु कामत : अन्यथा लोग मरेंगे ।

डा० सुशीला नायर : माननीय सदस्य सदैव खून के प्यासे रहते हैं । (**अन्तर्बाधायें**)

श्री हरि विष्णु कामत : खून का प्यासा कौन है ? मैं खून का प्यासा नहीं हूं। जो अधिकारी मौतों के लिये दोषी हैं उन के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की जाती। मंत्री महोदया लोगों को मारने में प्रोत्साहन दे रही हैं और उन में समझने की शक्ति नहीं है।

डा० सुशीला नायर : आप मुझ से ज्यादा समझ रखते हैं। परन्तु आप मेरी बात पहले सुन लें फिर उसे अस्वीकार करें।

श्री हरि विष्णु कामत : मंत्री महोदया को खून के प्यासे शब्दों का अर्थ नहीं आता और वह जिन शब्दों को समझती नहीं उन का प्रयोग न किया करें।

Shri Bagri : On a Point of Order, Sir. This discussion has been raised so that recurrence of such incidents may be checked in future and people responsible for this may be brought to book. We are not here to listen to the praises of such guilty people.

Mr. Deputy Speaker : This is no Point of Order.

Dr. Sushila Nayar : We hope that a scheme would be evolved by all the four States together, by which the problem of drainage would be solved satisfactorily. A scheme is also being forumulated for changing the course of water of Najafgarh lake.

Salinity in water was partly due to contamination and partly due to the fact that water flowed from over the saline lands.

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या इस नाले की जल क्षमता को बढ़ाया जा सकता है ?

डा० सुशीला नायर : वर्तमान स्थान पर जल क्षमता को नहीं बढ़ाया जा सकता।

As I was explaining, neither the nitrates increased nor bacteria. Only salinity increased and that was not due only to contamination. That is why neither Gastro-enteritis nor hapatitis cases increased. In order to kill the hepatitis virus we did hyper chlorination and we are also trying to produce Gama Glebunel, which is very effective in checking this disease, at Lucknow Research Laboratory.

In order to meet the increasing requirements of the increasing population we have formulated a Master Plan, according to which we are building water works etc. Previously contamination was from underground level and that was checked and now it is from over the ground and our engineers are trying to evolve methods to check the same.

Now the pollution is almost over. According to today's report chloride content is only 14 parts per million.

It is wrong to allege that we came to know about the water pollution much later. We had come to know of it at the initial stages and people were accordingly warned to boil drinking water before use. Also, we chlorinated the water before and after filtration.

It is wrong to say that typhoid and cholera vaccines were not available.

[Dr. Sushila Nayar.]

I myself visited the Punjab villages where conditions are really bad and the areas there are water logged, whatever help we can give to Punjab in this connection that we are giving.

Shri Hari Vishnu Kamath : What do you think about the Parliamentary Commission.

Dr. Sushila Nayar : This is the work which expert can do and they are doing it. I do not think a Parliamentary Commission would serve any purpose.

Arrangements for boiling water have been made in hospitals and dispensaries. We need not worry about the water being used in preparing drugs.

Though water is safe now but we will observe the water for a few days more before making an announcement that water may be used without boiling it. At present it is safer to drink boiled water.

Shri Bagri : What has the hon. Minister to say about the death of Shri Sanjay?

Dr. Sushila Nayar : Sanjay was admitted in the hospital at 7.30 when the senior lady doctor saw him. Thereafter he was seen thrice by the senior lady doctor. He was again seen at 4 O'clock The relatives of the boy themselves say that he was suffering from ensephilatis lethargia. This is a brain disease caused by a virus. The child died. But it is wrong to say that doctor did not attend him.

इस के पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 25 सितम्बर 1964/आश्विन 3, 1886 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, the 25th September, 1964 Asvina 3, 1886 (Saka).

GMGIPND—LS III—1355 (ai) LSD— 23-11-64—600.